खण्ड 1, अंक 3
बुधवार, 27 पौष, शक संवत् 1922
(17 जनवरी, 2001 ई0)

उत्तरांचल विधान सभा

की

कार्यवाही

—: 0 :—

(अधिकृत विवरण)

(अनन्तिम विधान सभा)
(प्रथम सत्र, 2001)

(खण्ड 1 में 4 अंक हैं)

उत्तरांचल विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
उप निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, रुड़की, उत्तरांचल (भारत)
2003

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	क
प्रश्नोत्तर	1–12
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें	12–14
कोटद्वार (गढ़वाल) के निवासियों को उत्तरांचल के मूल निवासी होने का प्रमाण-पत्र न दिये जाने के सम्बन्ध में ...	13
जनपद पिथौरागढ़ में अतिवृष्टि से प्रभावित परिवारों को मुआवजे की मांग के सम्बन्ध में	13
शीतकालीन फलों के विपणन की व्यवस्था की मांग के सम्बन्ध में ...	13–14
रुड़की में नलकूपों की विद्युत दरों में वृद्धि	14
विधान सभा समितियों का गठन के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ...	14–15
बजट कमेटियों का गठन के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ...	15–16
संयुक्त शिक्षा निदेशक कुमायूँ मण्डल श्री चन्द्र सिंह ग्वाल द्वारा दूरभाष पर अशिष्ट भाषा का प्रयोग के सम्बन्ध में विशेषाधिकार हनन की सूचना	16–19
कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचनायें	19–24
उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 अनुकूलन एवं उपान्तर) अध्यादेश, 2000 के अननुमोदन हेतु संकल्प तथा उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2001 ......(संकल्प वापस तथा विधेयक पारित)	24–32
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति अध्यादेश, 2001 का अननुमोदन हेतु संकल्प तथा उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2001 ....(संकल्प वापस तथा विधेयक पारित)	32–40
उत्तरांचल आकस्मिकता निधि विधेयक, 2001 (सर्वसम्मति से स्वीकृत)	40–45
महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा.........(जारी) ...	45–72
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएँ	72

उपस्थिति

क्र0सं0	नाम	विभाग
1.	श्री अजय भट्ट	चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं आपदा प्रबन्धक मंत्री
2.	" अम्बरीष कुमार	
3.	श्रीमती इन्दिरा हृदयेश	
4.	श्री ईसम सिंह	
5.	" केदार सिंह फोनिया	पर्यटन, औद्योगिक विकास, श्रम विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा
6.	" कृष्ण चन्द्र पुनेठा	
7.	" काजी मो0 मोइउद्दीन	
8.	" के0सी0 सिंह 'बाबा'	
9.	" तिलक राज बेहड	
10.	" तीरथ सिंह रावत	प्राथमिक, माध्यमिक प्रौढ़ शिक्षा निर्वाचन एवं जन–गणना मंत्री
11.	" नारायण सिंह राणा	खेल, संस्कृति, पेयजल, सैनिक शिक्षा मंत्री
12.	" नारायण राम दास	समाज कल्याण, कारागार, उद्यान, मानवाधिकार तथा राष्ट्रीय एकता
13.	" नित्यानन्द स्वामी	मा0 मुख्यमंत्री
14.	श्रीमती निरूपमा गौड़	शहरी विकास, महिला सशक्तीकरण, आवास और शहरी रोजगार
15.	" बिशन सिंह चुफाल	
16.	" भगत सिंह कोश्यारी	ऊर्जा, सिंचाई, संसदीय कार्य मंत्री
17.	" भारत सिंह रावत	
18.	" मातबर सिंह कण्डारी	वन एवं पर्यावरण मंत्री
19.	" मुन्ना सिंह चौहान	
20.	" मोहन सिंह रावत 'गांववासी'	ग्राम्य विकास, पंचायती राज, जलागम प्रबन्धक
21.	" रघुनाथ सिंह चौहान	
22.	" रमेश पोखरियाल 'निशंक'	वित्त, संस्थागत वित्त, राजस्व एवं चिकित्सा शिक्षा
23.	" राजेन्द्र सिंह	
24.	" राम सिंह सैनी	
25.	" लाखी राम जोशी	
26.	" बंशीधर भगत	कृषि सहकारिता, पशुपालन, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग
27.	" सुरेश चन्द्र आर्य	परिवहन, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति
28.	" हरबंस कपूर	
29	" ज्ञान चन्द	

बुधवार, दिनांक 17 जनवरी, 2001

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, देहरादून में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री प्रकाश पन्त की अध्यक्षता में प्रारम्भ हुई)

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित प्रश्न

उत्तरांचल में रोजगार–नीति

** 1–श्री मुन्ना सिंह चौहान,
" अम्बरीष कुमार,
डा0 इन्दिरा हृदयेश–

क्या मुख्यमंत्री बतायेंगे, कि क्या सरकार कोई रोजगार–नीति बनाने पर विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो रोजगार–नीति के मुख्य पहलू क्या हैं ?

यदि नही, तो क्यों ?

पर्यटन, औद्योगिक विकास, श्रम विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री केदार सिंह फोनिया)–

जी हाँ।

रोजगार नीति का मुख्य पहलू यह होगा कि उत्तरांचल में शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवाओं में सीमित सम्भावनाओं को देखते हुए, सभी बेरोजगारों को सरकारी सेवा में नियुक्ति दिया जाना सम्भव नहीं है। अतः अन्य रोजगार–परक योजनायें विभिन्न विभागों द्वारा बनाई जायें, जिससे यथा–सम्भव प्रत्येक बेरोजगार को रोजगार मिल सके।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

माननीय अध्यक्ष जी, हमारा प्रश्न था कि क्या मुख्यमंत्री बतायेंगे कि क्या सरकार कोई रोजगार–नीति बनाने पर विचार कर रही है? इसका उत्तर माननीय मंत्री जी ने दिया "जी हाँ"। दूसरे भाग में हमने पूछा था–यदि हाँ, तो रोजगार नीति के मुख्य पहलू क्या हैं? इसका उत्तर माननीय मंत्री जी ने दिया कि रोजगार नीति का मुख्य पहलू यह होगा कि उत्तरांचल में शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा में सीमित सम्भावनाओं को देखते हुए, सभी बेरोजगारों को सरकारी सेवा में नियुक्ति दिया जाना सम्भव नहीं है। अतः अन्य रोजगार–परक योजनायें विभिन्न विभागों द्वारा बनायी जायें, जिससे यथा–सम्भव प्रत्येक बेरोजगार को रोजगार मिल सके। हम यह जानना चाहते हैं कि किन–किन सैक्टर्स में प्रतिवर्ष कितने रोजगार देने का लक्ष्य है और किन–किन योजनाओं को बनाया गया है। सरकार ने कहा कि विभिन्न विभागों में रोजगार–परक योजनायें बनायी जायेंगी। यह तो प्रश्न का कोई उत्तर नहीं हुआ। हम यही तो जानना चाहते हैं कि आखिर रोजगार–परक योजनायें क्या हैं ?

श्री केदार सिंह फोनिया–

श्रीमन्, किसी भी नीति को बनाने से पहले उस विषय की सोच होना बहुत आवश्यक है। हम किस विषय पर क्या सोचते हैं और क्या परिस्थितियाँ हैं और जो चीजें हम चाहते हैं उसकी प्रतिपूर्ति के लिये क्या परिस्थितियाँ परिपक्व हैं। नीति बनाने से पहले हमारी क्या सोच है। हम सोचते हैं कि दो तरह के रोजगार होते हैं। रोजगार का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है स्व–रोजगार। जहाँ तक रोजगार का प्रश्न है सरकारी सेवाओं और निगमों में रोजगार मिल सकता है, उद्योगों का विकास होगा तो रोजगार की सम्भावना है। स्वायत्तशासी संस्थाओं में रोजगार है। हमने सरकारी सेवाओं में अभी तक शिक्षा बन्धु और शिक्षा मित्र की योजना है, जिससे 3,000 पढ़े–लिखे आदमियों को रोजगार देने की हमने योजना बना दी है। इसी प्रकार अन्य योजनाओं में भी देखा जा रहा है कि किस प्रकार से रोजगार के माध्यम बन सकते हैं। आई0 टी0 की बात कही गई है, इसमें भी कई चान्सेज हैं। इसका विकास तो हो पहले तभी तो रोजगार पनपेगा। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है स्व–रोजगार परक योजना, इसमें हमें माननीय श्री मुन्ना सिंह चौहान जी की भी सहायता चाहिये। प्रदेश में यह भावना आये कि सरकारी विभाग ही रोजगार के माध्यम नहीं हैं बल्कि स्व–रोजगार परक योजनायें हम बनायें तो यह बड़ी उपलब्धि होगी। व्यवसाय में जनता की भागीदारी हो। दूसरा है कुटीर उद्योग। इसके विकास से रोजगार मिल सकता है। कृषि का व्यवसायीकरण होना चाहिये, जैसा कि हमारे मंत्री जी भी कहते रहते हैं। ये सब रोजगार के नये साधन हैं। इन सबके विकास होने के बाद ही उत्तरांचल में रोजगार की प्रचुर सम्भावना है। यही हमारी नीति है।

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, हम देश स्तर पर और प्रदेश स्तर पर नियोजित विकास में विश्वास करते हैं और नियोजित विकास की प्रणाली अपना रहे हैं। क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि इस प्रकार के कितने शिक्षित और कितने अशिक्षित बेरोजगारों की संख्या है। कई योजनाओं की बात माननीय मंत्री जी ने कही, इन क्षेत्रों में कितने रोजगारों का हम सृजन कर पायेंगे तभी तो हम उसी आधार पर शिक्षित और अशिक्षित बेरोजगारों को समायोजित कर सकते हैं। इसलिये सरकार ने इसके लिये क्या–क्या योजनायें बना रखी हैं?

श्री केदार सिंह फोनिया–

मान्यवर, कितने शिक्षित बेरोजगार हैं और कितने अशिक्षित बेरोजगार हैं यह तो आँकड़ों का मकड़जाल है और यह प्रश्न आपका प्रश्न के दायरे में नहीं आता है। माननीय सदस्य से निवेदन करता हूँ कि वह इस प्रश्न से संबंधित प्रश्न पूछ लें, उसका उत्तर हम देंगे। 13 जिलों से आँकड़े इतनी जल्दी इकट्ठा करवाना असम्भव है।

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, आप मूल प्रश्न को देखें। उसमें कहा गया है कि क्या सरकार रोजगार नीति बनाने पर विचार कर रही है। जब इनके पास आँकड़े नहीं हैं तो यह किस आधार पर योजना बनायेंगे और किस आधार पर पदों का सृजन करेंगे। मेरा प्रश्न मूल प्रश्न से बिल्कुल भी पृथक नहीं है क्योंकि जब हम कोई नीति बनाने जा रहे होते हैं तो पहले आँकड़े इकट्ठा कर लेते हैं वैसे भी 13 जिलों से आँकड़े मँगवाने में कोई परेशानी नहीं है। इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूँ।

मुख्यमंत्री (श्री नित्यानन्द स्वामी)–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने सुस्पष्ट उत्तर दे दिया है। आप अपने उत्तर में जानना चाहते हैं तो हम उसके लिये वक्तव्य के लिये तैयार हैं। जिस दिन भी आप तिथि निर्धारित करेंगे हम वक्तव्य दे देंगे।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि इसके लिए अवसर चाहिये। इस राज्य का गठन बेरोजगारी को लेकर हुआ था तो सरकार रोजगार और स्व–रोजगार हेतु क्या नीति तैयार कर रही है। विभिन्न जो प्राइवेट इन्सटीट्यूशन्स हैं और मल्टी नेशनल्स कम्पनियाँ हैं तो उनके लिये क्या योजना बना रही है। यदि विपक्ष को साथ लेकर आप कोई नीति बनाना चाहते हैं तो हम आपकी सहायता करेंगे।

श्री नित्यानन्द स्वामी–

हम आपसे पूरी राय लेने को तैयार हैं।

श्री राम सिंह सैनी–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है और यह परम्परा भी है कि एजेन्डे के साथ उसका उत्तर भी हमको मिलता है। यह बहुत छोटा राज्य है लेकिन अभी तक हमें एजेन्डे के साथ उत्तर नहीं मिला। मेरा एक निवेदन और है कि जैसा कि विधान परिषद् में, माननीय मुख्यमंत्री जी खुद विज्ञ हैं, वहाँ पर सभी प्रश्नों के उत्तर दिये जाते हैं। यहाँ पर भी यह व्यवस्था हो जाय, इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

सभी प्रश्नों के उत्तर माननीय सदस्यों को जायें, शायद यह विधान परिषद् में भी आवश्यक नहीं था। स्टाफ कम है। कल एक दिन का सत्र और है। स्टाफ की भी कमी है। अगली बार यह व्यवस्था सुनिश्चित करने पर हम विचार करेंगे।

श्री हरबंस कपूर–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न इसी प्रश्न से सम्बन्धित है, यह अपने आप में एक महत्वपूर्ण विषय है, उचित होगा इस पर चर्चा करा दी जाय।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, माननीय नेता सदन ने इस विषय की गम्भीरता को देखते हुए वक्तव्य की बात कही मेरा सिर्फ इतना अनुरोध है, माननीय मुख्य मंत्री जी इसका संज्ञान लें निश्चित रूप से सरकार को भी मदद मिलेगी। जो रोजगार नीति की बात कर रहे हैं उसमें बाकायदा कहीं न कहीं सैक्टोरियल डिविजन की बात होनी चाहिए जैसे प्राइवेट इन्सटीट्यूशन्स, सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं में कुशल और अर्द्धकुशल इस तरीके से कुछ होना चाहिए। जैसे उत्तर प्रदेश में कह दिया जाता था कि हम 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे और बाद में कह दिया जाता है कि हमने जे0आर0वाई0 और एस0आर0वाई0 में लोगों को काम दिया। यह अपने आप में एक दिग्भ्रमित हो जाता है।

हम सरकार के साथ बियर करने को तैयार हैं। इस दिशा में क्या कदम उठाये जा रहे हैं, इसे बताने का कष्ट करें।

काजी मोहम्मद मोइउद्दीन–

मान्यवर, इस प्रश्न से संबंधित एक सवाल है। यू0पी0 पब्लिक सर्विस कमीशन है, अभी तक हमारे लोग वहीं से आ रहे हैं। इसलिए मैं इस सम्बन्ध में पूछना चाहता हूँ कि उत्तरांचल पब्लिक सर्विस कमीशन कब तक आप गठित कर देंगे।

श्री नित्यानन्द स्वामी–

यथाशीघ्र हम इसे करेंगे। जो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन से आ रहे हैं उनको हमने रोक दिया है।

श्री राजेन्द्र सिंह–

मान्यवर, बहुत से ऐसे लोग हैं जो उत्तर प्रदेश जाना चाहते हैं और उत्तर प्रदेश से बहुत कम लोग आना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में जो पद रिक्त रहेंगे उनके लिए सरकार क्या विचार कर रही है।

श्री नित्यानन्द स्वामी–

मान्यवर, वार्ता चल रही है। हमारे मुख्य सचिव निरन्तर जाते रहते हैं और वहां के मुख्य सचिव से भी बात होती है, मेरी भी श्री राजनाथ सिंह जी से बात होती है, यह प्रक्रिया जारी है। प्रारम्भ में थोड़ी कठिनाईयां जरूर होती हैं परन्तु हम विचार करेंगे।

श्री अध्यक्ष–

यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय है। लगभग सभी माननीय सदस्यों ने इसमें भागीदारी की है इसलिए मैं सरकार को इस पीठ से निर्देशित करता हूँ कि वह इस विषय पर एक वक्तव्य जारी कर दे और सभी प्रतिपक्ष के माननीय विधायकों के विचार भी उसमें ले लिए जायं। रोजगार के सम्बन्ध में एक विस्तृत नीति बन जाये, उस पर सरकार अपना वक्तव्य दे।

वन निगम की संचित धनराशि में से उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा 210 करोड़ रुपये का आहरण

** 2–डा0 इन्दिरा हृदयेश–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तरांचल राज्य के वन निगम की संचित धनराशि में से 210 करोड़ रुपये निकाल लिये हैं?

यदि हां, तो यह स्थिति किन कारणों से उत्पन्न हुई है?

और अब वन निगम की आर्थिक स्थिति क्या है?

वन एवं पर्यावरण मंत्री (श्री मातबर सिंह कण्डारी)–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता है।

यथावत है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मेरे प्रश्न के उत्तर में यह बताया गया है कि दो सौ दस करोड़ रुपया नहीं निकाला गया। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहती हूँ कि यह सच नहीं है कि उत्तर प्रदेश ने 210 करोड़ रुपये निकालने के आदेश दे दिये थे। किन परिस्थितियों में यह पैसा नहीं निकाल पाये।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, डा0 इन्दिरा हृदयेश जी ने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में एक बैठक हुई 16 दिसम्बर, 2000 को उन्होंने यह योजना बनाई....

यद्यपि उत्तर प्रदेश वन निगम और उत्तरांचल वन निगम एक ही है। उन्होंने इस पैसे को निकालने के लिए एम0डी0 को निर्देश दिये। श्री वी0के0 दिवान, आप निर्देशित करें कि यह पैसा निकाल कर पी0एल0ए0 में डाल दें। शायद वह इसका सदुपयोग करना चाहते थे। बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स की बैठक के बिना यह पैसा नहीं निकाला जा सकता था और बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स ने अपनी सहमति नहीं दी इसलिए वह पैसा नहीं निकला और उनकी मंशा पूरी नहीं हुई।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, क्या यह सच नहीं है कि वन निगम कर्मचारियों के माध्यम से एक पब्लिक लिटिगेशन कोर्ट में दायर किया गया था और कोर्ट के स्टे से यह पैसा नहीं निकल पाया जिसके कारण 210 करोड़ रुपया जाने से बच गया। आपने इसमें क्या प्रयास किया।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, जैसे ही मुझे ज्ञात हुआ कि पैसा निकालने का प्रयास किया जा रहा है तो मैंने तत्काल उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी को पत्र लिखा और उसकी प्रतिलिपि एम0डी0 को दी कि आप यह पैसा न निकालें, बिना उत्तरांचल की सरकार को कॉनफिडेंस में लिए। इसी के साथ मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि डा0 महेन्द्र पाल ने एक जनहित याचिका 20 दिसम्बर, 2000 को हाई कोर्ट नैनीताल में की कि इस पैसे को न निकालें और इसे रोक दिया जाय। इस पर रोक लग गयी और अभी यह पैसा निकला नहीं है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, सही प्रश्न का सही जवाब आ जाये तो अच्छा होता है। जिन्होंने पब्लिक लिटिगेशन दायर किया था और वे मेरे पास आये भी थे उनके सद् प्रयासों से यह पैसा नहीं निकल पाया। आप की चिट्ठी का कितना असर हुआ यह आप स्वयं जानते होंगे।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने अभी बताया कि उत्तर प्रदेश का वन निगम के रक्षित कोष से 210 करोड़ रुपये उत्तर प्रदेश सरकार नहीं निकाल पायी जबकि इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रयास किया था। यह कौन सी परिस्थितियों में हुआ। मैं यह भी जानना चाहता हूँ, माननीय मुख्य मंत्री जी भी इस समय विराजमान हैं। ऐसी तमाम उत्तर प्रदेश पुर्नगठन विधेयक में व्यवस्थायें दी गयी हैं। जो कॉरपोरेशन हैं और कम्पनीज हैं, जो एक तरीके से अभी विभाजन की प्रक्रिया में चल रहे हैं। क्या सरकार सैद्धान्तिक रूप से इस सदन को आश्वस्त करेगी कि ऐसी सभी कम्पनीज और कॉरपोरेशन्स को संयुक्त उपक्रम मानते हुए उत्तर प्रदेश को किसी भी कम्पनी के संदर्भ में एक पक्षीय निर्णय लेने का अधिकार नहीं रहेगा क्योंकि अभी तो यह वन निगम के साथ हुआ है, कल दूसरे कम्पनियों के साथ भी हो सकता है ....

श्री अध्यक्ष–

आप का यह प्रश्न, प्रश्न के दायरे में नहीं आ रहा है।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, यह एक दिगर प्रश्न है चूँकि उत्तर प्रदेश सरकार ने उच्च न्यायालय में जो शपथ पत्र दाखिल किया उसमें उन्होंने यह कहा कि इसके खिलाफ हम कर्जा ले रहे थे। यदि किसी चीज में हमारा अंशदान है और वह सिक्योरिटी के रूप में रखा गया है तो बिना हमारी सहमति के उसे नहीं निकाला जा सकता इसलिए मैं पुनः कह रहा हूँ कि जो संयुक्त उपक्रम हैं उसमें एक पक्षीय निर्णय सरकार द्वारा नहीं लिया जायेगा।.......

श्री नित्यानन्द स्वामी–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है, यद्यपि माननीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि यह प्रश्न के दायरे में नही आ रहा। लेकिन सामान्यतः जो नीति बनाई गयी है, जो हमारा रुपया होगा वह हमारे ही राज्य में रहेगा और हमारा अंश हमको मिलता रहेगा, इसे हम महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में स्पष्ट कर देंगे।

तारांकित प्रश्न

जनपद नैनीताल में भीमताल, महायोजना के प्रारूप में संशोधन कर जून स्टेट के हरित पट्टी क्षेत्र को आवासीय क्षेत्र में बदलने के सम्बन्ध में

*1–श्री राम सिंह सैनी–

क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद नैनीताल में भीमताल, महायोजना के प्रारूप में संशोधन कराकर जून स्टेट के हरित पट्टी क्षेत्र को आवासीय क्षेत्र में तब्दील करा दिया है ?

यदि हां, तो क्या यह सही है कि इससे क्या निकट स्थित सातताल झील समूह का अस्तित्व खतरे में पड़ जायेगा तथा भीमताल झील पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ?

यदि हां, तो क्या जनहित में सरकार इस निर्णय को निरस्त करेगी ?

यदि नहीं तो क्यों ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

जी हां।

हरित पट्टी क्षेत्र में निर्माण कार्य होने से सातताल झील समूह की सिल्टिंग की दर में वृद्धि तथा जल भण्डारण क्षमता में कमी सम्भावित है।

जी हां, यह भी सम्भव है।

प्रकरण की जांच करवाई जा रही है। जांच के निष्कर्ष तथा उस पर लिये जाने वाले निर्णय तक निर्माण आदि की कार्यवाही को रोक दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री राम सिंह सैनी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि जो यह निर्णय लिया गया था उस पर कितना व्यय हुआ और वे कौन लोग हैं जिन्होंने इस तरह का निर्णय लिया और उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, यह मामला आवास–विकास विभाग उत्तर प्रदेश का है। आवास–विकास विभाग ने 19 अक्टूबर, को यह आदेश दिया कि इस हरित पट्टी में एक रिजॉर्ट बना सकते हैं। जैसे ही हमें सूचना मिली, मैं स्वयं मौके पर गया और पाया कि यह हरित पट्टी है और इस पर किसी प्रकार का निर्माण नहीं होना चाहिए। अगर यहां पर निर्माण होता है तो जो हमारी भीमताल की झील है उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और ऊपर से मिट्टी आयेगी। जिलाधिकारी ने भी रिपोर्ट सौंपी और पी0 डब्ल्यू0 डी0 ने भी यह आख्या दी कि इस रिजॉर्ट के निर्माण से मलवा सड़क में आ सकता है और सड़क अवरूद्ध हो सकती है। डी0 एफ0 ओ0 नैनीताल ने भी कहा है कि इस भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम लागू है, जब तक भारत सरकार स्वीकृति नहीं देती तब तक किसी प्रकार निर्माण नहीं किया जा सकता। प्रदूषण बोर्ड ने भी कहा है कि इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। हम भी चाहते हैं कि इस हरित भूमि पर किसी प्रकार का कंस्ट्रक्शन न हो। .... जिलाधिकारी के माध्यम से जांच प्राप्त कर रहे हैं। इसमें कई बिन्दु हैं। इस भूमि का सीमांकन कहीं नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य का प्रश्न स्पष्ट है कि इस पर कितना व्यय हुआ।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

व्यय कुछ नहीं हुआ है। आवास–विकास ने निर्णय लिया और उत्तरांचल सरकार ने उस पर प्रतिबन्ध लगा दिया। आज उस पर कोई निर्माण नहीं हो रहा है।

श्री राम सिंह सैनी–

मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी ने बताया कि जांच के लिए जिलाधिकारी को अधिकृत कर दिया गया है। जिलाधिकारी कब तक इसकी रिपोर्ट दे देंगे।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, इस पर जांच चल रही है। हमने टाइम बॉउण्ड नहीं किया है। इसमें समय लगेगा।

श्री अध्यक्ष–

आप इसकी जांच करा रहे हैं, उस पर शीघ्रातिशीघ्र निर्णय आ जाय।

श्री मातबर सिंह कण्डारी

मान्यवर, उसके नाम पर तो जमीन ही नहीं है।

उत्तरांचल में दोहरा व्यापार–कर नीति

*2–डा0 इन्दिरा हृदयेश–

क्या वित्त मंत्री जानकारी देने की कृपा करेंगे कि उत्तरांचल प्रदेश में दोहरे व्यापार–कर से प्रभावित व्यापारियों को राहत पहुँचाने के लिए सरकार की क्या नीतियाँ हैं ?

वित्त संस्थागत, वित्त राजस्व एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक")–

वर्तमान समय में दोहरे व्यापार–कर की कोई व्यवस्था नहीं है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहती हूँ। सरकार उत्तर दे रही है कि कोई दोहरा व्यापार–कर नहीं लिया जा रहा है जबकि दोहरा व्यापार–कर लिया जा रहा है, यद्यपि यह विशेषाधिकार हनन का इशू बनता है। माननीय मुख्य मंत्री जी यहां पर बैठे हैं कैटागॅरिकली कहा जा रहा है कि दोहरा व्यापार–कर नहीं लिया जा रहा है। यही विशेषाधिकर हनन का इशू बनता है और किसी व्यक्ति को भी इंगित किया जाता है तो वह पूरी सरकार के विरूद्ध बनता है। चूँकि यह पहला सत्र है और मैं विशेषाधिकार हनन का इशू लाने के लिए उत्सुक नहीं हूँ परन्तु मैं आंकड़ों के साथ सिद्ध कर दूंगी कि व्यापार–कर लिया जा रहा है।

श्री रमेश पोखरियाल ''निशंक''–

मान्यवर, उत्तरांचल अब अलग राज्य हो गया है। उत्तरांचल में व्यापार–कर भी लगेगा और केन्द्रीय कर भी लगेगा। उत्तरांचल राज्य में दोहरा व्यापार–कर नहीं लगा रहे हैं, इसको मैं बड़े आश्वस्त के साथ इस सदन में कहना चाहता हूँ।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

माननीय मंत्री जी ने बताया कि हमारे यहां कोई दोहरे व्यापार–कर की समस्या नहीं है और जनता को राहत दिलाने के लिए और व्यापारियों को राहत दिलाने के लिए

कम-से-कम माननीय मंत्री जी को यह बात नहीं कहनी चाहिए। मैं कहना चाहती हूँ कि उत्तरांचल में दोहरा व्यापार-कर से लोग प्रभावित हो रहे हैं।

श्री राम सिंह सैनी-

मान्यवर, मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूँ कि आपने प्रश्न काल भी एक घण्टे का रख दिया और हमारे बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्न जो जनता से जुड़े रहते हैं उन्हें अतारांकित कर दिया जाता है। जिसके कारण हमें उस पर अनुपूरक प्रश्न पूछने का अवसर नहीं मिलता। कुछ दिन पहले मैंने एक प्रश्न किया था जिसमें मैंने कहा था हरिद्वार में 70 फीसदी ट्यूबवैल खराब पड़े हैं और आज ही मैंने एक प्रश्न पूछा था कि क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि हरिद्वार जनपद में कितने मामले संयुक्त संचालक चकबन्दी बन्दोबस्त अधिकारी तथा चकबन्दी अधिकारी के स्तर पर निस्तारण हेतु लम्बित हैं। क्या सरकार न्याय हित में किसी समयबद्ध योजनानुसार इनके निस्तारण की योजना बनायेगी। यदि हां, तो कब तक। यदि नहीं तो क्यों ?

इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, अगली बार उसको सुनिश्चित कर लेंगे।

श्री नित्यानंद स्वामी-

मान्यवर, जो आप से सम्बन्धित मामले हैं उनको सदन के अन्दर कृपापूर्वक न उठाया जाय। एक प्रकार से अवमानना हो जाती है। आपके चैम्बर में आकर के आपसे निवेदन कर लें।

श्री मुन्ना सिंह चौहान-

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, मंत्री जी ने कहा कि दोहरे व्यापार-कर की व्यवस्था नहीं है। मेरे ख्याल से कल ही एक नोटिस पर माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया था। इसमें कोई संशय नहीं है कि कोई दोहरा व्यापार-कर की व्यवस्था नहीं है परन्तु प्रश्न पूछने का आशय है कि बहुत सारे व्यापारी जो प्रदेश के अन्दर हैं चाहे वह मण्डी के व्यापारी हों चाहे वह फुटकर व्यापारी हो, चाहे होलसेल के व्यापारी हों या उपभोक्ता वस्तुओं के व्यापारी हों, चाहे दवा विक्रेता हों जो तमाम सामग्री के कर का भुगतान कर चुके हों, चाहे वह सेन्ट्रल सैल टैक्स हो चाहे मण्डी शुल्क हो, उस पर पुनः कर लिया जा रहा है क्योंकि उनसे यह कहा जाता है कि आपने जब दिया होगा आप पहले साबित करिए, इस तरह से उन वर्गों का और व्यापारियों का कर के नाम पर उत्पीड़न हो रहा है।

श्री अध्यक्ष-

अगर आपके पास सुनिश्चित जानकारी है तो मुझे उपलब्ध करा दें, मैं उस पर निर्देश जारी कर दूंगा।

श्री रमेश पोखरियाल "निशंक"-

मान्यवर, डाक्टर साहब ने प्रश्न किया था और माननीय श्री चौहान जी ने स्वतः ही स्पष्ट कर दिया कि इस सरकार ने दोहरे व्यापार-कर की कोई व्यवस्था नहीं की है।

मैं पुनः इस बात पर आता हूँ, जो बात आपने कही कि उत्तरांचल प्रदेश अलग राज्य हो गया है। उत्तर प्रदेश से जो सामग्री उत्तरांचल में आ रही है स्वतः ही यह राज्य अपने कर का निर्धारण करेगा। उत्तर प्रदेश ने लिया होगा क्योंकि यहां कोई कठिनाई न हो, माननीय मुख्य मंत्री जी के संरक्षण में उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री जी से भी बात की गयी और कोशिश की गयी कि हमारे व्यापारियों का किसी प्रकार से उत्पीड़न न हो, उसके लिए उत्तर प्रदेश से भी बात की गयी। 30 नवम्बर को हमने पहली विज्ञप्ति जारी की जिसमें उन्होंने यह कहा कि आठ तारीख से पहले-पहले जो भी सामग्री उत्तर प्रदेश से उत्तरांचल में आ गयी है, उसका टैक्स उत्तर प्रदेश में दे दिया गया है, वे जितने स्टोर है उसकी सूचना हमें 15 तक दी उस पर हमने यह कह दिया और टैक्स से मुक्त कर दिया। उसके बाद श्रीमन् जहां तक व्यवस्था का प्रश्न है कि पुनः व्यापारियों को कोई सहयोग दिया जाय, तो श्रीमन् उत्तरांचल सरकार ने संवेदनशीलता दिखाते हुए दो कदम आगे बढ़कर एक दूसरा महत्वपूर्ण निर्णय लिया। उत्तर प्रदेश सरकार से बात करने के बाद धारा-4 (क) जो यूनिटों को सुविधा दी जाती थी, चार वर्ष और पांच वर्ष की जो छूट रहती थी उस छूट को भी निश्चित अवधि तक जो उत्तर प्रदेश में रहते हुए ले ली है या समय निर्धारित हो गया, श्रीमन् उत्तर प्रदेश ने भी अधिसूचना जारी की है और उसी के परिपेक्ष्य में हमने भी जारी कर दी है कि धारा-4 (क) के अन्तर्गत जो सुविधा उन यूनिटों को है वह श्रीमन् जारी रहेगी और व्यापारियों के हित में हमने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया।

26 दिसम्बर को फिर एक अधिसूचना जारी की और वह बहुत महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी हुई जिसमें ढाई प्रतिशत जो कच्चा माल आता था, उत्तर प्रदेश से ही कच्चा माल आता है, यदि वह अधिसूचना हम जारी नहीं करते और उत्तर प्रदेश से सौहार्दपूर्ण वार्ता नहीं करते तो बहुत सारी यूनिटें संकट में आ जाती। यह बहुत ही महत्वपूर्ण अधिसूचना थी। जो कच्चा माल उत्तर प्रदेश से उत्तरांचल में आयेगा तो उस पर श्रीमन् दस प्रतिशत, बीस प्रतिशत और चार प्रतिशत नहीं बल्कि 2.5 प्रतिशत जो उत्तर प्रदेश में भी था। यदि यहां से उत्तर प्रदेश में आयेगा तो 2.5 प्रतिशत कर लगेगा और जो उत्तर प्रदेश से उत्तरांचल में आयेगा उस पर भी 2.5 प्रतिशत ही लगेगा, यह महत्वपूर्ण निर्णय सरकार ने लिया। 26 दिसम्बर को एक विज्ञप्ति और जारी की और उसमें हमने यह किया कि जो केन्द्रीय कर 4 प्रतिशत है, यदि वह उत्तर प्रदेश में दे दिया गया है तो उत्तर प्रदेश के साथ हमने यह पारस्परिक अनुबन्ध किया कि यदि वह 4 प्रतिशत केन्द्रीय कर उत्तर प्रदेश में दे दिया गया है तो उत्तरांचल में हम वह केन्द्रीय कर नहीं लेंगे।

एक और महत्वपूर्ण निर्णय इस सरकार ने और लिया जिसके बारे में कल अनुरोध कर चुका हूँ और हम यह कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारी यूनिटें हैं, उन पर किसी प्रकार का विपरीत असर न पड़े, उसका एक उदाहरण मंगलौर की जो गुड़ मण्डी है जो एशिया की दूसरे नम्बर की मण्डी है। उत्तर प्रदेश ... उस पर ढाई प्रतिशत टैक्स है और जब हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने उनसे बैठक क... तो यह महसूस किया कि यदि हम इस बिक्री कर को कम कर देते हैं तो हम एशिया ...ी पहली मण्डी बनाने में सफलता अर्जित कर सकते हैं। इसलिए सरकार का ऐतिहासि... फैसला रहा कि हमने उसे ढाई प्रतिशत से घटा कर डेढ़ प्रतिशत कर दिया। मैं फि... कहना चाहता हूँ। कि इस सरकार ने कोई दोहरे कर की व्यवस्था नहीं की है। जहां ...क इन व्यापारियों को असुविधाओं का सामना न करना पड़े, अब जहां तक व्यापार कर का संबंध है उस पर भी मैं कहना

चाहता हूँ हमने यह सारे डिपोज खोले हैं और जिस दिन सारे उत्तरांचल में ये सारे डिपोज खुल जायेंगे उस दिन व्यापार कर स्वतः ही समाप्त हो जायेगा। डिपोज की व्यवस्था हो रही है और उस दिशा में सरकार संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है।

काजी मोहम्मद मोइउद्दीन–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अभी मंगलौर गुड़ मण्डी का जिक्र किया और अभी 15 दिन पहले मैं मण्डी में गया था तो लाला लालचन्द्र वहां के सबसे बड़े आढ़ती हैं तो मैंने देखा कि सारे बिजनेसमैन हाथ–पर–हाथ धरे बैठे हैं, और दो–चार गाड़ियां ही वहां पर थी तो मैंने कहा कि भाई यहां पर तो बहुत शोर शराबा रहता था और गाड़िया भरी जाती थी। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूँ कि क्या अगले साल आप यह प्रस्ताव करेंगे कि वहां पर क्रिकेट का स्टेडियम बनवा दिया जाय।

श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

मान्यवर, काजी जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है कि जब हम यह कोशिश कर रहे हैं कि उसे एशिया की पहली मण्डी बनायी जाय तो वहां पर क्रिकेट का ही स्टेडियम नहीं बल्कि कई स्टेडियम बनेंगे, मैं पुनः कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में ढाई प्रतिशत शुल्क है और हमारे उत्तरांचल में डेढ़ प्रतिशत है। किसी भी प्रदेश में चाहे वह दिल्ली हो, हिमाचल हो और हरियाणा हो तो कोई भी व्यापारी ढाई प्रतिशत नहीं देगा बल्कि डेढ़ प्रतिशत देने के लिए वह हमारे यहां आयेगा।

अतारांकित प्रश्न

हरिद्वार जनपद में चकबन्दी के लम्बित मामले

3–श्री राम सिंह सैनी–

क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि हरिद्वार जनपद में कितने मामले संयुक्त संचालक चकबन्दी बन्दोबस्त अधिकारी तथा चकबन्दी अधिकारी के स्तर पर निस्तारण हेतु लम्बित हैं ?

क्या सरकार न्याय हित में किसी समयबद्ध योजनानुसार इनके निस्तारण की योजना बनायेगी ?

यदि हां, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

जनपद हरिद्वार में 01 जनवरी, 2001 तक लम्बित चकबन्दी वादों की कुल संख्या 5,405 है।

नियमान्तर्गत बन्दोबस्त अधिकारी द्वारा 150 वाद प्रतिमाह एवं चकबन्दी अधिकारी द्वारा 200 वाद प्रतिमाह निस्तारित किये जाने का लक्ष्य है। अधिवक्ताओं के उपस्थित न होने एवं पक्षों के द्वारा विलम्ब किये जाने के कारण निस्तारण का लक्ष्य सुनिश्चित नहीं किया जा सकता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पिथौरागढ़ में जनता को उनका परम्परागत हक-हकूक न मिलना

4-श्री बिशन सिंह चुफाल-

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में अस्कोट रेंज को वन विहार घोषित किये जाने के फलस्वरूप जनता को उनके परम्परागत हक-हकूक नहीं मिल पा रहे हैं ?

यदि हां, तो क्या सरकार इन हक-हकूक को बहाल करायेगी ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी-

जी हां।

मामला माननीय उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

मैं अब नियम 301 की सूचना ले रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री अम्बरीष कुमार-

मान्यवर, 311 के अन्तर्गत हमने एक महत्वपूर्ण सूचना दी है इसलिए पहले आप इसको सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

जिस समय आप राज्यपाल अभिभाषण पर चर्चा करेंगे उस समय अपनी सारी बातें कह देना। मैं इसे 311 में नहीं ले रहा हूं।

मुख्यमंत्री (श्री नित्यानंद स्वामी)-

मान्यवर, हम उत्तर देने के लिए तैयार हैं।

श्री अध्यक्ष-

माननीय श्री चौहान जी के इसमें भी हस्ताक्षर हैं और उसमें भी हस्ताक्षर हैं। [श्रीमती इन्दिरा हृदयेश और श्री मुन्ना सिंह चौहान ने अपने हस्ताक्षरों को विदड्रा किया]

श्री अम्बरीष कुमार-

मान्यवर, नियम 56 के अन्तर्गत आप इन दो सूचनाओं को सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। अब मैं नियम 301 की सूचनाओं को ले रहा हूं।

कोटद्वार (गढ़वाल) के निवासियों को उत्तरांचल के मूल निवासी होने का प्रमाण–पत्र

श्री अम्बरीष कुमार–

[मान्यवर, कोटद्वार (गढ़वाल) के लोगों जो वैश्य, पंजाबी, मुस्लिम, सिक्ख, हरिजन, गोरखाली ब्राह्मण, ईसाई, सैनी, चौहान, बाल्मीकी, प्रजापति जातियों से सम्बन्धित हैं, को उत्तरांचल के मूल निवासी होने का प्रमाण–पत्र नहीं दिया जा रहा है ये लोग लगभग 100–150 वर्षों से वहां रह रहे हैं। यह संविधान का उल्लघंन है तथा इन जातियों के अधिकारों का हनन है। इनके बच्चों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है जिससे गैर पर्वतीय निवासियों में भारी असन्तोष है। लगातार आश्वासन के बावजूद मूल निवास प्रमाण–पत्र न मिलने से स्थिति विस्फोटक हो रही है।

यह एक अविलम्बनीय लोक महत्व का विषय है अतः सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने का कष्ट करें।]

जनपद पिथौरागढ़ में अतिवृष्टि से प्रभावित परिवारों को मुआवजे की मांग

श्री बिशन सिंह चुफाल–

[मान्यवर, जनपद पिथौरागढ़ में दिनांक 9–8–2000 को ग्राम कौली हुड़की, गराली, कुटा, खेतार, कन्याल, वरम, तोली, घंटाबगड़ में अतिवृष्टि एवं भूस्खलन से 17 आदमियों की मृत्यु हो गई थी। 31 जानवर मलवे में दब गये थे, गोरी नदी में कौली के पास झूला पुल बह गया था। ट्राली के द्वारा ही लोगों का आना–जाना हो रहा है। 1500 नाली किसानों की भूमि नष्ट हुई है। जिसमें सारी खड़ी फसल भी नष्ट हो गई थी। फसल का मुआवजा अभी तक किसी को नहीं मिला है। 85 परिवार ऐसे हैं, जो वर्षात के दिनों में मकानों में रहने लायक नहीं है तथा टैन्ट विद्यालय में रहते हैं। इन प्रभावित परिवारों को वर्षात से पहले पुनर्वास की व्यवस्था की जाय।

अतः उपरोक्त परिवार जो प्रभावित है, उनको फसल का मुआवजा व पुनर्वास की व्यवस्था की जाय।]

शीतकालीन फलों के विपणन की व्यवस्था की मांग

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

[मान्यवर, उत्तरांचल में फलों का उत्पादन इस क्षेत्र के किसानों का मुख्य आर्थिक आधार है। फलों के सम्बन्ध में सरकार की कोई विपणन नीति नहीं है फलस्वरूप काश्तकार फल उत्पादन के प्रति उदासीन हो गये हैं। इस प्रदेश में माल्टा, नींबू तथा संतरों का उत्पादन व्यापक पैमाने पर होता है। सत्तर के दशक में सरकार द्वारा फल पट्टियों के

नोटः [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

विकास के लिए कार्यक्रम चलाये थे। उस समय क्षेत्र के काश्तकार फल उत्पादन के प्रति उत्साहित हुए थे, परन्तु सरकार की विपणन व्यवस्था न होने के कारण उत्पादन का मूल्य भी काश्तकारों को नहीं प्राप्त हो रहा है। वर्तमान सरकार ने भी दो माह व्यतीत हो जाने पर भी शीतकालीन फलों के विपणन नीति की कोई घोषणा नहीं की है। काश्तकारों की आर्थिक स्थिति इतनी सम्पन्न नहीं है कि अपने माल को बाजार तक ला सकें। माल्टा इस क्षेत्र का प्रमुख फल है, यदि इसे बाजार मिल जाये तो इस प्रदेश की अर्थ का प्रमुख साधन बन सकता है। सीमान्त इलाकों के काश्तकार लाखों टन माल्टा उत्पादन करके भी सैकड़ों रुपये नहीं कमा पाते हैं।

मैं सरकार का ध्यान शीतकालीन फलों के विपणन की तत्काल व्यवस्था किये जाने के प्रति आकर्षित करती हूँ]

रुड़की में नलकूपों की विद्युत दरों में वृद्धि

श्री राम सिंह सैनी–

[मान्यवर, मैं अपने क्षेत्र की एक अत्यधिक महत्वपूर्ण लोक महत्व की समस्या की ओर आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ तथा सदन से मांग करता हूँ कि समस्या का समाधान तुरन्त किया जाय मेरे विधान सभा क्षेत्र रुड़की में स्थित निजी नलकूपों की कृषि कार्य में उपयोग विद्युत दरों में बेतहाशा वृद्धि कर दी गई है जिससे वहा के कृषकों की अर्थिक स्थिति जर्जर हो रही है व उनके कृषि उत्पादन पर भी विपरीत प्रभाव हो रहा है। अधिकांश नलकूपों पर विद्युत भार 50.00 प्रति हार्स पावर की दर से जो कि इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड उ0प्र0 एल0एम0पी0 के अन्तर्गत अंकित है। परन्तु रुड़की अधिशासी अभियन्ता द्वारा निजी नलकूपों का विद्युत भुगतान व्यवसायिक दरें लगाकर आर0सी0 द्वारा वसूल कर कृषकों का उत्पीड़न किया जा रहा है। जिससे वहां के किसानों में आक्रोश एवं असन्तोष व्याप्त है।]

श्री अध्यक्ष–

अब मैं नियम 300 ले रहा हूँ।

विधान सभा समितियों का गठन के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम–200 में लिखा है कि प्रत्येक साधारण निर्वाचन के उपरान्त अर्थात प्रथम सत्र के प्रारम्भ होने पर और तदुपरान्त प्रत्येक वित्तीय वर्ष के पूर्व या समय–समय पर जब कभी अन्यथा अवसर उत्पन्न हो तो सदन द्वारा विभिन्न समितियों का विनिश्चय तथा निर्वाचन किया जायेगा या अध्यक्ष द्वारा नाम निर्देशित होंगे।

मान्यवर, जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम रह रहे है, उसका एक आवश्यक अंग है और यह समितियाँ विधान सभा में जो निर्णय लिये जाते हैं या जो आश्वासन दिये

नोटः [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

गये या अन्य विधायी कार्य हैं, उन पर निगरानी रखने का काम करती हैं। जितनी महत्वपूर्ण भूमिका इस सदन की है, इन समितियों की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण है और आपसे कहना चाहता हूँ कि बिना समितियों के इस सदन का काम भी अधूरा है। आज यह प्रथम सत्र का तीसरा दिन है इसलिए मेरा अनुरोध है कि इन समितियों के निर्माण की दिशा में आप कदम उठायें ताकि जो अधूरा काम है, वह पूरा हो सके। मान्यवर, एक निवेदन और कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश विधान सभा के माननीय अध्यक्ष द्वारा जारी की गई प्रक्रिया सम्बन्धी निर्देश हैं, इसमें विभागीय समितियों की भी व्यवस्था है। माननीय मुख्य मंत्री जी सत्ता पक्ष और विपक्ष के प्रति बहुत सद्भाव रखते हैं और उनका प्रयास भी है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष को एक साथ लेकर चला जाय, इसलिए मेरा अनुरोध है कि इन विभागीय समितियों का भी निर्णय हो जाय। माननीय मुख्य मंत्री जी की भी भावना है और प्रतिपक्ष की भी भावना है ताकि हम सब मिलकर इन विभागों के कार्य कलापों पर चर्चा कर सकें। उसके परिणाम इस राज्य के लिए और इस विधान सभा के लिए भी उत्तम होंगे और अच्छे होंगे। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि इन समितियों के साथ-साथ आप विभागों की भी स्थायी समितियाँ बना दें। यही मेरा अनुरोध है।

बजट कमेटियों का गठन के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने इस औचित्य के प्रश्न के माध्यम से ऐसे विषय को इस सदन में उठाने की अनुज्ञा चाही है, वह इस सदन की कार्यवाही से भी सम्बन्धित है। इस सदन का मुख्य दायित्व है प्रदेश के लिये बजट का पारण करना, विधायी स्वीकृतियां प्रदान करना। यह हमारे लिये सौभाग्य की बात है, आज हमारे बीच में माननीय मुख्य मंत्री जी बैठे हैं और वह उस सर्वोच्च पीठ पर विराजमान भी रहे हैं। उत्तर प्रदेश में रहते हुए भी विधान सभा तथा विधान परिषद् में लगभग सभी दलों से विचार-विमर्श करने के पश्चात् एक मत बना था कि जिस तरह से भारत की संसद में जो विभागीय बजट होते हैं और जिस पर सदन में चर्चा करते हैं और सदन के अन्दर जब सरकार अपने बजट प्रस्तावों को लेकर आती है तो उस पर चर्चा हो जाती है। पक्ष और विपक्ष से सुझाव भी आते हैं। लेकिन मान्यवर, यह अपने आप में एक व्यावहारिक कठिनाई भी है कि माननीय सदस्यों के विचार किसी भी रूप में बजट प्रस्तावों के सम्बन्ध में आते हैं तो अन्तिम समय में उनका समावेश करना असम्भव हो जाता है लिहाजा वह केवल एक चर्चा तक ही रह जाती है और उस चर्चा का लाभ प्रदेश की जनता को और सरकार को नहीं मिल पाता है। इसलिये जिस तरीके से भारत की संसद में बजट कमेटियां बनायी गई हैं क्योंकि कोई भी बजट प्रस्ताव सदन में चर्चा के आने से पूर्व सदन के सदस्यों की जो बजट कमेटी होती है वह उन प्रस्तावों पर गहन विचार-विमर्श करती है और उसमें जो सुझाव आते हैं और अनुभव आते हैं, उनके आधार पर सरकार सदन में बजट प्रस्ताव लाने से पूर्व ही उन सुझावों और अनुभवों का समावेश कर लेती है।

हम श्रीमन्, एक नई शुरूआत इस विधान सभा में करने जा रहे हैं। मेरा यह प्रस्ताव प्रदेश के हित में होगा, प्रदेश के नियोजन और उसके प्रभावी नियंत्रण के लिये अच्छा होगा। यदि सरकार इस प्रकार का प्रस्ताव इन बजट कमेटियों के गठन के लिये

लाये तो सदन के अन्दर बजट प्रस्तावों पर सार्थक चर्चा हो सकती है। अन्यथा चर्चा एक रन डाउन एक्सरसाइज के रूप में हो जाती है, एक चर्चा की होड़ जैसी होती है। चर्चा चर्चा के लिये हो जाती है और उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यदि ऐसा होता तो आने वाले वर्ष में सरकार उन सुझावों को समावेशित करती परन्तु ऐसा होता नहीं है। इसलिये मेरा आपसे अनुरोध है कि आप यहां पर बजट कमेटियां बना दीजिये। उसके बाद सदन के अन्दर जो चर्चा बजट प्रस्तावों पर होगी, वह सार्थक होगी और माननीय सदस्यों का बहुमूल्य समय चर्चा करने में बर्बाद नहीं होगा। इसलिये मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं और माननीय मुख्य मंत्री जी से भी अनुरोध करता हूं कि क्योंकि वह विपक्ष को भी साथ लेकर चलते हैं, इसलिये हमारे विचारों का समावेश बजट प्रस्तावों में हो जाय, इसलिये इनका गठन आप कर दें।

श्री अध्यक्ष–

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी तथा माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से विचार-विमर्श करके इस पर शीघ्र कार्यवाही करूंगा।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, ऐसा हो जाय कि एक बार सभी दलों के माननीय सदस्यों को बुलाकर इस पर चर्चा हो जाय तो अच्छा रहेगा।

मुख्यमंत्री (श्री नित्यानन्द स्वामी)–

मान्यवर, सुझाव अच्छा है। इसका पहले अध्ययन करना होगा। लोक सभा में क्या है और उत्तर प्रदेश में क्या हुआ। हमारे यहां पर अपर हाऊस में बजट आता नहीं केवल सामान्य चर्चा होती है। इसका अध्ययन हम करेंगे। यद्यपि यह औचित्य में नहीं आता क्योंकि बजट एक गोपनीय दस्तावेज होता है जिसके प्रस्तुतीकरण से पहले हवा भी नहीं लगनी चाहिये। ब्रीफकेस में बन्द होकर आता है। पहले हम इसका अध्ययन कर लेते हैं, आपसे भी परामर्श कर लेंगे।

श्री अध्यक्ष–

नियम 64 के अन्तर्गत श्रीमती इन्दिरा हृदयेश जी सूचना है।

संयुक्त शिक्षा निदेशक कुमायूं मण्डल के विरुद्ध

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैंने दिनांक 09-01-2001 को सांय 4.30 बजे संयुक्त शिक्षा निदेशक, कुमायूं मण्डल श्री चन्द्र सिंह ग्वाल के मोबाईल फोन नं० 9837090742 पर उनसे जानना चाहा कि काफी लम्बे समय से लम्बित सनातन धर्म कन्या इण्टर कालेज, रुद्रपुर (ऊधमसिंह नगर) की सहायक अध्यापिका श्रीमती प्रभा गुणवन्त की पदोन्नति के प्रकरण पर उन्होंने क्या कार्यवाही की है। मैंने उनसे यह भी जानना चाहा कि सत्र के मध्य में उन्होंने स्थानान्तरण

किस आधार पर किये हैं। प्रमुख विद्यालयों में सत्र के मध्य में स्थानान्तरण करने से स्थानान्तरण के इच्छुक अभ्यर्थी स्थानान्तरण हेतु दबाव बना रहे हैं। इस पर श्री ग्वाल ने मुझे उत्तर दिया कि "क्या आप मुझसे चिढ़ती हैं? मैं किसी से डरता नहीं, मेरा आप कुछ नहीं बिगाड़ सकती हैं, मेरे कार्य के बारे में पूछने का आपका कोई अधिकार नहीं है, जिसने भी मेरे बारे में आपसे शिकायत की है मैं उसे पचास जूते मारूंगा, आप मुझे नाम बताए आदि–आदि"। इस प्रकार टेलीफोन पर अत्यन्त अशिष्ट एवं अमर्यादित भाषा का प्रयोग संबंधित अधिकारी द्वारा किया गया। इनके इस प्रकार के व्यवहार की पूर्व में भी शिकायतें रही हैं। जनसेवा के अपने कर्तव्य निर्वहन में हम सब जनता के प्रति उत्तरदायी हैं। अधिकारी भी अपने इस उत्तरदायित्व से विमुख नहीं हो सकते हैं।

संबंधित अधिकारी ने अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर मुझे अपमानित किया है। इस प्रकार मुझ में नीहित जन सेवा के विशेषाधिकार के प्रयोग से मुझे वंचित करने का भी प्रयास किया गया है। मुझे विश्वास है कि जन प्रतिनिधियों के विशेषाधिकार की रक्षा यह सदन अपने संवैधानिक दायित्व का निर्वहन करेगा।

मान्यवर, मैंने उस भाषा को इसमें नहीं लिखा जो उन्होंने टेलीफोन पर मुझे दी। मैंने उतना ही लिखा जो मर्यादा के अन्दर आता है और टेलीफोन पर किसी अधिकारी द्वारा ऐसी भाषा का प्रयोग करना भी उचित नहीं है। मैं तो जन प्रतिनिधि होने के नाते पूछ रही थी। यदि कोई व्यक्ति भी पूछता है तो उसके साथ भी इस तरह की अमर्यादित भाषा का प्रयोग अधिकारी को नहीं करना चाहिये। इसलिये मैंने उन चीजों को लिखा है जो संसदीय परिधि के अन्तर्गत आ सकती थी। मान्यवर, सदन के प्रथम सत्र में ही किसी अधिकारी के आचरण के खिलाफ विशेषाधिकार का मामला लाना पड़े, यह कोई बहुत अच्छा सुखद अध्याय नहीं है। लेकिन कुछ भ्रष्ट से युक्त अधिकारी हो सकते हैं, कुछ अहंकार से, कुछ अर्थ अहंकार से और कुछ शक्ति के अहंकार से इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं। मैंने उनसे निवेदन ही किया। उत्तर प्रदेश के अन्दर तो शिष्टाचार की नियमावली है और उसका पालन उत्तरांचल में भी किया जा रहा है। 1974 से मुझे सदन में बैठने का अवसर मिला है। तत्कालीन मुख्यमंत्रियों और प्रमुख सचिवों द्वारा शिष्टाचार संबंधी निर्देश अधिकारियों को जाते रहे हैं। जब कोई जन प्रतिनिधि उनके पास जायेगा तो किस प्रकार का उसे स्वागत करना चाहिये, यही नहीं अधिकारी जन प्रतिनिधि के प्रश्न का उत्तर ही नहीं देगा बल्कि उसे कन्फर्म भी करेगा कि उन्हें प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ।

यह केवल मेरा अपमान नहीं है बल्कि यह अपमान इस सदन के माननीय सदस्यों का है, सदन का है। व्यक्तिगत अपमान से तो हम कहीं ऊपर उठ चुके हैं। परन्तु इस प्रकार की भाषा का प्रयोग टेलीफोन पर करना, मैं समझती हू कि किसी भी अधिकारी के लिये उचित नहीं है। यह कहना कि आप हमारा क्या बिगाड़ लेंगी या नहीं बिगाड़ पायेंगी, यह तो जो सरकारी सेवा नियमावली है, उसके अनुसार होगा। माननीय मुख्य मंत्री जी उत्तर प्रदेश में भी उस सर्वोच्च पीठ पर भी बैठे और माननीय सदस्यों के अधिकारों के प्रति वह काफी संवेदनशील भी रहे और उन्होंने कई मामलों में विशेषाधिकार के मामलों पर सख्ती से कार्यवाही भी की। मेरा कहना है कि अधिकारियों/कर्मचारियों को अपनी मर्यादा की परिधि में ही रहना चाहिये, उसका उल्लंघन नहीं करना चाहिये। इसलिये

मान्यवर, आप मेरे इस विशेषाधिकार के हनन के मामले को गम्भीरता से लेंगे। ऐसा न हो कि हमने यहाँ पर प्रश्न किया और वह व्यर्थ चला गया।

श्री नित्यानन्द स्वामी–

सम्भवतः माननीय सदस्यों को उठने की आवश्यकता न पड़े। क्योंकि हमारी यह धारणा है कि सदन के अन्दर किसी भी माननीय सदस्य द्वारा कही गयी बातों के लिये जांच की भी आवश्यकता न पड़े, फिर भी हम उस विषय में जो भी उचित कार्यवाही है, वह हम करेंगे। मुझे इस बात का कष्ट हुआ है कि हमारे इतने वरिष्ठ सदस्य के साथ ऐसा व्यवहार हुआ है। हम इसकी जांच भी करेंगे, जांच इसलिये भी करेंगे कि कितना दण्ड देना है। जो कथन आपने दिया है, उसको सत्य मानते हुए मैं स्वीकार कर रहा हूं। इसके ऊपर जो भी कार्यवाही होगी, क्योंकि विशेषाधिकार समिति बनी नहीं है, इसमें कार्यवाही करने में दिक्कत आयेगी इसलिये हम अपनी ओर से आपको इस बात के लिये आश्वस्त कर रहे हैं कि क्यों हमारे यहां ऐसी बात उठे, हम कार्यवाही करेंगे। यहां पर माननीय सदस्यों से भी कहना चाहता हूं कि आजकल एक बड़ा भारी झंझट हो गया है। हमारे प्रशासनिक कार्य के क्षेत्र के अन्तर्गत कोई दो एम०एल०ए० एक अधिकारी के स्थानान्तरण की बात करते हैं और दो एम०एल०ए० इस बात के लिये दबाव डालते हैं कि स्थानान्तरण नहीं होना चाहिये। यह प्रशासनिक कार्य है। प्रशासन को अपना कार्य करने दें। आपका सुझाव आ गया, सरकार उस सुझाव को स्वीकार करें या न करें। हम अधिकारियों के साथ बैठकर बात करेंगे, फिर कोई ऐसा झंझट नहीं होगा। वह यह सोचते हैं कि दबाव डाला जा रहा है। आपने तो सामान्य बात कही। हम इसे देखेंगे कि आगे से ऐसी कोई बात न हो।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

माननीय अध्यक्ष जी, संबंधित अधिकारी के बारे में क्या ऐक्शन हो, इसमें आगे कहने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि शासन के सर्वोच्च स्थान पर बैठे व्यक्ति ने आश्वासन दे दिया है और उसमें जो कुछ भी अपेक्षित कार्यवाही हो सकती है ,वह किया जायेगा। मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। हम इस विधान सभा के सदस्य हैं और माननीय मुख्य मंत्री जी ने इंगित भी किया कि हम लोगों की अपनी कुछ सीमायें हैं, उसको हम निश्चित रूप से आत्मसात करते हैं। ऐक्जिक्यूटिव फंक्शन में हमें दखलान्दाजी करने का कोई अधिकार नहीं है, इसे भी हम सहर्ष स्वीकार करते हैं लेकिन जनहित कार्यों के लिये और अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिये यदि हम सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों के बारे में गुणदोष के आधार पर टिप्पणी करने से भी वंचित हो जायेंगे और उसे भी संज्ञा दी जायेगी कि यह दखलान्दाजी कर रहे थे कि फलां अधिकारी को हटा दो और फलां अधिकारी को रख दो तो निश्चित रूप से हम प्रभावी ढंग से हमें अपने दायित्वों का निर्वहन करने में कठिनाई आयेगी और हम और आप उस दायित्व का निर्वहन नहीं कर पायेंगे। इसलिये यह भी एक परम्परा पनपती जा रही है लेकिन तजग कभी भी जन प्रतिनिधि विशेष रूप से सांसद और विधायक किसी अधिकारी के आपत्तिजनक आचरण या आपत्तिजनक कृत्य के बारे में या निश्चित रूप से मेरे क्षेत्र में कोई ऐसा अधिकारी है, जिसके बारे में हमें लगता है कि इसका आपत्तिजनक कृत्य है और जनहित में नहीं है

तो उसकी शिकायत हो सकती है और इस शक्ल में हो सकती है कि उसे आप हटा लीजिए और उस पर कार्यवाही की जायेगी। कदाचित् माननीय मुख्य मंत्री जी का कहने का आशय बिल्कुल यह नहीं है, हम उन्हें एक लम्बे समय से जानते हैं लेकिन निश्चित रूप से अपने आप में यह एक दृष्टान्त है कि इस हद तक वह भी माननीया डाक्टर इन्दिरा हृदयेश जी जैसी स्टेन्डिग लेजिस्लेटर, जिन्हें उत्तर प्रदेश विधान परिषद् या विधान सभा में 26 वर्ष तक विधायक रहते हुए हो गया है यदि उनके साथ ऐसा आचरण हो सकता है तो किसी नये सदस्य के साथ क्या व्यवहार होगा। यह हम देखते आये हैं इसलिये जो भावनायें आपने व्यक्त की हैं, मैं आपकी अनुमति से उन भावनाओं से अपने को सम्बद्ध करता हूं। हम सभी इस बात से आहत हैं।

श्री अध्यक्ष–

चूंकि विषय अत्यन्त गम्भीर है और सदन के सभी माननीय सदस्यों के सम्मान से जुड़ा हुआ है इसलिये इस विशेषाधिकार हनन के नोटिस को स्वीकार करते हुए मैं इस पर आवश्यक कार्यवाही कर रहा हूं और शीघ्र ही इसमें कार्यवाही होगी।

अब मैं नियम 56 की सूचनायें ले रहा हूं।

कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री राम सिंह सैनी–

मान्यवर, नियम 311 के अन्तर्गत आप हमारी सूचना को सुन लें।

ऊर्जा सिंचाई एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री भगत सिंह कोश्यारी)–

मान्यवर, नियम 311 के अन्तर्गत जो सूचना है, वह गृह मंत्रालय से संबंधित है। इसे नियम 56 में करने की बात कही गई थी। इसे आप नियम 56 में कर दीजिये।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, मैंने और माननीया डाक्टर इन्दिरा हृदयेश जी ने अपने को उस सूचना से विदड्रा कर लिया था इसलिये आप इन दोनों सूचनाओं को नियम 56 में सुन लें।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, 9 जनवरी, 2001 को राज्य को गठित हुए दो माह व्यतीत हो चुके हैं। उत्तरांचल राज्य के बंटवारे और उससे होने वाली सम्भावनाओं में सरकार की स्थिति अत्यन्त चिन्ताजनक है। इस राज्य में 17 छोटी–बड़ी जल विद्युत परियोजनायें हैं, जिनसे 1100 मेगावाट बिजली का उत्पादन प्रति दिन हो रहा है। उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन

एवम् जल विद्युत उत्पादन निगम के बीच हुए अनुबन्ध के अनुसार, उत्तरांचल राज्य में उत्पादित होने वाली बिजली पर 3 वर्ष तक उत्तरांचल का कोई अधिकार नहीं होगा। उत्तरांचल के जल विद्युत परियोजनाओं से उत्पादित होने वाली बिजली मात्र 36 पैसे प्रति यूनिट की दर से अगले तीन साल तक ऊर्जा निगम को दी जाती रहेगी। इस प्रकार इस क्षेत्र में उत्पादित बिजली के लिये उत्तरांचल की सरकार को उत्तर प्रदेश की सरकार पर निर्भर रहना पड़ेगा।

अनुबन्ध के अनुसार अगले तीन साल तक उपभोक्ताओं से होने वाला राजस्व उत्तर प्रदेश के खाते में जायेगा। इस प्रकार इस राज्य को अकेले ऊर्जा क्षेत्र से डेढ़ अरब रुपए का राजस्व का नुकसान अगले तीन साल तक होगा। 1 नये राज्य के सम्बन्ध में यह स्थिति अत्यन्त चिन्ताजनक है। परिसम्पत्तियों के बंटवारे की स्थिति जानकर क्षेत्र की जनता में भारी रोष और आक्रोश है इसलिये इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर चर्चा कराने के लिये यह सदन अपनी आज की कार्यवाही को स्थगित करे। मान्यवर, हमारी राय में यह एक बहुत चिन्ता की बात है कि तीन वर्ष तक लगातार उत्तर प्रदेश बिजली लेता रहेगा और बिजली 35–36 पैसे में खरीदी जायेगी। जहां तक उत्तर प्रदेश पुनर्गठन 2000 की चर्चा है मैं समझती हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार के साथ आप इसका निपटारा करा लेंगे। यदि इसमें कहीं कोई कठिनाई आ रही है तो केन्द्र सरकार के हस्तक्षेप से किया जायेगा, उसमें इसका स्पष्ट उल्लेख है। यदि डेढ़ अरब रुपए तीन वर्ष तक हमारी देने की बाध्यता है और 1100 मेगावाट बिजली उत्पादन करने के बाद भी हम कंगाल हैं और उनकी कृपा पर निर्भर हैं तो इस राज्य की जनता के लिये और प्रदेश के लिये, इस सरकार के लिये और हम सब के लिये चिन्ता की बात है। यदि उत्तर प्रदेश सरकार ने यह करार किसी मैसे समय में किया था और वह अब हमें झेलना पड़ रहा है तो यह चिन्ता की बात है। यदि उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तरांचल राज्य के बीच उस करार के संबंध में कोई बात–चीत हो जाय तो कोई रास्ता निकल सकता है।

मैं उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय ऊर्जा मंत्री जी के वक्तव्य को सुन रही थी कि यहां पर भी लोकतांत्रिक कांग्रेस की सहायता से उत्तरांचल में सरकार चलायेंगे, चलो यह खुशी की बात है। छोटे भाई और बड़े भाई के अन्तर्गत बड़ी संवेदनशील विदाई के द्वारा कहा गया कि बड़े भाई हम हैं और छोटे भाई आप हो। ज्यादातर बड़ा भाई छोटे भाई को हिस्सा कम देता है और ऐसा देखा भी गया है। सम्पत्ति के बंटवारे में बड़ा भाई ज्यादा दबा लेता है, लेकिन इतनी दबा ले जिसमें कोई दिक्कत न हो। लेकिन जहां तक आय का सवाल है हमारे पास वेतन बांटने के लिये भी पैसा नहीं है। विशेष राज्य का दर्जा हम मांग रहे हैं। तमाम बेरोजगार की फौज इधर–उधर घूम रही है, पैसा मांगने के लिये और नियुक्ति के लिये। हमारे क्षेत्र में, यह कहना कि हमने लगायी थी, जब उत्तर प्रदेश में इस पुनर्गठन विधेयक पर बहस हो रही थी तो बड़ी–बड़ी बातें कही गई कि हमने पैसा दिया, जब हम एक जगह में थे तो हमने भी तो उसमें पैसा लगाया। फिर हम यह कहें कि जल का आपने इस्तेमाल किया और उसका वितरण भी वहां से हो, यह तो उल्टे किस्म के प्रश्न होंगे। इस समस्या के समाधान में अगर केन्द्र सरकार के हस्तक्षेप की बात चाहिये, हो सकता है आपने बातचीत की हो और ले लिया हो और उत्तर प्रदेश सरकार तीन वर्ष तक डेढ़ अरब रुपया रखना चाहे तो हम इसका घोर विरोध करते हैं

और इसी भावना के साथ हम इसे यहां लाये हैं। अगर आपको सड़क में उतरने में कठिनाई हो तो हम सड़कों पर उतरने को तैयार हैं। यह अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य स्थगन का प्रश्न है। आप हमें बतायें कि आप हमसे क्या अपेक्षा करते हैं, विपक्ष के रूप में हम आपकी सहायता करेंगे ताकि अपने राजस्व को वसूल करने में हम समर्थ हो सकें।

ऊर्जा सिंचाई एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री भगत सिंह कोश्यारी)–

मान्यवर, वैसे तो आपने ऊर्जा पर अलग से वक्तव्य देने के लिए समय निर्धारित किया होगा चूँकि यह विषय महत्व का है और आपने इसको लिया है। मैं माननीय सदस्य की जो चिन्ता है, उस चिन्ता से मैं अपने को असम्बद्ध नहीं कर सकता क्योंकि उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन और जल विद्युत निगम, ये दोनों निगम उत्तर प्रदेश के हैं और इन दोनों निगमों ने 18–12–2000 को एक समझौता किया है और उस समझौते के अन्दर यह समझौता है कि 36 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से उत्तर प्रदेश जल विद्युत उत्पादन निगम 3 वर्ष तक उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन को बिजली देगा। एक प्रश्न यह उठता है कि आखिर यह जल विद्युत निगम कब तक रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा क्योंकि उसका 70 प्रतिशत भाग जल विद्युत उत्पादन निगम का उत्तरांचल में है और उत्तरांचल जल विद्युत निगम को हम बहुत ही जल्दी गठित करने जा रहे हैं।

मैं आपका ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहता हूँ कि जो हमारा विधेयक है, विधेयक की धारा 43 में स्पष्ट कहा गया है कि जो हमारी परिसम्पत्ति है और जहाँ पर है, जो भूमि जहाँ पर है, जो स्टोर्स जहाँ पर हैं, मूलरूप से वे सभी चीजें उसी राज्य की होंगी। इसके अलावा धारा 63 के अन्तर्गत अलग से पावर कारपोरेशन और जल विद्युत निगम हैं, आख्या आ गई है, उसमें चूँकि सारा प्रबन्धन, चाहे इस प्रकार के कारपोरेशन जो भी हों, चाहे वह बिजली हो, फाइनेन्स हो, कृषि उत्पादन की बात चल रही थी, वन निगम की बात चल रही थी, सारे कारपोरेशन चूँकि सरकार के अंग होते हुए भी उनकी व्यवस्थायें कारपोरेशन के रूप में दोनों प्रान्तों में चल रही थी। सम्भवतः कारपोरेशन के बारे में सेन्टर ने जब बिल बनाया है तो उसमें थोड़ा सा अलग से एक धारा जोड़कर के कि उसमें कुछ–कुछ ये–ये चीजें आगे तक चलेंगी। जैसे बिजली की व्यवस्था ताकि तत्काल उत्तर प्रदेश में भंग न हो, उत्तरांचल में न हो, पानी की व्यवस्था उत्तरांचल में भंग न हो और उत्तर प्रदेश में भंग न हो, रोडवेज यहाँ भंग न हो और वहाँ भंग न हो, यानी जनता के हित को देखते हुए और दोनों राज्यों के हित को देखते हुए सम्भवतया केन्द्र सरकार ने उसमें कह दिया कि एक वर्ष से पहले जब तक दोनों सरकारों में समझौता न हो जाय तब तक यह व्यवस्था जारी रहेगी। सामान्य रूप से किसी भी स्टेट में, जो भी स्टेट अलग हुए हैं, उनमें यह व्यवस्थायें जारी रहती हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपकी चिन्ता बिल्कुल सही है कि कहीं हमारी परिसम्पत्तियों में कहीं ऐसा न हो कि हमें कम मिलें। धारा 43 के हिसाब से तो वह हमारी सम्पत्ति पर कुछ भी नहीं कर सकते और इसी प्रकार से 66 जरूर ऐसी व्यवस्था है, उनको हम अपने यहाँ रख लेंगे। हमारी जो भी परिसम्पत्तियाँ हैं, भौगोलिक अधार पर ये परिसम्पत्तियाँ हमारी अपनी परिसम्पत्तियाँ हैं। इस नाते से कि उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन की आगे क्या स्थिति होगी और जल विद्युत निगम की क्या स्थिति होगी, इसके बारे में मैं नहीं जानता पर जब हमारा जल विद्युत निगम बन जायेगा तो अपने आप ही हमारी सम्पत्ति हो जायेगी और वह समझौता हम पर लागू नहीं हो सकता।

मान्यवर, मैं दूसरी बात की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूँ, अभी भी यह जो उन्होंने समझौता किया है, यह फाइनल नहीं हुआ है क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो तीसरा निगम है, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत नियामक आयोग, उन्होंने हमसे कहा है कि अगर आपको कोई आपत्ति हो तो आप अपनी आपत्ति दर्ज करें। उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि बिना हमारी सहमति के यह समझौता हो ही नहीं सकता। 8 तारीख के बाद उत्तर प्रदेश एक तरफ कुछ नहीं कर सकता। तो जो कारपोरेशन में कुछ ऐसे बैठे हुए सामान्य अधिकारी हैं, कुछ न कुछ मिस्टेक करते रहते हैं। जो भी उन्होंने कहा हो, आप तय मानकर चलिये कि हम अपने राज्य का अहित नहीं होने देंगे। जो पीड़ा आपको है, उससे कम पीड़ा हमको भी नहीं है, इसलिए परिसम्पत्तियों के बारे में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आयेगी। हमने 10 फरवरी को उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री जी से मेरी बात हुई थी, मैंने कहा कि आप इसे जल्दी करिये। वह विदेश जा रहे थे, नहीं तो यह 20 तारीख तक तय हो जाता। हम लोग बैठ करके और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री जी भी बैठेंगे और हमारा विश्वास है कि पहले तो यह मामला उत्तर प्रदेश में ही सोल्व हो जायेगा, अगर कहीं पर कोई विषम परिस्थिति आ जाती है तो हम केन्द्र सरकार से कहेंगे। परन्तु अपने राज्य का अहित नहीं होने देंगे।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, ठीक है। डेढ़ अरब रुपये का राजस्व है। अपना पैसा आप ले आइये, इसी आशय के साथ यह कार्य स्थगन का प्रस्ताव मैं लेकर आयी ।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

अभी तो डेढ़ अरब व दो अरब की बात ही नहीं है। दूसरी बात मैं यह बता दूँ कि जो भी हमारा पैसा वहाँ जा रहा है, 8 तारीख के बाद जो भी पैसा हमारा वहाँ जायेगा, उसका पूरा हिसाब रखा जायेगा।

श्री अध्यक्ष–

सारी बातें आ गई हैं। वक्तव्य सरकार दे रही है। इसे मैं अग्राह्य करता हूँ।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

माननीय अध्यक्ष जी, कल ही हम इस सदन के अन्दर नलकूपों को बिजली आपूर्ति के सम्बन्ध में चर्चा कर रहे थे। कहीं न कहीं माननीय मुख्य मंत्री जी से मुलाकात करके चूँकि उन्हें स्वयं प्रदेश के कई स्थानों की जानकारी है और वह स्वयं जानते भी हैं कि इस समय पूरे प्रदेश में लगभग सूखे की स्थिति है। विन्टर रेन्स के नाम पर थोड़ी वर्षा कहीं कहीं हुई लेकिन आज पूरा प्रदेश सूखे की चपेट में है। पर्वतीय क्षेत्र में जहाँ पर किसान को पूरी तरह से वर्षा पर निर्भर रहना पड़ता है वहाँ गेहूँ और इस मौसम की सभी फसलें चौपट हो चुकी हैं। जिन जगहों पर नलकूपों से सिंचाई होती है, कल ही एक तारांकित प्रश्न में माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने जानकारी दी थी कि प्रदेश के अन्दर जो 600 नलकूप हैं, उसमें से 100 नलकूप खराब पड़े हुए हैं और माननीय मंत्री जी ने

यह भी स्वीकार किया था कि फिलहाल धन की व्यवस्था नहीं है इसलिए इन नलकूपों को ठीक नहीं कराया जा सकता। लगभग 15 प्रतिशत नलकूपों के हिसाब से देखें तो उस रूप में फसलें प्रभावित हो गई हैं। उसी के सन्दर्भ में जब आदरणीय काजी जी बोल रहे थे और माननीय श्री सैनी जी बोल रहे थे, बाढ़–बन्दी के सवाल को लेकर और सत्ता पक्ष के श्री राजेन्द्र सिंह जी ने पूछा था कि कमाण्ड एरिया जो होती है, उसका हिसाब 24 घंटे विद्युत आपूर्ति के हिसाब से होती है। पुनः माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने जानकारी दी कि औसतन प्रत्येक नलकूप को हम 8 या 9 घण्टे बिजली दे पा रहे हैं, कुल मिलाकर 24 घण्टे में 8–9 घण्टे हम दे पा रहे हैं, इसका मतलब यह है कि हम केवल 1/3 ही दे पा रहे हैं, लगभग कमाण्ड एरिया 1/3 का ही सिंचन क्षमता दे पा रहे हैं।

मान्यवर, जहां तक मानव निर्मित ससाधनों का सवाल है, नलकूपों के निर्माण का सवाल है, नहरों के निर्माण की बात है, यह अपने आप में एक सत्यता है कि किसान की बहुत बड़ी निर्भरता वर्षा पर रहती है और वर्षा हो जाती है तो इन सब की प्रतिपूर्ति हो जाती है और उन सब की फसलें नष्ट नहीं हो पाती। श्रीमन् जैसा हम सभी जानते हैं कि न केवल प्रदेश के अन्दर ही बल्कि देश के अन्दर बीज और खादों पर छूट दी जाती थी, वह धीरे–धीरे समाप्ति की तरफ है, लिहाजा खाद और बीज के नाम पर जो किसानों को व्यय करना पड़ता है, सबसे पहले किसान की चिन्ता यह होती है कि वह उसकी लागत कैसे वसूल की जाय, उसके बाद वह फायदा सोचता है और फिर अपनी रोजी–रोटी की सोचता है। आज स्थिति यह पैदा हो गयी है कि जिस कदर फसलों का नुकसान हुआ है, यदि कोई तत्काल कदम नहीं उठाये गये, किसानों को कोई रियायत नहीं दी गयी तो किसान नहीं तो अपनी लागत ही वसूल कर पायेगा। मैंने सरकारी तौर पर चर्चा में मैं अपनी यह बात कही और सदन के अन्दर भी विकास के स्वरूप की भी बात कही गयी____

मुख्यमंत्री (श्री नित्यानन्द स्वामी)–

मान्यवर, जिस सूचना पर माननीय सदस्य बोल रहे हैं, हमारे पास उसकी प्रतिलिपि नहीं है, अगर आप अचानक बमबार्डमेन्ट करेंगे तो हमारे पास बचाव के लिए कोई रास्ता ही नहीं है।

श्री मुन्ना सिंह चौहान

मान्यवर, मैंने तो समय सीमा के अन्दर ही सचिवालय को अपनी सूचना दे दी थी।

मुख्यमंत्री (श्री नित्यानन्द स्वामी)–

माननीय अध्यक्ष जी, आप कृपा करके कल के लिए इसको रख दीजिए, यदि आपकी अनुमति हो तो। हमारे मा० मंत्री श्री राम विलास पासवान जी यहां पधार रहे हैं और 2.00 बजे के कार्यक्रम में उपस्थित रहना है। अगर इस बीच के मदों को छोड़ कर आप नगर पालिका विधेयक को ले लें तो आपकी कृपा होगी।

श्री अध्यक्ष–

विशेष परिस्थिति में कल इसे ले लेंगे। माननीय मुख्य मंत्री जी ने असमर्थता जाहिर की है।

श्री अम्बरीष कुमार–

दुबारा तो इसे लिखकर नहीं देना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष–

इसे मैं कल के लिए करता हूँ लेकिन यह परम्परा नहीं बनेगी।

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 का अनुकूलन एवं उपान्तर) अध्यादेश, 2000 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2001

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह संकल्प प्रस्तुत करता हूँ कि यह सदन उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 का अनुकूलन एवं उपान्तर) अध्यादेश, 2000 का अननुमोदन करता है।

श्रीमन् जो कुछ कहना था अध्यादेश के अननुमोदन के बारे में कहना था। यह विधेयक तो उस अध्यादेश के माध्यम से अंगीकृत करने के लिए लाया गया है। अध्यादेश के अननुमोदन के बारे में मुझे यह कहना है कि उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 जिसको उत्तरांचल संशोधन के रूप में प्रस्तुत किया गया है, श्रीमन् उसके बारे में जब से संविधान का 73वां व 74वां संशोधन भारत की संसद द्वारा पारित किया गया है, तभी से जिस तरीके से लोकसभा व विधान सभा के लिए उस सदन की अवधि निर्धारित होती है, ठीक उसी प्रकार से पंचायती संस्थाओं, लोकल बॉडीज, नगरपालिका, नगरपालिका परिषद् और नगर पंचायतें हैं, उनके लिए भी कार्यकाल निर्धारित कर दिया गया, उसकी निहित भावना यही है कि किसी भी दशा में इन संस्थाओं को स्थगित न रखा जाय और समय रहते हुए इनका निर्वाचन करा लिया जाय। जब पांच वर्ष पूरे हो जायं, संविधान के अनुच्छेद 243 (प), जिसमें नगरपालिकाओं की अवधि के बारे में उपबन्ध किये गये हैं। संविधान के अनुच्छेद 243 (प) के मुताबिक पांच वर्ष की अवधि पूरा होते ही नये बोर्ड का गठन कर दिया जायेगा। सरकार के सामने व्यावहारिक कठिनाई भी हो सकती है, जिस किसी कारणवश जिसके ऊपर यह अध्यादेश हुआ था, देखने में यह आया कि चाहे नगरपालिका हरिद्वार और नगरनिगम देहरादून का सवाल है, इसका सहारा लेकर एक परिपाटी बनती चलती जा रही है कि हम उन संस्थाओं के अन्दर जनप्रतिनिधियों को, जो चुने हुए हैं, उनको बिठाना चाहिए और चुने हुए जनप्रतिनिधि ही उसका संचालन करें।

संविधान की भावना के मुताबिक संविधान के 73वें 74वें में वहां पर प्रशासक बैठा करके काम चलाया जा रहा है जो निश्चित रूप से स्वस्थ्य संसदीय परम्पराओं, भावनाओं और संसदीय लोकतंत्र के विपरीत है और उसको बढ़ावा देने वाला नहीं है। लिहाजा श्रीमन् मैं यही कहूँगा कि इस विधेयक का अनुमोदन न किया जाय, इसलिए नहीं कि हरिद्वार नगरपालिका को लेकर हमें कोई विशेष संशय है बल्कि भविष्य में इस तरह की स्थितियों से कैसे निपटा जाय और कैसे चुने हुए जनप्रतिनिधियों के अधिकारों की रक्षा की जाय, इसके लिए हम यह प्रस्ताव करेंगे कि इसका अननुमोदन किया जाय। मैं इस सदन से सिफारिश करूंगा कि इस विधेयक का अननुमोदन किया जाय।

मुख्यमंत्री (श्री नित्यानन्द स्वामी)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2001 पर विचार किया जाय।

मान्यवर, मैं यह प्रारम्भ में ही बता दूँ ताकि इस पर ज्यादा विवाद न हो इसमें -एक संशोधन शासन की ओर से रखा गया है उसको मैं बता दूँ कि क्यों हम इस विधेयक को यहाँ पर लेकर आये। इन संस्थाओं का समय 10–11 दिसम्बर को समाप्त हो गया था और उत्तरांचल में कोई अलग से निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति नहीं हुई थी। और वह भी हम उत्तर प्रदेश से ही काम करा रहे थे और वहां से भी कोई सूचना इसके सम्बन्ध में नहीं आयी। कोई उनकी ओर से चुनाव प्रारम्भ करने के लिए जो अधिसूचना जारी की जाती है वह नहीं हुई और यह भी मैं आपको बता दूँ कि रुड़की और हरिद्वार दोनों नगरपालिकाओं में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे। अगर हम यह चाहते कि उनको आगे बढ़ाया जाय तो सम्भवतः यह कहा जाता कि हम पार्टी के हित में काम कर रहे हैं यह उचित नहीं है। चूँकि इसके अन्दर शब्द (नो लांगर) लिखा गया है। ऐसे काम की तो आपको प्रशंसा करनी चाहिए हमारे बहुत से कार्यकर्ताओं ने कहा कि हमारा कार्यकाल बढ़ा दीजिए, जब कानून के अन्दर ही नहीं है तो हम क्यों बढ़ायें। न्याय संगत है इसलिए हम इस अध्यादेश को विधेयक के रूप में यहां पर लाये। हमारा एक सरकारी संशोधन भी है उसको भी प्रस्तुत हो जाना चाहिए उसके बाद आप अपना संशोधन रखें।

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है, सदन की भाषा हिन्दी है, म्यूनिसपलटी एक्ट उत्तरांचल विधेयक, 2001 हमें अंग्रेजी में मिला है, इसका रूपान्तर हिन्दी में होगा, हमें उपलब्ध होना चाहिए।

श्री नित्यानन्द स्वामी–

ठीक है, हिन्दी हमारे पास है।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, उपलब्ध करा दिया जायेगा।

श्री राम सिंह सैनी–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2001 को इस सदन की प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें। समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिए जायेंगे।

माननीय अध्यक्ष जी, जैसे कि आप विज्ञ हैं कि हमारे संविधान की धारा 243 (क) में यह क्लियर प्राविधान है कि नगरपालिकाओं की अवधि पांच वर्ष से ज्यादा नहीं होगी। प्रत्येक नगरपालिका यदि तत्समय और प्रवृत्त किसी विधि के अधीन पहले ही विगठित नहीं कर दी जाती है तो प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से पांच वर्ष तक बनी रहेगी, इससे अधिक नहीं। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि अभी मुख्य मंत्री जी ने कहा कि हम अभी तक चुनाव आयोग का गठन नहीं कर पाये हैं, तो क्या मान्यवर, सरकार को यह नहीं चाहिए था कि समय रहते हुए जब वहां का चुनाव आयोग कार्य कर रहा है उनको एक तरफ से सूचना देते और यह इनका कर्तव्य था और मैं समझता हूँ कि इन्हें सूचना देनी चाहिए थी। समय से निर्वाचन होते, यही प्रजातन्त्र की मूल भावना है। चुने हुए जन प्रतिनिधि ही नगरपालिका और न्याय पंचायतों में बैठें, जैसा कि संविधान के 73वें, 74वें संशोधन में है। उसकी भी भावना यही है। मान्यवर, अब तो एक बात यह भी होनी चाहिए कि जब चुनाव हो रहे हों तो पहली बैठक की तिथि भी तय हो जानी चाहिए, यह नहीं कि चुनाव आज हो जाय और नगरपालिका अध्यक्ष टेकओवर कर ले और फिर 4-5 महीने के बाद बैठक करके। मैं समझता हूँ कि शीघ्रातिशीघ्र यहां पर हमारे प्रदेश में चुनाव हों और जन प्रतिनिधि उस आसन को ग्रहण करें इसीलिए मैंने एक प्रवर समिति को सन्दर्भित करने हेतु अपनी बात की है जिसकी रिपोर्ट एक माह में आ जाय और विचार-विमर्श करके यहाँ पर एक संशोधन प्रस्तुत करें और सरकार के सामने भी पूरी की पूरी जानकारी आ जाये।

श्री अम्बरीष कुमार--

मान्यवर, जो आज यह संशोधन राम सिंह सैनी जी द्वारा प्रस्तुत किया गया है उसका मैं समर्थन करना चाहता हूँ माननीय मुख्य मंत्री जी बता रहे थे कि संयुक्त चुनाव आयोग संसदीय निकायों के चुनाव भी देख रहे हैं। इस सम्बन्ध में मैं यह जानकारी चाहता हूँ कि उत्तरांचल का गठन जिस समय हुआ उत्तर प्रदेश में उस समय स्थानीय निकायों के चुनावों की अधिसूचना जारी हो चुकी थी और जनपद हरिद्वार उन 71 जनपदों में एक है जिसमें 5 वर्ष पूर्व एक साथ चुनाव कराये गये थे। उस जनपद के लिये भी नगरपालिका के चुनाव की पूरी तैयारी हो चुकी थी, कक्षों का भी परिसीमन हो चुका था और मतदाता सूची भी तैयार हो गई थी और जो कर्मचारी चुनाव में कार्य करते हैं उनके प्रशिक्षण हेतु पूरे निर्देश हरिद्वार जनपद में आ चुके थे क्योंकि यह संवैधानिक बाध्यता है, जिसका उल्लेख माननीय श्री सैनी जी ने कहा और माननीय श्री चौहान जी ने कहा। उसके खण्ड 3, 243(प) को आप देखें। नगरपालिका का गठन करने के लिये निर्वाचन खण्ड एक में विनिर्दिष्ट उसकी अवधि के समाप्ति के पूर्व और उसके विघटन के 6 वर्ष की अवधि की समाप्ति से पूर्व, पूरा किया जायेगा। यह संशोधन संविधान के अनुच्छेद 73 तथा 74 में हुआ। यह इसलिये हुआ था कि जिस प्रकार उत्तरांचल सरकार इस सदन में पुनः प्रस्तुत करके एक प्रतिगामी कदम उठा रही है, यह व्यवस्था 1916 के संयुक्त नगरपालिका अधिनियम में थी और उसके चलते-चलते यह हुआ कि 17-17 साल तक उत्तर प्रदेश में संयुक्त निकायों के चुनाव नहीं हुए और उसी प्राविधान को आज अगर हम इस सदन के माध्यम से पुनर्स्थापित कर रहे हैं तो मैं विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूँ कि इस सरकार का दावा कि हम जनोन्मुखी शासन चाहते हैं, सिर्फ खोखला ही सिद्ध नहीं हुआ अपितु इस सरकार के आचरण के सर्वथा विपरीत है।

मान्यवर, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि यदि उत्तरांचल सरकार ने इसी समय चुनाव कराने की आज्ञा दे दी होती जिसकी तैयारियां पूर्ण हो गयी थी तो सम्भवतः यह स्थिति सरकार के सामने पैदा नहीं होती जो आज पैदा हुई है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह भी कहा कि अपने लोगों के दबाव में भी सरकार ने इसे नहीं किया। मान्यवर, मैं विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि जिस बात की ओर माननीय श्री राम सिंह सैनी जी ने कहा था कि माननीय मुख्य मंत्री आप एक्ट में भी ऐसा प्रावधान करा दीजिए जिससे पहली मीटिंग का समय भी निर्धारित हो जिससे इस पर विवाद नहीं हो सकेगा कि पांच कब पूरे होंगे। एक्ट में इसकी व्यवस्था है कि जिस दिन हमारी नगरपालिकाओं के नव निर्वाचित अध्यक्ष और सदस्य शपथ ग्रहण करते हैं तो जिलाधिकारी एक बैठक बुलाते हैं और बैठक के माध्यम से शपथ दिलायी जाती है, वही पहली बैठक मानी जाती है। एक्ट में इसका प्रोविजन है। माननीय मुख्य मंत्री जी यदि अवधि अगर 4 दिसम्बर को खत्म हो रही थी तो तकनीकी आधार पर अपने लोगों को काम करने के लिए आपने 29 तारीख तक का समय दिया है। हम इसे बुरा भी नहीं मानते इतना तो मुख्य मंत्री जी को करना ही चाहिए था कि पार्टी के लोगों के लिए इसी के साथ ही 77वें संशोधन में 243(ब) यह भी व्यवस्था की गयी है कि किसी राजनीतिक विधान सभा नगरपालिकाओं के संबंध में क्या कर सकती है।

नगरपालिका आदि शक्तियों/संस्थाओं को प्राधिकार और उत्तरदायित्व इस संविधान के उपबन्धों के अधीन रहते हुए किसी राज्य के विधान मण्डल की अवधि द्वारा नगरपालिकायें ऐसी शक्तियों और प्राधिकार प्रदान कर सकेगा जो उन्हें स्वायत्तशासी संस्थाओं के रूप में कार्य करने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हैं और ऐसी अवधि में नगरपालिकाओं को ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो उसमें विनिर्दिश की जांच, नियमावली के संबंध में शक्तियों और दायित्वों को न्यायगत करने के लिए उपबंध किये जा सकेंगे। कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि हर ऐसा उपबंध कर सकेंगे कि जन प्रतिनिधि का स्थान प्रशासन या प्राधिकारी के रूप में व्यवस्था ला सकेंगे। मैं आपके माध्यम से इस ओर भी शासन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जब पंचायतों के चुनाव हुए तो उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के समक्ष यह प्रश्न उपस्थित हुआ था और उत्तर प्रदेश सरकार ने इस संबंध में जो व्यवस्थायें, हम यहां नगरपालिकाओं के संबंध में जिस तरह से विचार कर रहे हैं, पंचायतों के विषय में भी यही व्यवस्था करने का प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत करने का था। लेकिन उच्च न्यायालय ने इसको गैर संवैधानिक घोषित करते हुए और सरकार की मजबूरी को समझते हुए मात्र 15 दिन का समय देकर सरकार को आदेश दिया कि चुनाव सम्पन्न कराये जाने चाहिए क्योंकि यह संवैधानिक व्यवस्था है और उसके लिए सरकार को उच्च न्यायालय ने दोषी भी माना था और सरकार को आगाह भी किया था कि इसमें सरकार की ढील थी और सरकार संविधान के उपबंधों के रहते हुए समय से पूर्व इन चुनावों की व्यवस्थाओं को कराया जाना चाहिए था।

श्रीमन, मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहता हूं कि यह जो उत्तर प्रदेश पुनर्गठन, 2001 है, उसके उपबंध 86 में यह कहा गया है कि नियत दिन के पहले दिन बनायी गयी किसी विधि के अन्दर उत्तर प्रदेश राज्य और उत्तरांचल राज्य के सम्बन्ध में लागू होंगे और सुखद बनाने के लिए प्रयोजनार्थ समुचित सरकार 2 वर्ष के उपरान्त के पूर्व आदेश द्वारा विधि को ऐसे अनुकूलन और उपान्तरण चाहे वह निरसन के रूप

में हो या संशोधन के रूप में हो जैसा आवश्यक या समीचीन हो, कर सकेगी और तब ऐसी हर विधि जब तक सक्षम विभिन्न मण्डलों या सक्षम प्राधिकारी द्वारा परिवर्तित निरसन या संशोधित न कर दी जाय तब तक इस प्रकार किये गये अनुकूलों का या उपान्तरों के अधीन रहते हुए प्रभावी होगी। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि इसमें निरसन और संशोधन शब्द लिखा हुआ है, इसमें कहीं पर यह उल्लेख नहीं है कि अगर इस उत्तरांचल विधान सभा की संविधान में संशोधित करने की शक्ति इसके माध्यम से नहीं दी गयी हैं और संविधान में इस बात की इजाजत नहीं दी कि पांच साल के बाद हम कोई तत्काल व्यवस्था कर सकें। जो नगरपालिका एक्ट है, उसके सेक्शन 30 में एक व्यवस्था है, यदि कोई नगरपालिका समय से पूर्व विगठित कर दी जाती है तो उनको उपयुक्त अवसर देने की बात कारण बताने हेतु कहा जाता है कि यह नियमों के विरुद्ध पाया गया तो क्यों न आपकी नगरपालिका को विगठित कर दिया जाय। नगरपालिका के पक्ष को सुनने के बाद नगरपालिका उसे विगठित कर देती है, तब मात्र एक व्यवस्था है जिसे अन्तरिम व्यवस्था कह सकते हैं और वह केवल 6 महीने तक रह सकती है। यहां पर स्टेट में विगठित नगरपालिका कर दी गयी है और जिन नगरपालिकाओं का कार्यकाल 5 वर्ष है उनको विगठित नहीं किया गया है। संविधान और कानून इस बात की इजाजत नहीं देता। हम उनके लिये कोई अस्थायी व्यवस्था करें जिसके अन्तर्गत प्रशासक और प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति कर सकें।

मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूँ कि इस पर तुरन्त विचार कर लें और जल्दी से जल्दी जब उत्तर प्रदेश आयोग काम कर रहा है तो उसके माध्यम से चुनाव कराके जनप्रतिनिधियों को उन स्थानों पर बैठाया जाय। यह चुनाव केवल आपके चरित्र का ही परिचय नहीं देगा बल्कि नई सरकार के जनप्रतिनिधियों को विश्वास में रखते हुये वह कार्य करेगा। यह भी जनता मानेगी कि अफसरों में यह सरकार विश्वास नहीं रखती है। जनतन्त्र का आकलन अफसरशाही से नहीं हो सकता है। यदि आपने इसका समाधान नहीं किया तो एक संवैधानिक संकट पैदा हो जायेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि सरकार तत्काल चुनाव कराने की व्यवस्था करे। उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग की मान्यता के होते हुये भी जल्दी से जल्दी एक महीने के अन्दर चुनाव करा लिये जांय। माननीय श्री सैनी जी ने कहा कि पहली बैठक का समय भी निर्धारित कर दिया जाय। इसलिये हम मांग कर रहे हैं कि इसे प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो एक महीने में अपनी रिपोर्ट दे देगी।

काजी मोहम्मद मोइउद्दीन--

मान्यवर, कानून बनाने के लिये माननीय श्री सैनी और श्री अम्बरीष जी ने कहा भी लेकिन मैं एक प्रैक्टिकल आदमी हूँ। मैंने देखा कि मंगलौर नगरपालिका में गन्दगी का ढेर लगा रहता था और आज वह पूरा का पूरा साफ हो गया है। इसके लिये मैं बधाई देता हूँ, हर उस शक्ति को जिसने नगरपालिका को तोड़कर एडमिनिस्ट्रेशन को शक्ति दी और उसी दिन से सफाई शुरू हो गयी। इसलिये मैं वहां के प्रशासन को भी बधाई देता हूँ। मान्यवर, कानून कुछ भी हो परन्तु मेरा यह कहना है और यह मेरी व्यक्तिगत राय भी है कि इसके चुनाव दो साल बाद कराये जायें।

श्री नित्यानन्द स्वामी–

मान्यवर, माननीय सदस्यों ने जितने भी तर्क दिये वह सभी हमारे पक्ष में हैं और आपने जो कुछ भी समर्थन में कहा, चुनाव कराने की बात कही, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि हम चुनाव करायेंगे इसमें हमारी ओर से कोई देर नहीं है, यह तो इलैक्शन कमीशन की देरी है। अब यथाशीघ्र अधिसूचना तो जारी नहीं हो सकती और जल्दी से जल्दी चुनाव कराये जायें। हमने तो अपने कार्यकर्ताओं की भावनाओं का गला घोंट करके प्रशासक नियुक्त किये। मैंने कहा कि हम संविधान के विरुद्ध नहीं जा सकते हैं क्योंकि उसमें लिखा गया है "एण्ड नो लौंगर" इसलिये मैं आपकी उस बात का समर्थन करता हूँ। अब मैं अनुरोध करूँगा कि वह इस संशोधन को स्वीकार कर लें।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

श्रीमन् ,चूँकि मेरे लिये एक नैतिकता का प्रश्न खड़ा हो गया है, उस नगरपालिका का जिसकी बदहाली के बारे में श्री काजी जी ने बताया। चुनाव टालना कोई अच्छी संसदीय परम्परा नहीं है, हो सकता है प्रदेश के सामने कठिनाई हो। चुनाव आयोग का गठन नहीं हुआ है इसलिये इन परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये मैं अपने संकल्प पर बल नहीं देता हूं।

श्री अध्यक्ष–

चूंकि माननीय चौहान जी ने संकल्प वापस ले लिया है और माननीय श्री राम सिंह सैनी जी और श्री अम्बरीष जी के संशोधन के प्रस्ताव पर रखे गये संशोधनों पर प्रश्न रखता हूँ।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2001 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि "नगरपालिका अधिनियम, 1916 (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2001" पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड–3, खण्ड–1 : प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2001

(जैसा उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 के उत्तरांचल राज्य में प्रवृत्ति के सम्बन्ध में संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के इक्यावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है —

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1. (1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम (उत्तरांचल संशोधन) अधिनियम, 2001 कहा जायेगा।

(2) यह सम्पूर्ण उत्तरांचल राज्य में लागू होगा।

(3) यह 11 दिसम्बर, 2000 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–2, सन् 1916 में नयी धारा का जोड़ा जाना

2. उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 में धारा 10–क के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् —

"10–कक–नया बोर्ड गठित किये जाने तक बोर्ड के प्रशासन के सम्बन्ध में अस्थायी उपबन्ध :– जहां नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत का कार्यकाल समाप्त हो चुका हो और नयी नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत का गठन नहीं हुआ हो, तो नयी नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत का समुचित गठन होने तक–

(क) नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत, उसके अध्यक्ष और समिति की समस्त शक्तियाँ, कार्य और कर्तव्य राज्य सरकार द्वारा इस हेतु नियुक्त अधिकारी (एतद्पश्चात् प्रशासक कहा जायेगा) में निहित होंगी और उसके द्वारा प्रयोग, सम्पादन और निर्वहन की जायेंगी और प्रशासक विधि की दृष्टि में नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत अध्यक्ष अथवा समिति, जैसा कि परिस्थितियों के अनुसार अपेक्षित हों, समझा जायेगा ;

(ख) प्रशासक को ऐसा वेतन एवं भत्ता नगरपालिका कोष से देय होगा जैसा कि राज्य सरकार इस हेतु किसी सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा नियत करे

(ग) राज्य सरकार समय-समय पर, गजट में विज्ञप्ति द्वारा ऐसे आनुषंगिक या प्रासंगिक उपबंध जिसके अन्तर्गत इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का अनुकूलन, परिवर्तन या परिष्कार करने के भी उपबन्ध शामिल हैं, किन्तु जो तत्व पर प्रभाव न डाले, जो उसे इस धारा के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक अथवा इष्टकर हो, बना सकेगी :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि जहां इस धारा के अन्तर्गत नियुक्त प्रशासक जिलाधिकारी हैं, वह राज्य सरकार के किसी सामान्य अथवा विशेष आदेश के अधीन रहते हुए इस अधिनियम के अधीन अपनी सभी अथवा किसी शक्तियों, कार्यों एवं कर्तव्यों का प्रत्यायोजन अपने से किसी अधीनस्थ अधिकारी (एतद्पश्चात् भारसाधक अधिकारी कहा जायेगा) को कर सकेगा और एतद्पश्चात् भार साधक अधिकारी को वेतन एवं भत्ते खण्ड (ख) के अनुसार देय होंगे :

अग्रतर प्रतिबन्ध यह भी है कि इस धारा के अधीन नियुक्त प्रशासक के कार्यकाल की अवधि छह मास या नई नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत के गठन तक जो भी पहले हो, से अधिक नहीं होगी।"

3. (1) उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 अनुकूलन एवं उपान्तरण) अध्यादेश, 2000 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। निरसन और अपवाद

उत्तरांचल अध्यादेश संख्या-2, सन् 2000

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा-संशोधित उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा-संशोधित उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि "उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2001" में खण्ड 2 में निम्नलिखित संशोधन कर दिया जाय–

1–धारा 10 के स्थान पर धारा 10 "क" रख दिया जाय।

2–धारा 10 "क" के स्थान पर 10 "कक" रख दिया जाय।

श्री नित्यानन्द स्वामी–

हमें यह संशोधन स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि संशोधित खण्ड 2 इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित हुआ और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–3, खण्ड–1 प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री नित्यानन्द स्वामी–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि "उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2001" यथा–संशोधित पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि "उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2001" यथा–संशोधित पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री नित्यानन्द स्वामी–

मान्यवर, अगर शिक्षा के सम्बन्ध में और कानून व्यवस्था के सम्बन्ध में यदि आपके पास कोई नोटिस हो तो उसे आप पहले ले लें।

श्री अध्यक्ष–

कोई नहीं है।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति अध्यादेश, 2001 का अनुमोदन हेतु संकल्प तथा उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2001

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि यह सदन "उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (उत्तरांचल संशोधन) अध्यादेश, 2001 का अनुमोदन करता है।

मान्यवर, अभी हम बात कर रहे थे और प्रायः निरन्तर यह देखा जा रहा है कि जो निर्वाचित संस्थायें हैं और जहां पर निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को बैठकर जनता के कल्याण के लिये संचालन किया जाना चाहिये था उसका बहुत लम्बी अवधि से उल्लंघन होता जा रहा है और निर्वाचित जनप्रतिनिधि को विरत रखते हुये और उन संस्थाओं पर नौकरशाही को बैठाकर व्यवस्थायें चलायी जा रही हैं। तब यह प्रश्न पैदा होता है कि जो पंचायती संस्थायें हैं और नगरपालिकायें हैं, उसके अन्दर एक संवैधानिक व्यवस्था कर दी जाय इसलिये 73वें 74वें संविधान में यह व्यवस्था कर दी गयी कि इन संस्थाओं को समय से पूर्व विघटित नहीं किया जा सकता और इन संस्थाओं का 5 वर्ष में चुनाव कराना अनिवार्य है। इन संस्थाओं को कितने कार्यकाल तक रखा जाता है, यह सभी उपबन्धित कर दिये गये। परन्तु देखा यह गया है कि जो इस प्रकार की संस्थायें हैं, चाहे वह पंचायती संस्था हो या लोकल बॉडी हो। मैंने स्वयं अपने संकल्प को वापस ले लिया जब उनकी यह दलील आयी कि यह स्थिति उत्पन्न हुई है, नवसृजित राज्य है, पंचायत राज्य आयोग और प्रदेश स्तर पर गठित होता है, लिहाजा प्रशासनिक कठिनाइयों का सामने आना स्वाभाविक है, उसी हकीकत से हम रूबरू थे और उस बात के समर्थन में काजी जी ने कहा लेकिन श्रीमन्, यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश कृषि मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) उत्तरांचल संशोधन विधेयक, 2001 लाया गया है, उसकी दूर-दूर तक न सरकार को बाध्यता है और न ही उसके कोई कारण हैं क्योंकि मण्डी समितियों के निर्वाचन कराये जाने के लिए इस तरीके के निर्वाचन आयोग के गठन करने की कोई आवश्यकता नहीं है और न ही ऐसी कोई कठिनाई है और न ही सरकार को कोई ऐसी परेशानियां थी कि मण्डी समिति का निर्वाचन कराके और मण्डी समिति में जिन लोगों का कारोबार होता है, यह देश कृषि प्रधान देश है और यह उत्तरांचल भी कृषि प्रधान राज्य है। इस मण्डी समिति के अन्दर जो किसान अपना विपणन करते हैं, कृषि उत्पाद का, उनकी कृषि उत्पाद का वाजिब मूल्य मिल सकता था और उनका कोई शोषण नहीं हो सकता था यदि किसानों के द्वारा चुने गये जनप्रतिनिधियों को उनकी सुविधाओं और अधिकारों की रक्षा कर सके। इसी उद्देश्य से मण्डी समिति के अन्दर निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को बैठाने का इन्तजाम किया गया था। लेकिन आज उत्तर प्रदेश के अन्दर रहकर भी हम रोज यह गुहार लगाते रहे कि कृषि मण्डी समिति का निर्वाचन करा दिया जाय। चुने हुए जनप्रतिनिधियों को वहां पर बैठाकर के जहां किसान अपने सरलता पूर्वक और सजगता से अपने हितों के विपरीत यदि कोई कार्य होता है तो वह उसकी शिकायत दर्ज कर सकता है और अपेक्षा करता है कि एक चुना हुआ जन प्रतिनिधि जिसके ऊपर एक नैतिक दबाव रहता है और जिन काश्तकारों के हितों का संरक्षण करने के लिये उसे वहां पर बैठाया गया है। उन्हीं के मत से निर्वाचित होकर के वह वहां पर पहुंचा है। लेकिन श्रीमन्, बिना किसी कारण के, बिना किसी जाहिरी तौर पर सरकार का जो यह कृत्य है और इस कृत्य से जो एक बुनियादी बात है, हम सत्ता विकेन्द्रीयकरण की बात करते हैं, निर्वाचित संस्थाओं की सत्ता को स्थगित करने की, विकेन्द्रीयकरण करने की जो हम विचार करते हैं।

इस अध्यादेश के माध्यम से धज्जियां उड़ जाती हैं और यह पुनः साबित करती हैं कि सरकार जनता द्वारा निर्वाचित जन प्रतिनिधियों के द्वारा ऐसी लोकतान्त्रिक संस्थाओं के संचालन में योगदान देते हैं, ऐसा न करके सरकार ने नौकरशाही के पास जाकर के, उनके जो जनतांत्रिक अधिकार हैं, उनका हनन करके और वहां पर नौमिनेटेड प्रशासक वहां पर बैठा दिये गये और आज मण्डी समितियों में भ्रष्टाचार का जो आलम है, मण्डी समितियों के अन्दर जो कु-व्यवस्था है, वह किसी से छुपी हुई नहीं है। अभी

यहाँ पर तमाम सदस्यों ने, चाहे वह मंगलौर की गुड मण्डी हो, हल्द्वानी की मण्डी की बात हो, चाहे देहरादून मण्डी की बात हो, चाहे विकास नगर मण्डी की बात हो, ये जो तमाम मण्डी समितियां हैं।

श्रीमन्, कभी सरकार के मंत्री या मुख्य मंत्री इस बात की समीक्षा करें कि वहां की व्यवस्थाओं का क्या आलम है और वहां किस तरीके से इन मण्डी समितियों के साये में किस तरह से सचिव और प्रशासक किसान की गाढ़ी कमाई पर डकैती डाल रहे हैं और भ्रष्टाचार करके ऐशो-आराम में उस पैसे को खर्च कर रहे हैं। इसलिये श्रीमन्, यह एक गम्भीर विषय है, मैं समझता हूं कि लोकतंत्र का तकाजा है और माननीय मुख्य मंत्री जी इस तरह के विषयों पर अति संवेदनशील हैं, जिस तरीके से उन्होंने नगरपालिका का चुनाव कराये जाने के संबंध में कठिनाइयां थीं, उन्हें सामने रख करके आश्वस्त किया, इसकी तत्काल समय सीमा निर्धारित करने की बात की। हम अनुरोध करेंगे कि इसका भी निर्वाचन करा दिया जाय। मण्डी समिति के अन्दर निर्वाचन करने के लिये सरकार को किसी से अनुरोध करने की जरूरत है। मण्डी समितियों का निर्वाचन कराये जाने के लिये वहां की सरकार स्वयं सक्षम हैं। लिहाजा हम इस सदन के माध्यम से और आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री तथा माननीय कृषि मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि राजनैतिक इच्छा शक्ति का परिचय दीजिये। किसानों के हितों में और आज इस सदन में फैसला करके बता दें कि हम इतने दिन में मण्डी समितियों का चुनाव करवा देंगे। कोई कारण नहीं है इस अध्यादेश के अनुमोदन करने के, इसलिये मैं अपने अननुमोदन के संकल्प पर बल दे रहा हूं।

श्री राम सिंह सैनी–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से संशोधन प्रस्तुत करता हूँ कि "उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2001" को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर प्रस्तुत करे। समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे।

मान्यवर, अभी माननीय श्री मुन्ना सिंह चौहान जी ने जो बात कही है, उससे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कहा गया है कि यहाँ पर इसके लिए चुनाव आयोग बनाने की बात नहीं है, शासन चाहे तो तीन महीने में चुनाव करवा सकता है। अभी उन्होंने विधेयक में जो समय बढ़ाने की माँग रखी है, 2001 तक बढ़ाये जाने की बात कही है, एक साल तो बहुत ज्यादा होता है, इसके चुनाव तो 2–3 महीने में करवाये जा सकते हैं। मैं अपने क्षेत्र रुड़की मंडी की जो दुर्गति हो रही है, उसके सम्बन्ध में बताना चाहता हूँ। माननीय मंत्री जी मैं उस क्षेत्र को रिप्रेजेन्ट करता हूँ, वहाँ पर उस मण्डी का लगभग 95 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है पिछले साल से लेकिन मण्डी समिति को वहाँ पर हस्तान्तरित नहीं किया जा रहा है। वहाँ पर लोगों की दुकानें हैं, वहाँ मण्डी शुल्क की चोरी हो रही हैं और शासन को बहुत बड़ा घाटा हो रहा है। अगर वहाँ पर जन प्रतिनिधि होते तो मण्डी अपने स्थान पर स्थानान्तरित हो गयी होती। इसी तरह मंगलौर मण्डी हमारे क्षेत्र के समीप से ही जुड़ती है और उसकी भी यही दुर्गति हो रही है। तो मान्यवर, मेरा मानना तो यह है कि भले ही काजी जी का मानना कुछ और हो, जितने भी जन प्रतिनिधि बैठते हैं। आज मुख्य मंत्री जी हैं और हमारा मंत्रि मण्डल है, तो हम कह सकते हैं कि यह सरकार अपने को पारदर्शी कहती है और जन हित में

कार्य करने की बात करती हैं और कहती है कि शिक्षा तथा बिजली की व्यवस्था की जायेगी लेकिन मान्यवर, वे लोग प्रशासक के रूप में सरकारी अधिकारी कार्य करते हैं, उनको जनता से कोई लेना-देना नहीं होता है, जनता की समस्याओं के निराकरण के प्रति भी वह जागरूक नहीं होते।

मैं कहना चाहता हूँ कि जब यह मण्डी समिति हमारे किसानों की जन प्रतिनिधियों की सभा हो, उसके हितों की रक्षा करने की जिम्मेदारी जन प्रतिनिधियों पर होती है। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप 3 महीने के अन्दर चुनाव करा दें। इसमें अभी और संशोधन हैं, इसलिए इसे प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो एक माह में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगी ताकि इस प्रदेश के उन हजारों-हजार किसानों का हित हो सके जो कृषि में लगे हुए हैं। यदि हम कृषि को प्रोत्साहन देंगे तो हमारे प्रदेश की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ेगा। आज भी किसानों का बहुत ज्यादा शोषण हो रहा है। बिजली उन्हें मिल नहीं रही है, किसान का धान औने-पौने दाम पर बिक गया। यदि जन प्रतिनिधि होता तो वह उसका विरोध करता परन्तु सरकार ने इसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की । मण्डी समितियों में किसानों का धन लूटा गया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने संशोधन पर बल देता हूँ।

श्री अम्बरीष कुमार-

मान्यवर, बहुत ही कम समय में वही बातें दुहरानी पड़ रही हैं। शासन ने तो वहाँ पर सहारा लेकर कि चुनाव तो उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग को करना है लेकिन यहाँ जिस उद्देश्य से इन मण्डी समितियों और मण्डी परिषदों का गठन किया गया था, वह उद्देश्य निष्फल होता दिखायी दे रहा है बल्कि निष्फल ही हो रहा है। मण्डी परिषदों और मण्डी समितियों का गठन इसलिए किया गया था कि किसान को अपनी उपज को मण्डी तक पहुँचाने में कोई कठिनाई न हो और जो अवस्थापनायें सुविधायें हैं, वह उनको नहीं मिलती थी तब उसको हानि उठानी पड़ती थी इसलिए कृषि उपज को वह मण्डी तक ला सके और कृषि को बढ़ावा मिले इसलिए यह एक अच्छे उद्देश्य से स्थापना की गई थी और यह केवल स्थानीय विषय नहीं है चाहे हरिद्वार की मण्डी हो, पंबकुरी की मण्डी हो, चाहे देहरादून की मण्डी हो, चाहे मंगलौर की मण्डी हो।

मान्यवर, उनके माध्यम से जन प्रतिनिधि चुनकर प्रदेश स्तर तक पहुँचते हैं और पूरे प्रदेश में कृषि विपणन का कार्य अच्छे ढंग से हो सके और किसानों को लाभ मिल सके, इसके लिए प्रबन्ध करते हैं लेकिन लगातार यह देखने में आ रहा है कि सरकार कोई भी हो जब उन बैंचों पर बैठती है जहाँ पर सरकार का स्थान है तो धारणा अक्सर बदल जाती है और वह इस सरकार के साथ भी हो रहा है। अधिकांश समय विपक्ष में रहने के कारण भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में लगातार यह माग उठायी कि मण्डी समितियों का और मण्डी परिषदों का चुनाव होना चाहिए। लेकिन मान्यवर, आज जब वह खुद सत्ता में हैं तो इसे टाल रहे हैं। एक साल के लिए उन्होंने कह दिया कि इसका कार्य काल बढ़ा दीजिये। हम लोग अपोजिशन में कम लोग हैं, हम बोलेंगे तो उसके बाद भी यह सीमा आप बढ़ा ही लेंगे।

लेकिन मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ताकि सनद रहे कि जो यह काम लोकतंत्र को तोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी निरन्तर कर रही है, चाहे नगरपालिका के हों और चाहे मण्डी परिषद् के हों। चाहे हमारे आने वाले ब्लाक प्रमुख के चुनाव हों, इन सबको तोड़ने का यह काम कर रही है। यह प्रजातंत्र में कील ठोंकने का काम यह सरकार कर रही है। काजी जी ने कहा कि गन्दगी का ढेर है, यदि काजी साहेब यहाँ पर होते तो मैं उनसे भी यह जानकारी करता कि वर्षों से, जब से यह कानून बना, लगातार मण्डी समितियों और मण्डी परिषदों के अधिकारियों के नियंत्रण में हैं और आज उसमें 90 प्रतिशत से अधिक संस्थायें ऐसी हैं जो घाटे में चल रही हैं, जिनका कोई पुरसाहाल नहीं है और किसानों को अवस्थापना संबंधी सुविधाओं का लाभ इन प्रशासकों के रहते हुए नहीं मिल रहा है और आप भी स्वयं जन प्रतिनिधि हैं और आपको भी इस बात का अनुभव रहा होगा कि उनसे कार्य करने के लिए जिलाधिकारी जो पदेन इसके सभापति रहते हैं, ये सारे प्रशासक रहते हैं, कितनी मुश्किलों से कोई सड़क पाटी है। यदि घाटे में हम हैं तो कोई सुविधा हमको नहीं मिलेगी।

मैं कहना चाहता हूँ कि किसान की इस दुर्दशा से निकालने के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी और आपके माध्यम से सरकार से भी कहना चाहता हूँ कि आज ही तुरन्त सरकार इनके चुनाव की तिथि घोषित कर दे तो मैं श्री राम सिंह सैनी जी से और श्री मुन्ना सिंह चौहान जी से अनुरोध कर लूँगा कि वह अपना संकल्प और संशोधन वापस ले लें। हम अपने इन संशोधनों को वापस लेने के लिए तैयार हैं बशर्ते कि सरकार आज ही तिथि की घोषणा कर दे कि एक माह में, दो माह में या 31 मार्च तक या 30 अप्रैल तक हम इनका चुनाव करा देंगे। यह निवेदन मैं आपके माध्यम से करना चाहता हूँ।

श्री नित्यानन्द स्वामी–

मान्यवर, इसमें 6 महीने भी लग सकता है, 5 महीने भी लग सकता है और 8 महीने भी लग सकता है। इसके लिए व्यवस्था करनी होती है। हम किसी बात से परहेज नहीं करते। आप सुझाव दें हम उन पर विचार करके स्वीकार कर लेंगे। अगर प्रवर समिति को सुपुर्द करने की बात आप कहेंगे तो उसमें समय और लगेगा।

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, आप 30 जून लास्ट डेट कर दीजिये।

श्री नित्यानन्द स्वामी–

हम कोई समय सीमा नहीं बांध सकते। हो सकता है हम 6 महीने में करा दें या 5 महीने में करा दें। हम जल्दी से जल्दी चुनाव करा देंगे, यह मैं आपको आश्वासन देता हूँ।

कृषि सहकारिता, पशुपालन, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री (श्री बंशीधर भगत)–

मान्यवर, अभी जो संकल्प माननीय श्री मुन्ना सिंह चौहान जी ने रखा और माननीय श्री सैनी जी ने संशोधन के रूप में रखा है, यह तो एक प्रक्रिया है। स्वाभाविक है, यह तो उनको करना ही है और ऐसा करना उनको शोभा भी देता है। वरना यह कोई

इतनी बड़ी बात नहीं थी चूंकि उत्तर प्रदेश से हमने मण्डी परिषद् का गठन उत्तरांचल में अलग कर लिया है और महामहिम श्री राज्यपाल जी के अध्यादेश संख्या 387, दिसम्बर 2000 को एक अध्यादेश जारी किया है और अध्यादेश में यह स्पष्ट है कि अध्यादेश जारी होने के बाद से 42 दिन के भीतर या तो हम चुनाव करायें और या फिर दूसरा अध्यादेश लायें। यह सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि नये-नये राज्य का गठन हुआ है और 42 दिन के भीतर सारी व्यवस्थायें कर पाना सम्भव नहीं है। जैसा माननीय श्री अम्बरीष जी ने कहा जब हम सत्ता में थे उत्तर प्रदेश में तो आप मण्डी समिति के चुनाव कराने की बात कहते थे। आप तो जानते हैं कि मण्डी समितियों का चुनाव कब से नहीं हुआ, तब तो हम नहीं थे। जब हम कहते थे तो आप ने क्यों नहीं किया। आप ने तो यहां तक किया कि प्रशासकों से ही काम कराया। हम नामित नहीं करना चाहते और हम बिल्कुल ऐसा सोच भी नहीं सकते कि हम किसी को नामित कर रहे हैं। हम निश्चित अवधि में चुनाव करायेंगे। हम एक वर्ष का समय मांग रहे हैं। एक वर्ष के भीतर ही नहीं हम जितनी जल्दी हो सके, जैसे ही हमारी प्रशासनिक तैयारियां पूरी हो जायेंगी, हम चुनाव करायेंगे हम आपके दिल में कोई शंका नहीं रखना चाहते हैं। हम निश्चित चुनाव करायेंगे। यह हमारी एक व्यवस्था है।

श्री मुन्ना सिंह चौहान-

मान्यवर, हम इस आश्वासन के साथ अपने संशोधन वापस ले लेंगे, माननीय मंत्री जी यह कह दें कि हम एक वर्ष से किसी भी दशा में आगे नहीं बढ़ायेंगे।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

माननीय नेता सदन ने आश्वस्त तो कर दिया है।

श्री बंशीधर भगत-

अगर नेता सदन चाह रहे हैं तो उसका जवाब ही एक है और यह मेरी मजबूरी भी है कि हम एक वर्ष के अंदर चुनाव करा देंगे। हम अब आगे समय नहीं बढ़ायेंगे, मैं यह इसलिए नहीं कह सकता ....

ऊर्जा सिंचाई एवं संसदीय मंत्री (श्री भगत सिंह कोश्यारी)-

मान्यवर, जब माननीय नेता सदन यह आश्वासन दे चुके हैं, उन्होंने कह दिया है कि हम 6 माह, साढे पांच माह और सात महीने में भी करा सकते हैं, हम एक साल के अन्दर जल्दी से जल्दी चुनाव करा देंगे।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि आप एक वर्ष के भीतर चुनाव करा देंगे।

श्री भगत सिंह कोश्यारी-

मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहूंगा। माननीय सदस्यगण इधर बैठे हैं वह भी जान रहे हैं कि हम म्यूनिसपलेटी का चुनाव जल्दी से जल्दी कराना चाहते हैं अब यदि कोई अपरिहार्य कारण आ गया तो हम उसमें क्या कर लेंगे। यदि नहीं आया तो हम करायेंगे।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, यही तो अपरिहार्य कारण है कि नया राज्य बना, यदि एक साल के समय के भीतर ही यह नहीं करा पाये तो फिर हमारा आरोप तो सही है कि यह सरकार निर्वाचित संस्थाओं में नौकरशाहों को सौंपना चाहते हैं। हम सरकार के साथ हैं, माननीय कृषि मंत्री और माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि एक वर्ष के भीतर करा देंगे।

(व्यवधान)

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, वैसे तो माननीय नेता सदन ने बहुत ही स्पष्ट कर दिया है कि एक साल के भीतर चुनाव करा देंगे और हम इसे 31 दिसम्बर से आगे लागू नहीं रखेंगे।

श्री अध्यक्ष–

क्या आप अपने अनुमोदन का संशोधन वापस लेते हैं।

श्री राम सिंह सैनी–

मैं संशोधन वापस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि "उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2001" पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

खण्ड–2 से खण्ड–3 तक, खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति, (अल्पकालिक व्यवस्था) (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2001

(उत्तरांचल अधिनियम संख्या .... , सन् 2001)

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम 1972 का अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए

एक

विधेयक

भारत गणराज्य के इक्यावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

1. (1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (अल्पकालिक व्यवस्था) (उत्तरांचल संशोधन) अधिनियम, 2001 कहा जायेगा। — संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह 27 दिसम्बर, 2000 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

2. उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972 की जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है धारा 2 में, उपधारा (1) में अंक तथा शब्द "31 दिसम्बर, 2000 तक" के स्थान पर अंक तथा शब्द "31 दिसम्बर, 2001 तक" रख दिये जाएंगे। — उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–7, सन् 1972 की धारा 2 का संशोधन

3. (1) उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (उत्तरांचल संशोधन) अध्यादेश, 2000 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। — निरसन एवं अपवाद

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबंधों के अधीन कृत कार्यवाही समझी जाएगी, मानो इस अधिनियम के उपबंध सभी सारवान समय पर प्रवृत थे।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–3 तक, खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि "उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (उत्तरांचल संशोधन) 2001" पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

उत्तरांचल आकस्मिकता निधि विधेयक, 2001

वित्त, संस्थागत वित्त, राजस्व एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री रमेश पोखरियाल "निशंक")–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि "उत्तरांचल आकस्मिकता निधि विधेयक, 2001" पर विचार किया जाय।

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन प्रस्तुत करता हूँ कि "उत्तरांचल आकस्मिकता निधि विधेयक, 2001" को सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत कर दें। समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे।

मान्यवर, माननीय वित्त मंत्री जी ने सदन के सामने आकस्मिकता निधि का जो विधेयक प्रस्तुत किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि 15 करोड़ रूपये की व्यवस्था की जायेगी। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूँ कि जब हम उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश में थे तो वहां पर 600 करोड़ रूपये की आकस्मिकता निधि की व्यवस्था थी और जब हमारा बंटवारा हुआ तो यह माना गया कि आबादी का 5 प्रतिशत है सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश का, उसके आधार पर सम्पत्तियों और परिसम्पत्तियों का बंटवारा भी हुआ और बड़े प्रदेश में रहते हुए उत्तरांचल का जो यह प्रदेश है, जहां पर आपदायें निरन्तर आती रहती हैं,

भू–स्खलन, बादल का फटना और पहाड़ों का गिरना होता है और आज सूखे की भी आपदा है, तो हमारे सामने यह एक विचारणीय प्रश्न है कि जब हम उतने बड़े प्रदेश में इतनी बड़ी आकस्मिकता निधि के होते हुए भी अपने राहत कार्यों को पूरा नहीं कर सकते थे तो क्या हम 15 करोड़ रूपये की आकस्मिकता निधि से उन आवश्यकताओं को पूरा कैसे कर सकते हैं। यह एक ज्वलन्त प्रश्न है। मैं कहना चाहता हूँ कि पांच प्रतिशत के हिसाब से भी यह निधि 300 करोड़ रूपये होनी चाहिए थी अब उसके बाद प्रश्न उठता है कि 15 करोड़ रूपये की है और वित्तीय संसाधन कम है तो हम इसका प्रबन्ध कहां से करें। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ और विपक्ष की भी यह जिम्मेदारी है, हम केवल आलोचना नहीं करना चाहते हैं, सुझाव भी देना चाहते हैं।

उत्तर प्रदेश विधान सभा में भी मैंने यह प्रयास किया था कि इस सुझाव को वहां पर रखूं परन्तु इसे वहां पर नहीं रख सका। यहां पर यह प्रस्ताव रख रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि सरकार इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार भी करेगी। मान्यवर, प्रत्येक विभाग का एक बजट निर्धारित होता है, उत्तरांचल का जो बजट होगा मैं नहीं समझता कि वह 3 हजार करोड़ रूपये से कम का नहीं होगा इसलिए आप प्रत्येक विभाग के बजट से एक प्रतिशत की धनराशि आपदाओं के लिए इस आकस्मिकता निधि में ले लें तो मैं समझता हूँ कि हमारे पास एक भारी धनराशि बन सकती है और एक प्रतिशत बजट में कटौती करने से विकास के कार्य भी प्रभावित नहीं होंगे।-और यदि हम इसको बढ़ा लेंगे तो भविष्य में जो आपदा पीड़ित लोग हैं तो इस आकस्मिकता निधि से हम सफलतापूर्वक उनकी सहायता कर सकते हैं। हम यह महसूस करते हैं कि हमारे पास धन नहीं है इसलिए केन्द्र से मिल जायेगा किसी वर्ल्ड बैंक से मिल जायेगा या कोई निजी निवेशक हमारा काम कर दे, इसलिए मैं समझता हू कि इस आकस्मिकता निधि के संबंध में आप विचार करें। यह एक मेरा सुझाव है। इसे 15 करोड़ रूपये से बढ़ा कर 50 करोड़ रूपये तक करें।

श्री राम सिंह सैनी–

माननीय अध्यक्ष जी जो संशोधन माननीय श्री अम्बरीष जी ने रखा है उससे अपने को सम्बद्ध करते हुए कहना चाहता हू कि हमारे उत्तरांचल प्रदेश में इस प्रकार की विपदायें और दुर्घटनायें होती रहती हैं और जिसके लिए हम आकस्मिकता निधि के ऊपर निर्भर रहते हैं। चाहे भूकम्प आये, चाहे सूखा पड़े, इस प्रकार से सारे कार्यों में इसी निधि से व्यय होता है। बहुत सोच समझकर हमारे मुख्य मंत्री और वित्त मंत्री जी ऐसा कर सकते हैं तो इसलिए इस प्रदेश के लिए जैसा अम्बरीष जी ने कहा इसका निश्चित सृजन हो जो यह 15 करोड़ रूपये की राशि रखी गयी है यह बहुत कम है इसलिए इसमें 50 करोड़ रूपये का प्रावधान होना चाहिए ताकि जो प्राकृतिक विपदायें और दुर्घटनायें होती हैं उसमें पीड़ित लोगों की सहायता हो सके यह एक मानवीय आधार भी है। हम मानव हैं, मानव सेवा के लिए इससे अच्छा कोई उपाय भी नहीं हो सकता। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस राशि को बढ़ाया जाय ताकि जनता के कल्याण में अधिक कारगर साबित हो सके।

वित्त, संस्थागत वित्त, राजस्व एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री रमेश पोखरियाल "निशंक")–

श्रीमन, मैं आपका आभारी हूँ मैं तो सोच रहा था कि कहीं माननीय श्री अम्बरीष जी और माननीय सैनी जी यह न कहें कि इसे काट करके एक रूपया कर दिया जाय। माननीय यह पहला अवसर आ रहा है बढ़ोत्तरी का प्रस्ताव आ रहा है यह भी एक सकारात्मक पहल है संविधान के अनुच्छेद 267 के खण्ड–2 द्वारा राज्य आकस्मिकता निधि का। इस संविधान में अधिकार प्रदत्त है और समय–समय पर जो अप्रत्यक्ष आपदायें आती हैं, उन पर इन निधि से व्यय होता है। मान्यवर यह बात बिल्कुल सही है कि उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य जहां पर 600 करोड़ रूपये से भी अधिक आकस्मिकता निधि है परन्तु जब हम इसे यहां लाये तो महामहिम राज्यपाल द्वारा 8 दिसम्बर को एक अध्यादेश के रूप में लाये और उस समय हमारी जो अर्थोपाय की जो स्थिति थी वह 19 करोड़ रूपये की थी और यह बात विचार में आयी कि यह राशि बढ़ती रहनी चाहिए परन्तु उस तिथि को हमारी वह स्थिति नहीं थी कि हम इसे बढ़ा सकें लेकिन आपने जो यह सुझाव दिया है कि प्रत्येक विभाग से एक प्रतिशत की राशि इस निधि के लिए ले ली जाय, जैसा कि सैनी जी ने कहा कि जो आपदायें आती हैं और जो हमारी भौगोलिक परिस्थितियां हैं।

यह पहला अवसर है जब कि आपदा प्रबन्धन के लिए एक अलग से ही विभाग बनाया गया है और बजट में भी उसके लिए अलग से प्रावधान कर रहे हैं और समय–समय पर जो आकस्मिकता निधि है उसको आवश्यकता अनुसार संशोधित भी किया जा सकता है फिलहाल जो 8 दिसम्बर को हमने अध्यादेश प्रख्यापित किया था उसे हम ले रहे हैं आप ने जो सुझाव दिया, वह स्वीकार योग्य है। और समय–समय पर भविष्य में यह बढ़ा दिया जायेगा।

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, मैंने जो सुझाव दिया माननीय मंत्री जी ने उसे स्वीकार कर लिया है इसलिए मैं अपने संशोधन को वापस लेता हूं और राम सिंह सैनी जी भी अपने संशोधन को वापस लेते हैं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि "उत्तरांचल आकस्मिकता निधि विधेयक, 2001 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया)

खण्ड–2 से खण्ड–7 तक, खण्ड–1 तक प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तरांचल आकस्मिकता निधि विधेयक, 2001
(उत्तरांचल अधिनियम संख्या ———— सन् 2001)

उत्तरांचल राज्य के लिये आकस्मिकता निधि की स्थापना की व्यवस्था करने के लिये–

अधिनियम

चूंकि भारत का संविधान के अनुच्छेद 267 के खण्ड (2) द्वारा राज्यों के विधान मण्डल को अन्य बातों के अतिरिक्त यह भी शक्ति दी गई है कि वह अपने–अपने राज्य के लिये विधि द्वारा आकस्मिकता निधि की स्थापना कर सकें ;

इसके लिये निम्नलिखित रूप में यह अधिनियम बनाया जाता है :–

1. (1) इस अधिनियम का नाम उत्तरांचल आकस्मिकता निधि अधिनियम, 2001 होगा। — संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ
   (2) यह 8 दिसम्बर, 2000 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

2. इस अधिनियम में– — परिभाषाएं
   (क) "निधि" का तात्पर्य धारा–3 के अधीन स्थापित उत्तरांचल आकस्मिकता निधि से है ;
   (ख) "राज्यपाल" का तात्पर्य उत्तरांचल के राज्यपाल से है ;
   (ग) "राज्य" का तात्पर्य उत्तरांचल राज्य से है ;
   (घ) "राज्य सरकार" का तात्पर्य उत्तरांचल की राज्य सरकार से है।

3. इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर राज्य सरकार के लिए यह आवश्यक होगा कि वह राज्य में राज्य के लिये उत्तरांचल आकस्मिकता निधि के नाम से एक निधि स्थापित करे। — निधि की स्थापना

4. इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर राज्य सरकार के लिए यह आवश्यक होगा कि राज्य की संचित निधि में से पन्द्रह करोड़ रुपये की धनराशि निकाल कर इस निधि में जमा कर दे। — राज्य की संचित निधि से धनराशियों का निकाला जाना और उन्हें निधि में जमा करना

5. यह निधि उत्तरांचल के राज्यपाल के अधिकार में दी जायेगी और वे उस समय तक जब तक कि राज्य के अतर्कित व्यय विधिकृत विनियोग द्वारा राज्य के विधान मण्डल से प्राधिकृत — प्रयोजन जिनके लिये निधि का उपयोग किया जा सकता है

न हो जांय, ऐसे व्ययों की पूर्ति के निमित्त समय–समय पर अग्रिम के रूप में रुपया देने के अतिरिक्त, इस निधि को और किसी काम में न लायेंगे और उपर्युक्त प्रयोजनों के लिये राज्यपाल द्वारा अग्रिम के रूप में जितना धन दिया गया होगा उतना ही धन ऐसी विधि के प्रवर्तन में आने के तुरन्त बाद इस निधि में जमा कर दिया गया समझा जायेगा और इस निधि में इस प्रकार संक्रामित धनराशि सब प्रयोजनों के लिये इस निधि का अंग समझी जायेगी।

नियम बनाने की शक्ति

6. राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के सभी या किन्हीं प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है।

निरसन और अपवाद

7. (1) उत्तरांचल आकस्मिकता निधि अध्यादेश, 2000 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे, निरसन के होते हुये भी, उप धारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही, इस अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

उत्तरांचल आकस्मिकता निधि अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2001

उत्तरांचल राज्य के लिए आकस्मिकता निधि की जमा धनराशि में वृद्धि की व्यवस्था करने के लिए :

विधेयक

चूंकि भारत का संविधान के अनुच्छेद, 267 के खण्ड (2) द्वारा राज्यों के विधान मण्डल को अन्य बातों के अतिरिक्त यह भी शक्ति दी गई है कि वह अपने–अपने राज्य के लिए विधि द्वारा राज्य आकस्मिकता निधि की व्यवस्था कर सके :

भारत का गणतन्त्र के बावनवें वर्ष में उत्तरांचल विधान सभा एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियमित करती है :–

संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और परिभाषाएं

(1) इस अधिनियम का नाम उत्तरांचल आकस्मिकता निधि अधिनियम (संशोधन) अधिनियम, 2001 कहा जायेगा।

(2) उत्तरांचल आकस्मिकता निधि अधिनियम, 2001 (अधिनियम संख्या 2, सन् 2001) की धारा 4 में शब्द "पन्द्रह" के स्थान पर शब्द "तीस" प्रतिस्थापित किया जाता है।

(3) इससे उत्तरांचल आकस्मिकता निधि (संशोधन) अध्यादेश (संख्या 03, सन् 2001) निरसित किया जाता है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–7 तक, खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जांय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि "उत्तरांचल आकस्मिकता निधि, विधेयक, 2001" पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि "उत्तरांचल आकस्मिकता निधि, विधेयक, 2001" पारित किया जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

अब हम 3.00 बजे तक के लिए उठते हैं।

(सदन 1 बजकर 36 मिनट पर भोजनावकाश के लिए स्थगित हुआ)

(भोजनावकाश)

(सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में अपरान्ह 3 बजे पुनः प्रारम्भ हुई)

महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, राज्यपाल के अभिभाषण पर जो संशोधन का प्रस्ताव मैंने रखा है उसमें श्री के० सी० सिंह बाबा जी का नाम नहीं लिखा गया है उसे भी आप लिख लें और कल वह इस पर बोलेंगे।

मान्यवर, मैं कुछ मौलिक बिन्दुओं की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित कर रही थी। इस बीच में बहुत सारे संगठन के लोग अपनी–अपनी समस्याओं को लेकर नयी राजधानी देहरादून में नयी उम्मीदों के साथ आये हैं। उनके पास बहुत सारी जानकारी का भी अभाव होता है। कुछ अज्ञानता में, कुछ अपनी परेशानियों में और कुछ अपनी रोजगार के तलाश में, कुछ किसी के माध्यम से कि हमारी मांगे पूरी होंगी, यहां आते हैं। उनमें प्रमुख रूप से उत्तराखण्ड बेरोजगार डिप्लोमा इंजिनियर जो हैं और माननीय मुख्य मंत्री जी ने आश्वासन भी दिया, उनको भय था कि वहां से लोक सेवा आयोग से जो लोग आयेंगे उनको रख लिया जायेगा परन्तु मुख्य मंत्री जी ने कहा कि हमने उस पर रोक लगा दी है। अपने आयोग के माध्यम से उन्हें लेकर नियुक्ति का अवसर मिल जाये, इस

दृष्टि से भी देखा जाना चाहिए। सम्भवतः इस सम्बन्ध में अभी नीति भी नहीं बनी होगी। श्रीमन् इसके अतिरिक्त स्वजल परियोजनाओं के सम्बन्ध में काफी शिकायतें और अनियमितताओं के बारे में मामले आये हैं, यह योजना वर्ल्ड बैंक द्वारा पोषित है।

बहुत से लोगों को यह भी शिकायत है कि उनका पारिश्रमिक उनको नहीं मिल रहा है और कुछ शिकायतें ऐसी भी मिल रही हैं कि उन्हें स्वजल परियोजनाओं से कोई लाभ नहीं मिला इसलिए मैं समझती हूँ कि छोटे से राज्य में अब हम नये ढंग से और नये चिन्तन से चल रहे हैं तो अपने क्षेत्र में सरकार जांच करवा ले कि किस स्थिति में उनका शोषण हो रहा है, हमारे यहां ए0एन0एम0 के रूप में 372 महिलायें और 302 पुरुषों के पद विज्ञापित हुए थे और उत्तर प्रदेश की सरकार ने काफी पदों पर, जिन पर पर्वतीय क्षेत्र की मांग की गयी थी, नियुक्तियां कर दी गयी लेकिन जो इस क्षेत्र में महिलायें और पुरुष थे, जो क्वालीफाइड थे, उन लोगों को नौकरियां नहीं मिली और वह लोग घूम रहे हैं और इस सरकार से अपेक्षा भी कर रहे हैं। उनमें रोष भी है, कहीं ऐसा न हो, कहीं फर्जी प्रमाण–पत्र दिखाकर आये, यह जांच का विषय है इसलिए मैं उसे नहीं उठा रही हूँ परन्तु मैं इतना जरूर कहना चाहती हूँ कि जो पात्र व्यक्ति हैं, उनको अवसर मिले।

मान्यवर, चीनी जो सहकारी गन्ना समितियाँ हैं, उन लोगों को भी भारी कठिनाईयाँ आ रही हैं, एक तो उनकी मांग है यदि सम्भव हो सके, यद्यपि पुरानी योजनायें हैं, नई तो नहीं है, क्या हम अपनी सरकार के बीच में कर सकते हैं क्योंकि गन्ना हमारी आर्थिक आधार का प्रमुख स्त्रोत है और उनकी मांग है कि हमें स्थायी कर दिया जाय। पंचम वेतन आयोग की बात तो बाद में आयेगी लेकिन पहले यह तो हो जाय कि उन्हें सेवा में लेकर स्थायीकरण कर दिया जाय। उनकी शिकायत यह भी है कि 1990–91 में उन्हें कमीशन 5 प्रतिशत मिलता था, 1994–95 में 3 प्रतिशत मिलता था, 1998–99 और 2000 में इसे एक रुपया प्रति कुन्तल कर दिया, अब उन्हें कट–कटाने के बाद 69 पैसे मिलता है, यह लगातार घटता चला गया। उन्हें कई महीनों से वेतन भी नहीं मिल पाया है उनकी मांग है कि जो कमीशन पहले तय हुआ था, उसका न्यूनतम मूल्य पांच प्रतिशत कर दिया जाय और यदि कमीशन का मामला नहीं बनता है तो जो उनकी मांग का हिस्सा है, उन्हें स्थायी कर्मचारी के रूप में ले लिया जाय।

गन्ना मंत्री जी यहां पर नहीं हैं, यदि सरकार चाहे तो उन लोगों को स्थायी कर सकती है। नये राज्य का गठन हुआ है, नीतिगत बिन्दुओं पर विचार विमर्श न हो सका हो, लेकिन मैं यह कहना चाहती हूं कि हमें विषय विशेषज्ञों की भी राय लेनी चाहिए। इसलिए सुझाव के रूप में कहना चाहती हूं कि जो अर्थशास्त्री हैं, जोलोजिस्ट हैं, साइंटिस्ट हैं और सूचना तकनीकी से जुड़े लोग हैं, उनकी सेवायें प्राप्त जरूर की जाय। इसी प्रकार पर्यावरण विशेषज्ञ और पर्यटक विशेषज्ञों की भी राय ली जानी चाहिए। हम यह नहीं कह सकते जो हम लोग यहां पर बैठे हैं वह विशेषज्ञ हैं, सुझाव तो हम दे सकते हैं परन्तु जिनका एक्सपर्टाइज है और कृषि और गन्ना जैसे क्षेत्रों में वह कार्य कर रहे हैं और जिन्होंने अपना सारा जीवन इस पर लगा दिया है, उनकी सेवायें भी ली जानी चाहिए। मान्यवर, फलों के उत्पादन का मामला है, हम सभी लोग पर्वतीय क्षेत्र से आ रहे हैं, जब कभी मैं उत्तर प्रदेश में इस सम्बन्ध में पूछती थी तो भण्डारी जी नाराज भी हो जाते थे, कुमायूं मण्डल विकास निगम या गढ़वाल मण्डल विकास निगम उसका दाम नहीं दे पाये

इसलिए हमें इस व्यवस्था को भी सुदृढ़ करना होगा तभी हम इस उत्तरांचल राज्य को समृद्ध और सम्पन्न राज्य बना सकते हैं। मैं समझती हूँ कि सरकार को इस पर गम्भीर चिन्तन करना चाहिए और विशेषज्ञों की भी राय लेकर काम करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ और आपके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ।

श्री बिशन सिंह चुफाल–

माननीय अध्यक्ष जी, महामहिम के अभिभाषण पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, उत्तरांचल राज्य की प्राप्ति के लिए 1994 से एक जन आन्दोलन शुरू हुआ था, जो आन्दोलन किसी राजनैतिक पार्टी का नहीं था बल्कि महिलाओं का आन्दोलन, छात्रों का आन्दोलन, कर्मचारियों का आन्दोलन और नवयुवकों का आन्दोलन था और इस आन्दोलन में जिन लोगों ने संघर्ष करके अपने प्राणों की आहुति दी, उनके परिवारजनों को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की गयी है इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मान्यवर, वर्तमान वर्ष में प्रदेश सरकार को जो 2 हजार आठ सौ 92 करोड़ रुपये की प्राप्ति है, उसके सापेक्ष अनुमानित व्यय 4868 करोड़ रुपये की है। सीमित संसाधनों के बावजूद भी सरकार ने कई योजनायें बनाईं जिन पर निर्माण कार्य चल रहा है और उसका एक लक्ष्य निर्धारित किया है।

सामाजिक क्षेत्र में प्राथमिकता दी गयी है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पेयजल के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में यह कहा गया है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दी जायेगी और हर गांव में प्राथमिक विद्यालय खोलने की योजना है। इसके लिए सरकार ने वहीं पर गांव के रहने वाले व्यक्ति को अध्यापक के तौर पर शिक्षा मित्र के नाम पर नियुक्ति दी है, मान्यवर, विशेष कर धारचूला और मुनस्यारी क्षेत्र है, वह जनजाति क्षेत्र है, वहाँ पर अधिकांश प्राइमरी विद्यालय बन्द रहते थे और एकल विद्यालय थे। आज सरकार द्वारा उनमें शिक्षा मित्र की व्यवस्था की गयी है ताकि वह विद्यालय अब बन्द न रहें। मान्यवर, प्रदेश में लम्बे समय से 2700 पद प्रवक्ता के रिक्त पड़े हैं, हमारे जनपद पिथौरागढ़ में 350 पद रिक्त हैं, सरकार द्वारा उन रिक्तियों को भरे जाने के लिए शिक्षा– बन्धु की योजना बनाई है ताकि जो स्थानीय बेरोजगार लोग हैं, नवयुवक हैं, उनको रोजगार मिलेगा।

दूसरी प्राथमिकता है स्वास्थ्य, आज हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जो सुदूर दूर–दराज के गाँव हैं जिनको स्वास्थ्य और परिवार कल्याण का लाभ नहीं मिलता था, आज हमारी सरकार द्वारा उन दूर–दराज के गाँव के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के लिए जो हमारे रक्षक दल हैं आंगन बाड़ी कार्यकत्रियाँ हैं, उनके द्वारा यह सुविधा दी जा रही है। तीसरी प्राथमिकता है पेयजल की, आज प्रदेश में अधिकांश पेयजल योजनायें बन्द पड़ी हैं। जब उनका सर्वे काम होता था तो आज तक जिला मुख्यालय पर ही सर्वे का काम किया जाता था, लेकिन आज हमारी सरकार द्वारा मुख्यालय के जो अधिकारी हैं, वह कार्यस्थल पर जाकर सर्वे का काम कर रहे हैं क्योंकि तभी योजनायें सही रूप से कार्यान्वित होंगी और प्रदेश की जनता को लाभ मिलेगा। आज प्रदेश के हर गांव में पेयजल देने की घोषणा की गयी है। इस वित्तीय वर्ष में 350 गांवों को पेयजल देने की बात है, इसी प्रकार सरकार की अन्य प्राथमिकतायें भी हैं। हमारे यहां पर्यटन की अपार

संभावनायें हैं, मेरे पिथौरागढ़ क्षेत्र में बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं, जो पर्यटन मानचित्र में नहीं हैं। जैसे पाताल भुवनेश्वरी है, वह अपने आप में विश्व में एक अदभुत चीज है, वहां पर पर्यटकों के रहने के लिए आवास घर बनाये गये हैं, यदि उस क्षेत्र को पक्की सड़क से जोड़ दिया जाय तो काफी पर्यटक वहां पर आयेंगे। इसी तरह से हमारे यहाँ थनकई देवता देवपाल के नाम से एक जगह मशहूर है। इसकी कहानी है कि एक पत्थर से, एक हाथ से एक रात में उस देवपाल का निर्माण हुआ और वह भी एक अद्भुत चीज है। इसके अलावा एक छिपला कोर्ट है जहाँ पर कस्तूरी मृग बिहार करते हैं, ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित किया जाय। जिस तरह से उत्तरांचल में पर्यटन एक आय का स्रोत है। जैसे कुमायूँ विकास निगम के द्वारा मानसरोवर तक जाने वाला रास्ता है, उस पर प्रकाश की व्यवस्था की जाय। तिब्बत के क्षेत्र, उनकी आधुनिक व्यवस्था की गई है और जहाँ पर विदेशी पर्यटक और अन्य पर्यटक भी आते हैं, हमारी सरकार ने तीन हवाई पट्टियों का उच्चीकरण करने का कार्य किया है, यह भी एक सराहनीय कार्य है।

आज प्रदेश में कुमायूँ मण्डल विकास निगम और गढ़वाल मण्डल विकास निगम द्वारा चाय की खेती की जा रही है। उत्तरांचल का अधिकांश क्षेत्र पर्वतीय क्षेत्र है, जहाँ कि विषम भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, जहाँ की जलवायु इसके लिए बिल्कुल उपयुक्त है, आज चाय की खेती 22 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में की जा रही है। स्थानीय लोग जो बेरोजगार हैं, इससे 22 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा और 32 हजार करोड़ रुपये की आमदनी होगी। जनपद पिथौरागढ़ में एक बेरीनाग क्षेत्र है, जहाँ पर आज से 30–40 साल पहले चाय की खेती होती है। जिसकी मांग विदेशों में काफी थी। 1985 तक बेरीनाग से चाय विदेशों को भेजी जाती थी। आज जो कुमायूँ और गढ़वाल मण्डल विकास निगम द्वारा चाय की खेती की जा रही है, उस चाय में और बेरीनाग वाली चाय में काफी अन्तर है। परन्तु आज बेरीनाग के चाय के बगीचों की देखभाल नहीं की जा रही है। वहाँ पर जमीन है सिर्फ एक मालदार साहेब की। बेरीनाग में जहाँ पर उनके पास 30 हजार नाली जमीन है, वहीं चुकौड़ी में 40 हजार नाली जमीन है और दोनों क्षेत्रों में 15 हजार नाली में चाय का बगीचा है। यदि उन चाय के बगीचों की देखभाल की जाय, जिस प्रकार 1985 तक वहाँ से चाय का निर्यात विदेशों को किया जाता था उसी प्रकार हम अन्य चाय को भी निर्यात कर सकते हैं। मान्यवर, हमारे प्रदेश में जड़ी–बूटियाँ काफी मात्रा में हैं। जड़ी बूटियों से सम्बन्धित काफी उद्योग धन्धे लग सकते हैं क्योंकि हमें परियोजनायें बनाने में काफी वित्त की आवश्यकता है, यदि हम इन जड़ी–बूटियों पर आधारित उद्योग लगायेंगे तो हमें वित्तीय कमी नहीं होगी। हमारे पास अनेक जड़ी–बूटियाँ हैं, हमारे पास जंगल में एक घास होती है, समेवा होता है, गोकुल नाम की घास होती है और तेजपाती होती है, इसके मिश्रण करके हम अगरबत्ती बना सकते हैं। मुनस्यारी और धारचूला में कार्य भी चल रहा है। हमारे पास तिमूर और वज्रदन्ती है, जिसका मंजन में उपयोग किया जाता है।

मान्यवर, माननीय सदस्य कह रहे थे। सालमपंजा है और कुटीस भी है। इसका उपयोग भी हम कर सकते हैं। 8 से 10 हजार फिट में एक जड़ी–बूटी पायी जाती है जिसका नाम यमकोलासा है जिसकी कीमत 80 हजार रुपये किलो है और अमेरिका में ढाई लाख डालर प्रति किलो उसकी कीमत है। यह एक कीड़ा होता है, जमीन के अन्दर। जब वह बीज के अन्दर से बाहर निकलता है तो वह मर जाता है, वह नेपाल और तिब्बत के माध्यम से बाहर जाता है। इसी प्रकार से अनेक जड़ी–बूटियाँ हैं जो हिमालय

की पहाड़ियों में पायी जाती हैं और नेपाल तथा तिब्बत के माध्यम से चाईना और अमेरिका चली जाती हैं। इसकी कोई रायल्टी हमें नहीं मिलती है। इस पर रोक लगायी जाय और इन जड़ी–बूटियों को पेटेन्ट करवाया जाय। इनकी शोध संस्थायें भी हैं और जड़ी–बूटी की खेती भी की जानी चाहिए और जो हमारे वैज्ञानिक हैं, उनकी सहायता इसमें ली जानी चाहिए। हमारे दूर–दराज के ऐसे गाँव हैं जहाँ पर काफी फल होते हैं जैसे आलू, नींबू, सन्तरा, सेब आदि परन्तु यातायात का साधन न होने के कारण वह बेकार हो जाती थी।

हमारी सरकार ने दूर–दराज के गाँवों को रोपवे से जोड़ने का निर्णय लिया है। सम्पर्क मार्ग से जोड़ा गया है, जिन लोगों को जहाँ पर उनको कोई कीमत नहीं मिलती थी, यदि गाँवों को रोपवे से जोड़ दिया गया तो उनको उसका उचित मूल्य मिलेगा। इसके अलावा पूरे प्रदेश में 70 प्रतिशत खेती होती है, कृषि उत्पादन में पोटाश पर व्यापार–कर की छूट दी गई है और गन्ने के मूल्य में वृद्धि की गई है। इसके अलावा पर्वतीय क्षेत्र में अनेक प्रकार की विकास संबंधी योजनायें हैं। आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि महामहिम राज्यपाल द्वारा जो अभिभाषण यहाँ पर रखा गया है, उसका समर्थन करते हुए मैं कहना चाहता हूँ कि आज उत्तरांचल की नींव पड़ी है और उत्तरांचल हरा–भरा बने और एक शक्ति राज्य बने और एक समृद्धशाली राज्य बने। इसमें सभी माननीय सदस्यों का सहयोग अपेक्षित है और हम सब लोगों की जिम्मेदारी भी है। इसलिए मैं इस अभिभाषण का समर्थन करता हूँ

श्री राम सिंह सैनी–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। हमारी विधान सभा चल रही है लेकिन न तो राष्ट्रपिता बापू जी का चित्र है और न ही राष्ट्रीय ध्वज है। इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

वास्तव में जिस दिन शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था, उस दिन चित्र लगा था परन्तु वह सम्मानजनक चित्र नहीं था। वह चित्र बन रहे हैं, अगली बार इसे सुनिश्चित कर लेंगे।

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, मैं अभिभाषण के पक्ष में खड़ा हुआ हूँ। मान्यवर, अभिभाषण में माननीय मुख्य मंत्री जी ने जिस तरह से शिक्षा, स्वास्थ्य और पेयजल को सुदृढ़ बनाने का प्रयास किया है, मुझे आशा है कि उससे उत्तरांचल को लाभ मिलेगा। प्रत्येक व्यक्ति जो गाँवों में रहते हैं उनको लाभ मिलेगा। प्रशासनिक ढाँचा भी सुदृढ़ करने की बात कही गई है, यदि प्रशासनिक ढाँचा सुदृढ़ होगा तो उससे कानून व्यवस्था भी सुदृढ़ होगी और प्रत्येक व्यक्ति को न्याय मिलेगा। उत्तरांचल सरकार के द्वारा भी बहुत सारे कदम तत्परता से उठाये गये हैं, निश्चित रूप से जनता को उससे लाभ मिलेगा। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान कुछ समस्याओं की ओर ले जाना चाहता हूँ। ऊधमसिंह नगर की कानून–व्यवस्था की बात करना चाहता हूँ । माननीय मुख्य मंत्री जी ने उत्तरांचल बनने के बाद काफी ध्यान दिया और उसे काफी सुदृढ़ करने का भी प्रयास

किया है, फिर भी ऊधमसिंह नगर में भारतीय जनता पार्टी के दो कार्यकर्ताओं की सरेआम हत्या कर दी गई। किलाखेड़ा के अन्तर्गत दो दिन तक लगातार डकैती पड़ती रही। एक दिन डकैती पड़ी और दूसरे दिन फिर उसी जगह पर डकैती पड़ी।

किच्छा के अन्दर सरे आम दाल व्यापारी की हत्या कर दी गई, सारा बाजार बन्द हो गया। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि वहाँ की कानून व्यवस्था इसलिए खराब हो गई है कि वहाँ पर जो अधिकारी बहुत समय से वहाँ पर रह रहे हैं जो उत्तर प्रदेश जाना चाहते हैं उनको उत्तर प्रदेश को भेजे जाने का प्रयास होना चाहिए ताकि उत्तरांचल के जिस कर्मचारी और अधिकारी को आप वहाँ पर भेजेंगे तो वह काम करेगा, उसे सरकार का डर होगा और जनता का डर रहेगा। क्योंकि वहाँ पर जो अधिकारी हैं, वह यह देख रहे हैं कि हमें यहाँ से कब जाना है और कब जाकर उत्तर प्रदेश में बैठना है। उत्तरांचल में जिस तत्परता से उनको काम करना चाहिए, वह उस तरह से काम नहीं कर रहे हैं, इसी के साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि किसानों की भी आज एक ज्वलन्त समस्या है। राज्य बना और राज्य बनते समय धन आया और अचानक राज्य बन गया। उस समय उत्तर प्रदेश की बहुत सारी एजेन्सियाँ काम कर रही थी परन्तु जितने सेन्टर खुलने चाहिए थे और किसानों को लाभ मिलना चाहिए था उतना नहीं मिल पाया। फिर भी हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने कई जगहों पर सेन्टर खुलवाये और वहाँ पर अधिकारियों को भी भेजा और हमारे खाद्य सचिव भी गये और उन्होंने भी वार्ता की, पर एक दिक्कत बहुत सामने आयी है, वह दिक्कत है जो धान का पैसा है और जो लेवी की चावल का पैसा है, वह पैसा उन्हें नहीं मिल पा रहा है। 65 करोड़ रूपये केन्द्र सरकार ने दे दिये उत्तरांचल को। परन्तु मात्र 12 करोड़ रुपये ही चावल व्यापारियों को मिला, बाकी पैसा आज तक नहीं मिला है। यह आवश्यक है कि उनको पैसा मिले, तभी जाकर धान के किसानों को लाभ मिल पायेगा। ऊधमसिंह नगर की स्थिति बहुत खराब है वहाँ किसान परेशान हैं, राइस मिलर्स परेशान हैं, अगर इसी तरह से राइस मिलर्स परेशान रहे तो निश्चित रूप से वह पलायन करेंगे और आज बहुत सारी राइस मिलर्स आस–पास के जनपदों में जगह की तलाश कर रहे हैं। इससे उत्तरांचल के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा। जब हम राज्य बनने की बात कर रहे थे, चाहे हम विधान सभा के अन्दर कर रहे थे या बाहर कर रहे थे तो उस समय भी ऊधमसिंह नगर उत्तरांचल में रहे और यह बात विधान सभा में भी उठती थी और आज विधान सभा के अन्दर फिर उठ रही है। जब भी कहीं चर्चा होती है तो ऊधमसिंह नगर के विषय पर चर्चा कहीं न कहीं होती है। मैं कहना चाहता हूँ कि ऊधमसिंह नगर का व्यापारी और किसान और वहाँ की जनता के बारे में हमारी सोच होनी चाहिए कि हम उनको साथ लेकर चलें।

अगर आने वाले समय में ऊधमसिंह नगर के किसान और व्यापारी खुश नहीं हुए और वहाँ के लोग खड़े हो गये क्योंकि मैं उस विधान सभा क्षेत्र का प्रतिनिधि हूँ, उत्तरांचल राज्य बनने के लिए हमने लड़ाई लड़ी है और मैं जेल भी गया हूँ। गाजीपुर जेल के अन्दर 14 दिन तक मैं रहा। उस समय जेल में जाने वाले हम केवल 5–6 लोग ही थे, उसमें भी मैं कहना चाहता हूँ कि उत्तरांचल राज्य की प्राप्ति के लिए तराई के लोगों ने अपनी शहादत दी है। वहाँ के जन प्रतिनिधियों ने लड़ाई लड़ी है। जो उस समय कहा जाता था कि हम ऊधमसिंह नगर की जनता को साथ लेकर चलेंगे और वहाँ पर कर नहीं लगायेंगे परन्तु मैं कहना चाहता हूँ कि वहाँ पर कर लगाये जा रहे हैं। यह भी कहा

गया था कि कच्चे माल पर कर नहीं लगेगा, 31 मार्च के बाद हम बैठकर तय करेंगे परन्तु मैं कहना चाहता हूँ कि करों को लगाया जा रहा है और आज डेढ़ परसैन्ट मण्डी शुल्क लगा। मैं कहना चाहता हूँ कि कच्चा माल जो आसपास के जिलों से आता है, जब हमने राज्य बनने की बात कही थी तो तब हमने कहा था कि यहाँ गेहूँ भी आयेगा और उत्तर प्रदेश से धान भी आयेगा परन्तु आज हमने वहाँ पर धान पर कर लगा दिया। कच्चे माल पर डेढ़ परसैन्ट मण्डी शुल्क लगाने की बात करते हैं। इस पिरिस्थिति में कर लग रहे हैं तो मुझे इस बात को कहते हुए भी कोई संकोच नहीं है कि एक ओर हम कह रहे हैं कि कर नहीं लगा रहे हैं और दूसरी ओर कर लगाये गये है और वहाँ का व्यापारी रो रहा है तथा वहाँ का व्यापारी बहुत परेशान है। मैं कहना चाहता हूँ कि जो हमने कहा है वह हमको करना चाहिए। हमारी पार्टी और सरकार कहती है कि हमारी कथनी और करनी में कोई अन्तर नहीं है तो मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी कथनी और करनी एक होनी चाहिए ताकि किसानों को वहाँ पर उसका लाभ मिल सके।

मान्यवर, हमारे क्षेत्र के अन्दर एक बंगाली बाहुल्य क्षेत्र है और बहुत सारे बंगाली भाई वहाँ रहते हैं, उनको हमने अनुसूचित जाति का दर्जा देने की बात कही थी और पहले से भी कहते हुए चले आये हैं, माननीय मुख्य मंत्री जब पिछले दिनों ऊधमसिंह नगर के दौरे पर आये थे तो उन्होंने इस बात की चर्चा की थी। मैं कहना चाहता हूँ कि जो हमारे बंगाली भाई हैं, उनको अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जाय। मैं ऊधमसिंह नगर के बारे में एक चीज की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि वहाँ पर हमारे बंगाली भाई भी बहुत रहते हैं। वहां पर रवीन्द्र नगर में एक कांड हुआ था परन्तु पुलिस ने 40 लोगों को उठाकर जेल भेज दिया था। बरेली जेल में वह रहे, उनके खिलाफ झूठे मुकदमें लगाये गये, माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी कहा था कि हम उन मुकदमों को वापस ले लेंगे परन्तु जो राज्यपाल का अभिभाषण है उसमें उत्तरांचल आन्दोलन के मुकदमों को वापस लेने की बात तो कही गयी है परन्तु जो हमारे बंगाली भाई हैं, गरीब लोग हैं, उनके मुकदमों को वापस लेने के लिए कोई जिक्र नहीं किया गया है, उनके मुकदमें भी वापस होने चाहिए ताकि उन लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। जहाँ तक राज्य बनने की बात है, मैं कहना चाहता हूँ कि राज्य बनने के साथ-साथ ऊधमसिंह नगर का जो क्षेत्र है, जहाँ पर धान, गन्ना, गेहूँ और भी अपार सम्पदा होती है, अगर हम उसको विश्वास में लेंगे तो निश्चित रूप से उत्तरांचल खुशहाल होगा। यदि वहाँ की जनता को नाराज कर दिया तो उत्तरांचल की खुशहाली पर निश्चित रूप से प्रश्न चिन्ह लगेगा और आने वाले समय में हमको इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। मैं इतना कहते हुए पुनः राज्यपाल महोदय जी के अभिभाषण का समर्थन करता हूँ। इस बात को दोबारा कहते हुए, वहाँ की जनता के मन को जीतना पड़ेगा और ऊधमसिंह नगर की जनता को जो सम्मान नहीं मिला है, वह सम्मान हमें उन्हें देना होगा। इतना कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

समाज कल्याण, कारागार, उद्यान, मानवाधिकार एवं राष्ट्रीय एकता मंत्री (श्री नारायण रामदास)-

माननीय अध्यक्ष जी, महामहिम राज्यपाल द्वारा जो अभिभाषण यहां रखा गया है, निसंदेह उत्तरांचल की खुशहाली और समृद्धि के मार्ग में एक पहला ऐतिहासिक कदम है। मेरा मानना है कि महामहिम राज्यपाल ने उत्तरांचल राज्य के संदर्भ में जिन भ्रान्तियों को अब तक धीरे-धीरे से बताया गया था, उन सबको निर्मूल करते हुए उत्तरांचल की

भौगोलिक, सामाजिक, जलवायु सम्बन्धी, उद्योगों से सम्बन्धित, कृषि से सम्बन्धित, बागवानी से सम्बन्धित और लघु उद्योगों सभी प्रकार की बातों का बहुत गहराई से और गम्भीरता के साथ प्रस्तुत किया गया है। कहा जा रहा है कि राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में एक औपचारिकता पूरी की है और कोई गम्भीर परिचय नहीं दिया है। हम इस बात से सहमत नहीं हैं। राज्यपाल महोदय ने बहुत ही गम्भीरता से सभी विषयों को लेते हुए हरिद्वार जनपद और ऊधमसिंह नगर जनपद की जो तात्कालिक समस्या थी, एक प्रकार से राजनीति के दुरूपयोग के आधार पर बन सकती थी, उनका भी समाधान करने की बात कही बल्कि उसका प्रमाण भी दिया। यह भी कहा गया है कि अनुसूचित जातियों के लिए, अनुसूचित जनजातियों के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण की बात नहीं कही गयी। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में उनके हितों की जो संवैधानिक गारंटी है, वह रक्षा करने की बात है। मैं नहीं समझता हूँ कि इससे अधिक आवश्यकता फिर क्या रह जाती है। सदन में राज्यपाल महोदय का अभिभाषण केवल नीतियों का संकेत होता है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि यह एक सर्वव्यापी नीतियों के संकेत इस अभिभाषण में मिलते हैं। बात आयी थी फलों के संरक्षण के बारे में, विपणन के बारे में और उद्यान के बारे में।

मेरा अनुरोध है कि महामहिम राज्यपाल महोदय ने फलों के विपणन से सम्बन्धित, फलों के उत्पादन, सब्जियों का उत्पादन, उद्यानों का विकास इन सभी को बहुत अच्छी तरह से मार्ग दर्शन दिया है। उत्तरांचल सरकार में उद्यान के बारे में महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जो बातें दर्शायी गयी हैं, उससे यह स्पष्ट होता है कि उद्यानों का विकास बहुत तेज गति से उत्तरांचल सरकार करने जा रही है, इसी दशा में जो हमारे अच्छे और महत्वपूर्ण किस्म के उद्यान हैं उनको जीप मार्ग से जोड़ने और जो फलों, सब्जियों की उत्पादकता के क्षेत्र को रज्जु मार्ग के माध्यम से जोड़कर किसानों के उत्पाद को बाजार में सही मूल्य पर लेकर विपणन को बढ़ावा देने के मार्ग में भी अपनी बात कही है। यह कोई मामूली योजना नहीं है। जब रज्जु मार्ग की बात आती है और जब जीप मार्ग से जोड़ने की बात आती है तो इसके लिए बड़ी धनराशि की आवश्यकता होती है। इसके लिए सारे सदन का एक मत है।

यह सौभाग्य है कि सारा सदन और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से सहयोग मिल रहा है, उसी तरह से सहयोग आगे भी मिलता रहेगा और उत्तरांचल राज्य को एक आदर्श राज्य बनाने में सबसे आगे रहेगा। ऐसा मैं समझता हूँ, इसी दृष्टिकोण से हमारा प्रयास चल रहा है। विश्व बैंक से भी सम्पर्क चल रहा है। जिन उद्यानों की दयनीय स्थिति है, उसको कैसे आर्थिक आधार के रूप में बनाया जाय, उम्मीद है कि विश्व बैंक की योजना अगर हमारी सरकार के माध्यम से प्रारम्भ होती तो प्रत्येक महत्वपूर्ण उद्यान को जीप मार्ग से जोड़ना और रज्जु मार्ग से जोड़ करके कृषि से सम्बन्धित सभी उत्पादों को सही समय पर बाजार में पहुँचाने और उसका उचित मूल्य दिलवाने का प्रयास हमारी सरकार कर रही है। मान्यवर, एक सवाल उठा था कि इस विधान सभा में कुछ माननीय सदस्य अवैधानिक रूप से और संवैधानिक रूप से विराजमान नहीं हैं। मान्यवर, संविधान की धारा 173 (3) बहुत स्पष्ट है, उसमें कहा गया है ....

श्री अध्यक्ष–

मेरा निर्णय इस पर सुरक्षित है इसलिए इस पर ज्यादा चर्चा न की जाय तो अच्छा है।

श्री नारायण रामदास–

मान्यवर, मेरा मानना था क्योंकि अभी निर्णय सुरक्षित है इसलिए सुरक्षित निर्णय होने से पहले कुछ भी तर्क दिये जा सकते हैं परन्तु आपने जो निर्देश दिया है उसे मैं स्वीकार करता हूँ। उद्यानों के विकास के संबंध में एक बात आयी थी कि वर्तमान में हमारे फल और सब्जियां मार्केट की ओर निहार रही हैं उसके लिए क्या व्यवस्था की गयी है। मान्यवर, माननीय सदन पूर्ण रूप से विज्ञ है कि उत्तर प्रदेश में उत्तरांचल का वार्षिक बजट 31 मार्च, 2001 तक जो पारित हुआ है तब तक फलों के विपणन के संबंध में कोई नयी योजना इस समय दे पाना सरकार के पास नहीं है। लेकिन आने वाले उत्पादों को सही बाजार मिले और काश्तकारों को सही मूल्य मिले, उद्यानों का विकास हो यह प्रयास बहुत तेजी से चल रहा हैं। 5 हजार हेक्टेयर भूमि में ओकटसर बनाये जाने की सम्भावना है उस पर तैयारी की जा रही है अगर 5 हजार हेक्टेयर भूमि में अगर ओकटसर का उत्पादन हुआ तो हम रेशम उद्योग के मामले में चीन के सामने प्रतियोगिता करने मे सफल हो पायेंगे, ऐसी सम्भावना है। जहाँ तक मुझे जानकारी दी गई है मात्र देहरादून जनपद में ही जो सिल्क उत्पादित होता है, प्योर सिल्क वह चीन की शुद्ध रेशम की तुलना में बहुत अच्छे किस्म का बताया गया है लेकिन इस समय हमारे यहाँ जो रेशम उत्पादन हो रहा है उस सूत को हमको बाहर भेजना होता है। यहाँ पर उसके लिये मार्केट न होने के कारण रेशम उत्पादकों को सही मूल्य नहीं मिल पाता इसलिये रेशम उद्योग की जो सम्भावनायें थी वह आज तक उपेक्षित रहीं। रेशम उद्योग में हमारा प्रयास है कि हम उत्तरांचल में ही एक सिल्क इण्डस्ट्री स्थापित करें जिसके माध्यम से रेशम उत्पादकों को न केवल प्रोत्साहन मिलेगा अपितु रेशम उत्पादन में हमारा उत्तरांचल आगे आयेगा, इस सम्भावना के साथ हम प्रयास कर रहे हैं।

मान्यवर, जहाँ तक लघु उद्योग की बात आयी लघु उद्योगों की स्थिति यह है कि, जहाँ तक मेरी जानकारी है, करीब 90 प्रतिशत लघु उद्योग मृतप्राय हैं या समाप्त हो गये हैं। स्थिति यह है कि जो लघु उद्योग बनाये गये थे, उनकी भी जिम्मेदारी उत्तरांचल सरकार पर कदाचित आने वाली है। इसके बावजूद भी जो उद्योग पुनर्जीवित हो सकते हैं, उनको हम करेंगे और जो उद्योग अब पूर्णरूप से नहीं चल सकते हैं, उनका चिन्हीकरण कराया जा रहा है। पुनर्जीवित उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। मुझे यह जानकर दुख होता है कि भेड़ उत्पादन हमारे यहाँ अधिक मात्रा में होता है लेकिन ऊन बाहर से मंगानी पड़ रही है हमारा 15 लाख का ऊन उत्तरकाशी जनपद में स्टोर में पड़ा हुआ है और उसे हमारे विभागीय अधिकारी भी खरीदने को तैयार नहीं हैं। इसका कारण यह है कि हमारे पास बजट नहीं है। चाहे रेशम उद्योग हो, खादी ग्रामोद्योग हो, हथकरघा उद्योग हो या उद्यान हो, या समाज कल्याण का कार्यक्रम हो ये सारे के सारे कार्यक्रम उत्तर प्रदेश सरकार में रहते हुए उपेक्षित होते रहे। उसके पीछे उत्तर प्रदेश सरकार का दोष कम बल्कि यहां पर जो काम करने वाले अधिकारी थे या कर्मचारी थे, उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। इन तीनों लोगों की मानसिकता के कारण ये उपेक्षित रहे। यह मेरा मानना है, इसी आधार पर मैं अपनी बात माननीय सदन में रख रहा हूँ।

हमारा पूरा प्रयास है कि हम समाज कल्याण विभाग में हमारे बहुत सारे पिछड़े वर्ग के लोग हैं जिनकी कुल आबादी उत्तरांचल में 10 प्रतिशत है, अल्पसंख्यकों की आबादी 16 प्रतिशत है और अनुसूचित जाति की आबादी 18 प्रतिशत है। इस तरह से कुल मिलाकर 48 प्रतिशत है हमारे कमजोर वर्गों की। आजादी के 50 साल के बाद भी वह उपेक्षित रहे। उसके पीछे वही कारण है जो सामान्य क्षेत्र में होते दिखायी देते हैं। आज तक चाहे जिस भी दृष्टिकोण से रखा हो, मेरा यह स्पष्ट मानना है कि कोई भी अधिकारी/कर्मचारी उत्तरांचल में किसी भी सरकारी योजना में अब बेईमानी के ऐंगिल से देखने के बजाय सीधे-सीधे ईमानदारी से काम करेंगे अन्यथा उसके लिये यहाँ पर कोई स्थान नहीं है। हमारे उद्यान विभाग में एक अधिकारी थे जो पिछले 5-6 वर्षों से चौपटिया में हैडक्वार्टर बनाये हुए थे, जब से उन्होंने चार्ज लिया तब से उद्यानों की स्थिति में गिरावट आयी, फलों का उत्पादन कम हो गया हो, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कागज में फलों का उत्पादन कम दिखाया गया।

मेरे पास उद्यान विभाग के बारे में जो जानकारी आयी है करीब डेढ़ करोड़ रुपया अभी तक खर्च नहीं हुआ। चाहे वह अधिकारियों की वजह से हुआ हो, स्टाफ की कमी की वजह से हुआ हो या उनकी ईमानदारी की वजह से हुआ हो इस तरह की उदासीनता के बरते जाने से उत्तरांचल पिछड़ता चला गया। हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं इस सदन के माध्यम से चाहे वह उत्तरांचल के पर्वतीय क्षेत्र हों, चाहे कमजोर वर्ग के लोग हों, चाहे हरिद्वार के लोग हों, चाहे ऊधमसिंह नगर के लोग हों, चाहे देहरादून की जनता हो, कहने का मतलब यह है कि चाहे मैदानी मूल का हो या पर्वतीय क्षेत्र का हो, उत्तरांचल सरकार किसी के साथ भी क्षेत्रीयता के आधार पर, जातीयता के आधार पर, धर्म के आधार पर व्यवहार न करते हुए राष्ट्र के सामने उत्तरांचल को एक आदर्श राज्य बनाने की ओर काम कर रही है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का समर्थन करता हूँ।

श्री राम सिंह सैनी-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का मौका प्रदान किया। मान्यवर, यह जो महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण है, किसी भी सरकार का एक मैग्नाकार्टा होता है। सरकार की रीति-नीति क्या होगी क्या उसके कार्यक्रम होंगे और शान्ति-व्यवस्था कैसे स्थापित होगी और जितने भी विकास के कार्यक्रम हैं उनसे संबंधित सभी समस्याओं पर प्रकाश डाला जायेगा। सर्वप्रथम तो मैं नव वर्ष की बधाई देता हूँ सबको क्योंकि महामहिम राज्यपाल जी ने भी अपना अभिभाषण नव वर्ष की बधाई से ही शुरू किया था। साथ ही साथ मैं इसलिये भी बधाई दे रहा हूँ कि हमारे इस उत्तरांचल प्रदेश को एक बहुत ही अनुभवी, बहुत ही कर्मठ, लगनशील और एक लम्बे साल तक संसदीय कार्य का अनुभव रहा है हमारे मुख्य मंत्री जी को और उनकी जिज्ञासा है कि इस प्रदेश को उन्नति और प्रगति के शीर्ष पर इसे पहुँचायें क्योंकि वह आदमी जो जमीन से जुड़ा रहता है, आप उसे चाहे धरती पुत्र कह लें, मैं कहना चाहता हूँ कि उसे समस्याओं का ज्ञान होता है जो व्यक्ति धरती से जुड़ा हुआ नहीं होता है और जिसने जन प्रतिनिधि के रूप में कार्य न किया हो तो उसकी मान्यतायें ही कुछ और होती हैं। जैसे माननीय अध्यक्ष जी जब फ्रान्स में

क्रान्ति हुई तो भूखे लोग इकट्ठा हुए और भीड़ लगी तो उन्होंने सारा महल घेर लिया, वहाँ की जो पेरिस की सुन्दर रानी थी एन्टीटैन्ट तो जब उसके महल को चारों तरफ से घेरकर लोग नारे लगाने लगे, तो जिस तरह से भोलेपन से हमारे माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी उत्तर दे देते हैं, तो वैसे ही रानी ने यह कहा कि ये लोग शोर क्यों मचा रहे हैं। तो उनकी सेविका ने कहा कि वह भूखे हैं और रोटी की मांग कर रहे हैं। रानी कहती है कि अगर उनके पास रोटी नहीं है तो वह केक क्यों नहीं खा लेते। तो जिस व्यक्ति को यह पता नहीं कि रोटी मयस्सर नहीं है तो उसे कहाँ से केक मयस्सर होगा। नहरों में जल कैसे पहुँचे, सड़कों का निर्माण कैसे हो, साफ पानी कैसे मिले, स्वास्थ्य और शिक्षा कैसे मुहैया करवायी जाय, मैंने इस अभिभाषण को शुरू से पढ़ा तो पाया कि खोदा पहाड़ तो निकली चुहिया। उन्होंने कहा कि हमें विरासत में बहुत बड़ा कर्ज मिला है, उन्होंने कहा कि हमारा जो अनुमानित आय प्रतिवर्ष की है वह 2892 करोड़ है और अनुमानित व्यय 4868 करोड़ रुपए है।

इस तरह 1976 रुपये की हानि होगी। इस तरह से नवम्बर से मार्च तक जो लॉस है वह 898 करोड़ रुपए का होगा। कुछ दिन पूर्व में माननीय वित्त मंत्री जी का बयान एक समाचार-पत्र में पढ़ रहा था कि हमारा खर्च 36 करोड़ रुपए है और रेवेन्यू सिर्फ 628 करोड़ रुपए की है और 3 हजार करोड़ रुपए केन्द्र से चाहियें। आपने इतनी एक्सरसाइज की। आने-जाने में माननीय मुख्य मंत्री जी ने और वित्त मंत्री जी ने इतना खर्च कर दिया लेकिन सेन्टर ने आज तक 1 हजार करोड़ रुपए भी नहीं दिये। आप तीन हजार करोड़ रुपए देने की बात कर रहे हो, यह कैसे सम्भव होगा। यह मेरी समझ से परे की बात है। इसका समावेश इस भाषण में नहीं किया गया है कि इसकी व्यवस्था क्या होगी ?

दूसरा सबसे बड़ा कष्ट मुझको यह लगा, हमारे सभी मैदानवासियों को यह लगा, जो ऋषिकेश में रहते हैं, ऊधमसिंह नगर में रहते हैं, देहरादून में रहते हैं, हल्द्वानी में रहते हैं, उनको भी बड़ा कष्ट हुआ और मानसिक पीड़ा भी हुई और हम लोग यह सोचने लगे जहाँ हम अखण्ड भारत की बात करते थे, जब माननीय मुख्य मंत्री जी ने शपथ ली तो एक आवाज उठने लगी कि वह तो मूल रूप से हरियाणा के रहने वाले हैं, पहाड़ से उनका कोई सम्बन्ध नहीं है। आज भी हमारे यहाँ के लोग सहमे हुए हैं। जब मुख्य मंत्री के शपथ पर अंगुली उठ सकती है तो फिर हम लोगों का क्या होगा। हरिद्वार में आज भी यह बात चर्चा का विषय बनी हुई है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आप के माध्यम से उन लोगों को बधाई देना चाहता हूँ जिन लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप इस प्रदेश का गठन हुआ है तो हम में वह राष्ट्रीय भावना के बीज भी अंकुरित होने चाहियें। एक इस तरह का माहौल बनाने की और व्यवस्था बनाने की जरूरत है मैं किसी राजनैतिक दल पर आक्षेप नहीं कर रहा हूँ मुझे जिगर की वह चार लाइनें याद आ रही हैं :

वह गुलशन जिसको सींचा है शहीदों ने,
उसे नफरत की आँधी से बचाने की जरूरत है,
और बजाय रोशनी देने की वो जो घर को,
फूँक देते हैं, जिगर ऐसे चिरागों को बुझाने की जरूरत है।

मैं कहना चाहता हूँ कि ये भावनायें उत्पन्न हो रही हैं। इनको यहीं पर दबा दिया जाय तभी हम अखण्ड भारत का सपना साकार कर सकते हैं। अभी शिक्षा की बात कही गई। शिक्षा के विषय में यह कहा गया कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को हम शिक्षा देंगे। माननीय अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इट इज दैट एवरी चाइल्ड हैज दि फण्डामेंट राइट टु गेट फ्री एजुकेशन, दि राइट टु गेट गुड एजुकेशन। राइट टु गेट गुड एजुकेशन नॉट एनी काइन्ड ऑफ एजुकेशन। आपने कहा कि हम शिक्षा मित्रों को 2250 रूपये दे रहे हैं। आप टीचर्स को प्रोपर सैलरी नहीं दे रहे हैं। टीचर का शोषण हो रहा है। शिक्षा में तो समान पाठ्यक्रम होना चाहिये। अब प्रदेश में एक दून स्कूल चल रहा है, और कहीं पर प्राइमरी पाठशालायें या जूनियर हाईस्कूल हैं तो वहां पर टाट-पट्टी भी नहीं हैं। आगे कहा गया है दिस कैन ओनली बि पोसेबुल इफ प्रोपर एजुकेशन आर सेट अप थ्रू आउट दि स्टेट एण्ड प्रोपर टीचर्स आर एप्वाइन्टेड एण्ड दे आर गिवन प्रोपर सैलरीज एण्ड एलाउन्सेस एण्ड बेनिफिट्स।

हम चाहते हैं कि शिक्षा में सुधार हो, अच्छी शिक्षा प्राप्त हो। टीचर्स को हम अच्छी सैलरी दें, उनको एलाउन्सेस दें, उनके रहने की स्थिति ठीक हो परन्तु जो आप कर रहे हैं उससे काम चलने वाला नहीं है। बहुत से विद्यालयों में, हो सकता है आपके यहां विपरीत परिस्थितियां हों, हमारे यहां जो प्राइमरी स्कूल्स हैं लड़के तीन सौ और टीचर केवल 2। बहुत से इण्टरमीडिएट कालेजों में एक ही सैक्सन में 150 लड़के हैं, कैसे इतने बच्चे एक साथ बैठ पायेंगे, कैसे उनकी शिक्षा होगी, फिर भी आप कहते हैं कि हम प्रोपर एजुकेशन दे रहे हैं।

मान्यवर, यदि आप शिक्षा में सुधार करना चाहते हैं तो मेरा यह मानना है कि प्रोपर एजुकेशन हो, एक सा सैलबस हो, समान शिक्षा हो। चाहे किसी राजा का बच्चा हो या रंक का बच्चा हो, शिक्षा होगी तो एक समान। चाहे किसी का भी बच्चा हो और कहीं से भी आता हो। यह डिसपैरिटी वाली बात समाप्त होनी चाहिये। मैं यह भी कहना चाहता हूँ यहाँ के 35 विद्यालयों के बारे में श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश जी ने एक प्रश्न उठाया था और माननीय मुख्य मंत्री जी ने उस पर सहमति भी जाहिर की और हम भी उनके पास गये थे जो आमरण अनशन पर महिला शिक्षिकायें बैठी हुई थीं। 35 विद्यालयों का जो जूनियर हाई स्कूल हैं और हाई स्कूल हैं, उनको अनुदान सूची पर लिया जाय ताकि उनका शिक्षा का स्तर भी ठीक हो पाये। आपने पानी की बात कही कि हम 350 बस्तियों में पानी पहुँचायेंगे। ऐसी बहुत सी बस्तियाँ हैं यदि आपका कार्यक्रम इसी रफ्तार से चला तो पूरे प्रदेश में पानी की व्यवस्था आप 8-10 साल में भी पूरा नहीं कर पायेंगे। इसके अलावा हमारे यहाँ जो इण्डिया मार्क हैण्ड पम्प लगाये गये थे, उनका क्राइटेरिया ढाई सौ की आबादी पर एक था लेकिन उत्तर प्रदेश में यह तय हुआ कि अब डेढ़ सौ की आबादी पर एक हैण्ड पम्प लगेगा। चूँकि आपने उत्तर प्रदेश की सारी की सारी नियमावली को अंगीकृत कर लिया है तो मैं चाहूँगा कि डेढ़ सौ की आबादी पर आप भी एक हैण्ड पम्प लगायें। ताकि लोगों को पानी मिल सके। इसी तरह से जो यह शान्ति व्यवस्था की बात कही गई, चूँकि कल यह एक डिटेल में हमारी एक सूचना आ रही है, फिर भी मैं बहुत संक्षेप में कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ उत्तरांचल में एक बाढ़ सी आ गई है काइम्स की और अपराधिक तत्व खुले घूम रहे हैं। अभी हरिद्वार में पिछले डेढ़ महीने में ऐसे

जघन्य अपराध हुए हैं, 12 ऐसी घटनायें हुई हैं, जिन्हें देखकर हृदय दहल जाता है। चूँकि हम वहाँ के रहने वाले हैं। जब इस तरह की कोई घटना वहाँ पर होती है तो हम वहाँ पर जाते हैं। वहाँ आज एक ऐसा वातावरण बन गया है महिलायें शाम को निकल नहीं सकती। वहाँ पर ज्यादा मर्डर दिन में हो रहे हैं।

अभी सैन्ट मैरी ज्वालापुर में नन्स के साथ हादसा हुआ था, अगर शांति–व्यवस्था नहीं होगी तो माइनौरोटीज के दिमाग में सुरक्षा की भावना नहीं होगी और फिर बच्चियां स्कूल नहीं जायेंगी बच्चों को स्कूल जाते समय अपहरण कर लिया जाता है। इन सारी व्यवस्थाओं को आपको देखना होगा। अब मैं अपने संशोधनों पर आता हूँ। उत्तरांचल की जनभावनाओं का आदर करते हुए उत्तरांचल आन्दोलन में बहुत से लोग मारे गये और महिलाओं का उत्पीड़न हुआ और उनको इस राज्य की प्राप्ति हुई, हम लोग इसकी भूरि–भूरि प्रशंसा करना चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष जी प्रजातन्त्र में कभी भी दो मापदण्ड नहीं हो सकते एक ही मापदण्ड होना चाहिये। यदि उत्तरांचल के लोगों को उनकी भावनाओं के अनुरूप यह राज्य हासिल हुआ है तो हरिद्वार के लोगों को भी यह हक हासिल होना चाहिये कि वहां पर आप जनमत संग्रह करा लीजिये। अगर वहाँ की जनता इस बात को कहती है कि हम उत्तरांचल में रहेंगे तो हम सबसे पहले होंगे उत्तरांचल का नारा बुलन्द करने के लिये। लेकिन मान्यवर, यह आप देखिये और महामहिम राज्यपाल जी ने भी अपने अभिभाषण में कहा है कि उत्तरांचल का अधिकांश हिस्सा पहाड़ी है। 1953 में स्टेट रिआर्गेनाइजेशन कमीशन बना था और उसमें कुछ आधार भूत सिद्धान्तों को तय किया गया था। सबसे पहले आधार भूत सिद्धान्त यह था कि जब नये स्टेट का सृजन होगा तो उसमें भौगोलिक परिस्थितियां एक सी हों परन्तु हरिद्वार की और उत्तरांचल के जो दूसरे क्षेत्र हैं, उनसे मेल नहीं खाती हैं। इसलिये हरिद्वार को उत्तरांचल में मिलाना न्यायसंगत नहीं है। अब आप लैंग्विस्टिक में ही देख लीजिये। यदि संसदीय कार्य मंत्री जी हमें अपनी भाषा में गाली देंगे तो हम समझेंगे कि वह हमें शाबासी दे रहे हैं। भाषा अलग, कल्चर अलग और सभी चीजें अलग–अलग हैं।

मान्यवर, एक बात मैं पहले यह भी बताना चाहता हूँ कि देहरादून जिला सहारनपुर का ही हिस्सा था। एक आन्दोलन यहाँ पर हुआ 1825 में। यहाँ के लोगों ने उस समय कहा था कि दि रूल्स एण्ड रेगुलेशन्स फ्रेम्ड फार दि पीपुल्स ऑफ प्लेन्स डू नॉट सूट फॉर दि पीपुल्स ऑफ हिल्स। तो मैं यह जानना चाहता हूँ कि नाऊ दि रूल्स एण्ड रेगुलेशन्स व्हिच विल बी फ्रेम्ड फॉर दि पीपुल्स ऑफ दि हिल्स हाऊ विल दे सूट अस। हमको कैसे सूट करेंगे। इसलिये देहरादून जिला हरिद्वार से अलग हुआ। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि और यहाँ के सभी लोगों की मांग थी कि कुमाऊँ और गढ़वाल मण्डल मिलाकर उत्तरांचल का निर्माण हो। हरिद्वार हमेशा मेरठ मण्डल का अंग रहा और कभी गढ़वाल का हिस्सा नहीं रहा राइट फ्रॉम दि राजाज। इसलिये आप वहाँ पर प्लेबिसाइट या जनमत संग्रह करा लीजिये। प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था के बारे में अभी माननीय सदस्य बोल रहे थे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अभी मैं एक अखबार में पढ़ रहा था कि पांच साल की एक बच्ची को उठा लिया गया और उसकी गर्दन काट दी गई और उसका शव फेंक दिया गया, जिसको जानवरों ने खाया। इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगना चाहिये। यदि शांति व्यवस्था नहीं होगी तो यहां पर उद्योग स्थापित नहीं

हो सकते हैं और कोई उद्यमी यहाँ पर आयेगा नहीं और शिक्षण संस्थाओं में ठीक तरह से बच्चे विद्यालय नहीं जा सकते, ऐसी स्थिति में किसी देश और प्रदेश की उन्नति नहीं हो सकती है अगर वहाँ पर शान्ति व्यवस्था ठीक न हो। इसलिये मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा उत्तरदायित्व हमारी सरकार का यह है कि प्रदेश में शान्ति-व्यवस्था कायम हो। स्थिति दिन प्रति दिन बिगड़ती जा रही है और उसमें गिरावट आ रही है। आप भी इसको महसूस करते होंगे। उधर बैठे लोगों ने भी कहा कि शान्ति व्यवस्था दिन प्रति दिन बिगड़ती जा रही है।

मान्यवर, प्रदेश के किसानों की जर-जर आर्थिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए, आज आप देखिये, इस प्रदेश के किसानों की स्थिति खराब हो रही है। उनके ट्यूबवेलों को बिजली नहीं मिल रही है। आगे आने वाले समय में गेहूं का जो मूल्य 580 रुपए कुन्तल था उसे 60 रुपए घटाकर आप 520 रुपए करने जा रहे हो तो मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार पंजाब सरकार की तरह कम से कम किसानों को बिजली और पानी निःशुल्क दे परन्तु इसका समावेश अभिभाषण में नहीं किया गया है ताकि यहाँ के किसानों की स्थिति सुदृढ़ हो सके और हमारा प्रदेश आगे बढ़ सकता है। मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि टिहरी डैम के विस्थापितों को बसाने के लिये हमारे यहाँ कुछ भूमि ली जा रही है। हमारे यहाँ पांच-सात गाँव हैं और श्री अम्बरीष जी के क्षेत्र में भी कुछ लोगों को बसाया जा रहा है। यह कौन सा सिद्धान्त है कि कुछ लोगों को बसाया जा रहा है और कुछ लोगों को उजाड़ा जा रहा है। हमारे यहाँ बहुत से किसान ऐसे हैं जिनके पास आधी एकड़, एक एकड़ जमीन है। उनकी जमीनों को लेकर हम उन्हें उजाड़ने का काम कर रहे हैं इसलिये मैं कहना चाहता हूँ कि यह कोई न्यायोचित बात नहीं है। काजी साहेब कह रहे हैं कि वे उग्रवादी भी बन सकते हैं। साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूँ पहले हमारे यहाँ पथरीली जंगल था, उसे सफाई करके उनको बसाया गया, हमें कोई आपत्ति नहीं हुई। हमारे यहाँ बराबर में जंगल है, उसे काटकर विस्थापितों को वहां बसाया जाय। फिर पंत नगर यूनिवर्सिटी में बहुत जगह है, उसमें से कुछ एकड़ भूमि लेकर वहाँ पर उनको बसाया जाय। तो कम से कम हमारे क्षेत्र के जो लोग गरीबी की रेखा से नीचे हैं जीवन निर्वाह कर रहे हैं, उनके बच्चे बिलख रहे हैं, उनको एक तरह से भूमिहीन की श्रेणी में न रखा जाय। इसका उल्लेख अभिभाषण में नहीं किया गया है।

इसके साथ ही साथ मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी कहा था और माननीय श्री के० सी० पन्त जी ने भी कहा था कि, रुड़की विश्वविद्यालय का जो इतिहास रहा है, जिसकी स्थापना 1847 में थोम्पसन इन्जीनियरिंग कालेज के नाम से स्थापित हुई थी, वह न केवल उत्तर प्रदेश में, न केवल भारत में, न केवल एशिया में बल्कि दुनिया में विश्वविख्यात इन्जीनियरिंग विश्वविद्यालय रहा है, इसको आई०आई०टी० का दर्जा देने के लिये घोषणा की गई थी परन्तु इसका उल्लेख भी अभिभाषण में कहीं पर नहीं किया गया है। मैं कहना चाहता हूँ जब प्रदेश में माननीय मुख्य मंत्री जी शपथ ले रहे थे तो सबसे पहले नारा दिया गया कि शराब बन्दी करेंगे। हम बड़े खुश हुए थे क्योंकि मैं भी आर्य समाजी हूँ और इससे बहुत नफरत करता हूँ। मैंने यह भी कहा कि 1987 में जब जनता शासन काल में श्री मोरारजी देसाई जी की सरकार थी तो उन्होंने हिन्दुस्तान में

फेजेज में करने की बात कही थी, उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति थी। मैं कांग्रेस का विधायक था और मैंने एसेम्बली में कहा था कि जनता दल सरकार ने एक ही अच्छा काम किया परन्तु हम फिर उसे शुरू करने जा रहे हैं।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की थी, परन्तु इसमें इसका कहीं उल्लेख नहीं है। दुकानों के द्वारा नीलामी नहीं होगी लेकिन सरकारी तौर पर इसकी बिक्री होगी। सरकारी तौर पर बिक्री का एक उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूँ कि एक बार लखनऊ में दुकानों के माध्यम से नीलामी नहीं हुई थी सरकारी कर्मचारियों/अधिकारियों के द्वारा शराब की बिक्री की गई थी तो वहाँ पर भट्ठा बैठ गया था और इनकम चौथाई रह गई थी मेरा कहना तो यह भी है कि ज्यादातर जो क्राइम कमिट होते हैं वह अन्डर इन्टोक्सिकेशन होते हैं। जब आदमी नशे में होता है तो तब वह डकैती डालता है, जब वह नशे में होता है तो किसी का अपहरण करता है, जब वह नशे में होता है तो वह रेप करता है और तभी कत्ल भी करता है। मैं तो यह कहूँगा कि 95 प्रतिशत क्राइम्स जो होते हैं वह शराब के नशे में होते हैं यदि हमें इसके दूरगामी परिणाम देखने हैं तो शराब बन्दी को लागू कर दिया जाय। तो क्राइम्स कम होंगे और पुलिस पर भी खर्चा कम आयेगा। हमारे आने वाली पीढ़ियों की हेल्थ पर भी प्रभाव पड़ेगा और इससे लंग्स पर भी प्रभाव पड़ता है। यदि आप इसे बन्द कर देंगे तो इसके परिणाम अच्छे निकलेंगे। माननीय मंत्री जी ने जो बात कही है उसे उस पर अडिग रहना चाहिये चाहे कोई भी बाधायें आयें, शराब बन्दी को लागू करना चाहिए। अब मैं चिकित्सा की बात करता हूँ। चिकित्सा के बारे में कहा गया कि आंगनबाड़ी कर्मियों द्वारा स्वास्थ्य सुविधायें दी जायेंगी।

हमारे यहाँ रुड़की में एक हास्पिटल है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री जे० एन० सिन्हा के नाम पर, वहाँ पर कोई भी उपकरण नहीं है। 100 बेड्स का वह अस्पताल है। आपको यह सुनकर आश्चर्य होगा कि वहाँ पर जो एक्स-रे मशीन लगायी गई है वह ऐसी है कि अगर किसी की हड्डी टूटी हुई है तो उसमें वह जुड़ी हुई आती है और अगर किसी की जुड़ी हुई है तो वह टूटी हुई आती है। वहाँ पर आपातकालीन व्यवस्थायें हैं ही नहीं। इसलिए वहाँ पर व्यवस्था करायी जाय। रुड़की हमारा एक विश्वविद्यालय नगरी है आये दिन कई एक्सीडेन्ट होते रहते हैं। वहाँ के लोगों को मेरठ, दिल्ली तथा दूसरी जगह पर जाना पड़ता है। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को चिकित्सा करने का दायित्व सौंपा गया है नईम उल्ला खरे जान। नीम हकीम खतरे जान। बात यह है कि इस तरह से लोगों के साथ खिलवाड़ हो जायेगा। अगर उनको दायित्व सौंप दिया गया तो समुचित तरीके से डाक्टर्स भर्ती कीजिए। भले ही तीन गाँवों में आप एक छोटा सा अस्पताल आयुर्वेद का, होम्योपैथ का या एलोपैथ का बना दीजिये। जिसमें डाक्टर्स क्वालिफाइड हों, लोग वहाँ से दवाई लेंगे, नहीं तो लोग परेशान हो जायेंगे।

मान्यवर, प्रदेश में गन्ना मूल्य की बात करना चाहता हूँ। हम लोग उस क्षेत्र से आते हैं जहाँ की मेन क्राप गन्ना है। गन्ने में एक तो घटतौली बहुत हो रही है। दूसरा हमारे यहाँ हरिद्वार में जो शुगर फैक्टरियाँ हैं, मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूँगा और ध्यान भी आकर्षित करना चाहता हूँ कि गन्ना की जो कीमत थी वह इन फैक्टरियों द्वारा नहीं दिया जाता है बाजपुर फैक्ट्री पर ही पिछले साल 8 करोड़ रुपये का बकाया था। माननीय अध्यक्ष जी मैं आपकी पीठ से संरक्षण चाहते हुए यह कहना चाहता हूँ कि

यह जो समस्या भुगतान की है क्योंकि किसान की देनदारी होती है, बैंक की देनदारी होती है और सरकार की देनदारी होती है और उसको जेल में भेज दिया जाता है। यदि उसके पैसे को यदि फैक्ट्री नहीं दे पा रही है तो कम से कम बैंक के रेट्स के हिसाब से ब्याज तो उन किसानों को मिलना ही चाहिये। परन्तु इसका समावेश कहीं पर भी नहीं है। मान्यवर, इसी तरह से शिक्षा के बारे में कहना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश में हर तहसील स्तर पर डिग्री कालेज स्थापना की बात कही गई थी। जहाँ पर प्राईवेट डिग्री कालेज नहीं होगा। हमारे यहाँ हरिद्वार में लक्सर तहसील में कोई भी डिग्री कालेज नहीं है। मैं चाहूँगा कि वहाँ लक्सर में तहसील स्तर पर एक राजकीय डिग्री कालेज खोला जाय। वहाँ से नजीबाबाद 50 कि0मी0 पड़ता है, हरिद्वार 50 कि0मी0 पड़ता है और रुड़की 60 कि0मी0 पड़ता है। इतने रेडियस में वहाँ पर कोई भी डिग्री कालेज नहीं है जिसके कारण वहाँ के छात्र/छात्राओं को उच्च शिक्षा से वंचित रहना पड़ता है। इसलिए वहाँ पर डिग्री कालेज की आवश्यकता है।

मान्यवर, हमारी मदर स्टेट उत्तर प्रदेश है। हम लोगों को अपने क्षेत्र के विकास करने के लिए 50 लाख रुपये की विधायक निधि मिलती थी, जिसे बाद में 75 लाख रुपये कर दिया गया था। मैं कहना चाहता हूँ कि जो हमारा 50 लाख रुपये का हिस्सा है, वह भी हमारे जिलों में निर्गत नहीं हो रहा है। हम लोग अपने क्षेत्र के विकास कार्यों को नहीं करा पा रहे हैं। मेरा कहना है कि जब तक परिसीमन न हो जाय हर विधायक को 50 लाख की जगह पर 75 लाख रुपये विकास कार्यों के लिए मिलना चाहिए। अगर जन प्रतिनिधि की उपेक्षा होगी तो फिर वह कार्य नहीं करा पायेगा, क्योंकि उनकी जवाब देही होती है। इसलिए माननीय अध्यक्ष जी मैं कहना चाहता हूँ जो रोक लगी हुई है, इसे निर्गत किया जाय और इसे 50 लाख से 75 लाख किया जाय। इसका भी समावेश इस अभिभाषण में नहीं है। इसी तरह से यहाँ पर अधिक से अधिक उद्योग स्थापित हों और उद्यमियों का आकर्षण बढ़े, इन सारी चीजों के बारे में भी मैं कहना चाहता हूँ कि इसमें भी आपने कोई रचानात्मक कार्य योजना नहीं बनायी है जिससे की बाहर के उद्यमी यहाँ पर आ सकें। इस प्रदेश को पिछड़ेपन से उबारने के लिए हमें स्वार्थ से ऊपर उठकर विचार-विमर्श करना चाहिये। वर्ल्ड बैंक और व्यापार संगठनों के द्वारा किये गये आकलनों के अनुसार चमड़े का उद्योग और कृषि पर आधारित उद्योग 21 वीं शताब्दी में सबसे प्रगति पर होंगे।

मैं कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार के उद्योगों की विशेष आवश्यकता है। उनको किस तरह से प्रोत्साहित किया जा सकता है, इस तरह की एक नीति निर्धारित होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि इस राज्य को बने हुए लगभग 2 महीने हो चुका है लेकिन उत्तर प्रदेश से परिसम्पत्तियों का बंटवारा नहीं हो पा रहा है। आप लोगों को इसे गम्भीरता से करना चाहिये। यदि परिसम्पत्तियों का बंटवारा नहीं होगा तो आप कोई काम नहीं कर पायेंगे। आज हर बात में यह कहा जाता है कि यह हमारा हिस्सा है। पानी बिजली और हाइड्रो इन सब पर उनका हिस्सा है आज दिल्ली में ठहरने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। यदि आप यू0 पी0 भवन लेने की बात करते हो तो वह कहते हैं कि नैनीताल क्लब में भी हमारा हिस्सा है। यह तो कोई बात नहीं हुई। दिल्ली तो प्रदेश से अलग है, वहाँ तो हमारा हिस्सा अलग है। वहाँ पर तीन भवन हैं, इसलिए हमारा हिस्सा भी वहाँ पर होना चाहिए। परिसम्पत्तियों के बंटवारे की तरफ भी मैं माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। यह सबसे टाप प्रोरिटी पर होना चाहिये। चूंकि समय

कम है, इसलिए मैं अपनी बातों को जल्दी-जल्दी कह देना चाहता हूँ। कुछ किसानों के ट्यूबवेल्स जो बिजली के चल रहे हैं उनसे उद्योगों की दर से पैसा लिया जा रहा है। किसी किसान की एक लाख की आर० सी० कट रही है तो किसी किसान की डेढ़ लाख की आर० सी० कट रही है। उनके ट्रैक्टर्स नीलाम हो रहे हैं। एक बात कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ-

कि तूने चाहा ही नहीं हालात बदल सकते थे
मेरे आँसू तेरी आँखों से निकल सकते थे।
और तुम तो ठहरे ही रहे, झील के पानी की तरह
दरिया बनते तो बहुत दूर निकल सकते थे।

इन्हीं शब्दों के साथ माननीय अध्यक्ष जी मैं आपके प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि आपने मुझे अपने विचार रखने का अवसर दिया।

श्री हरबंस कपूर-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय श्री भारत सिंह रावत जी द्वारा जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, उसके समर्थन में मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। निःसन्देह यह एक ऐतिहासिक अवसर है। नवसृजित राज्य जो अनेक बलिदानों से और आन्दोलनों से उत्पन्न हुआ है, यह उत्तरांचल राज्य का प्रथम सत्र है, निश्चित रूप से उत्तरांचल की कल्पना, जिसके आधार पर संघर्ष हुआ, बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए, विकास को उन क्षेत्रों तक भी पहुँचाने के लिए, जो आज की तारीख में भी उत्तरांचल के कई गाँव ऐसे हैं, जिन्होंने रेलगाड़ियों का नाम भी नहीं सुना होगा बस तक भी नहीं देखी होगी। विकास का प्रकाश इन दूर दराज गाँवों तक पहुँचे इस राज्य की कल्पना की गई थी। मान्यवर, महामहिम राज्यपाल जी ने अपने अभिभाषण में यह स्पष्ट रूप से कहा है कि नये राज्य का विकास के निर्धारण के समय यहाँ की प्राकृतिक, भौगोलिक, सामाजिक और जलवायु को ध्यान में रखकर करनी पड़ेगी।

महामहिम राज्यपाल जी ने यहाँ पर उपलब्ध सम्पदाओं जड़ी-बूटियों और यहाँ के खनन और यहाँ पर फल पट्टी की सम्भावनायें यहाँ का पर्यटन और तीर्थाटन और जल सम्पदा और जल सम्पदा पर आधारित जल विद्युत परियोजनाओं, इन सबको ध्यान में रखकर, उनका संज्ञान लेते हुए उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि यहाँ के विकास के लिए हमें इन्फ्रास्ट्रक्चर ऐसा डेवलप करना पड़ेगा जो कि यहाँ की परिस्थितियों के अनुकूल हो। मान्यवर, यह सम्पदा पूर्व में भी उपलब्ध थी और आज भी हमारे सामने है परन्तु जरूरत इस बात की है कि हम किस प्रकार से इसके लिये इन्फ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर सकते हैं। किस प्रकार से इसका दोहन हो ताकि जन कल्याण में इसका उपयोग हो सके। मान्यवर, महामहिम जी ने अपने अभिभाषण में स्पष्ट रूप से कहा है कि जिन आन्दोलनकारियों के विरुद्ध मुकदमें चल रहे हैं, उन्हें वापस लिया जायेगा और इसके साथ ही साथ जो शहीदों के परिवार हैं प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को राजकीय सेवा में लिया जायेगा, यह एक स्वागत योग्य कदम है। उन परिवारों के प्रति और आन्दोलनकारियों के प्रति सम्मान महामहिम के अभिभाषण में है, मैं इसका स्वागत करता हूँ। मान्यवर, इस नवसृजित राज्य की जो आज हम नींव डालेंगे उसका भविष्य उस

पर निर्भर करेगा। आने वाले समय में आज जो कार्य और जो नीतियाँ बनायी जायेंगी वह उस पर आधारित होंगी। आवश्यकता इस बात की है कि आज जिस प्रकार से भ्रष्टाचार व्यापक रूप धारण किये हुए हैं, हमें इसे जड़ से मिटाना होगा।

शासकीय योजनाओं के लिए जो धन आवंटित हुआ है, उसका शत प्रतिशत भाग विकास की योजनाओं में लगे, आज इसकी जरूरत है और हमें ऐसी संस्कृति पैदा करनी होगी। हम जानते हैं कि आर्थिक संसाधनों की बहुत कमी है और हमारा राज्य ऋण के आधार पर खड़ा हुआ है। आज जो आय–व्यय का विवरण महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में उपलब्ध कराया गया है, निश्चित रूप से यह एक चिन्ता का विषय है और हम इस चिन्ता को दूर कर सकते हैं अपनी नई कार्य संस्कृति के आधार पर। वर्तमान सरकार स्वर्गीय दीन दयाल उपाध्याय के नीतियों की सरकार है। दीन दयाल जी ने कहा था कि विकास का प्रकाश समाज के उस वर्ग तक या उस व्यक्ति तक जो सबसे पीछे खड़ा हुआ है, जब तक उस तक वह नहीं पहुँचेगा, तब तक विकास नहीं माना जायेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि वर्तमान सरकार जिस प्रकार से महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कहा है हम पंडित दीन दयाल जी के सपनों को साकार कर सकेंगे। जिस तरह से पर्वतीय क्षेत्र में जो दूरगामी क्षेत्र हैं और जो उनकी स्थिति है और मैंने पूर्व में भी कहा कि उन गाँवों तक प्रकाश की किरण पहुँचे, जिन लोगों ने आज तक रेलगाड़ी न देखी हो और बस न देखी हो वहाँ तक विकास पहुँचे तभी माना जायेगा कि वास्तव में विकास हो रहा है। अपने अल्पकाल में मात्र दो महीने में चिन्तन कर के सम्बन्धित और परिसम्पत्तियों से संबंधित जिस प्रकार से सरकार ने समस्याओं का समाधान करने में सफलता पायी है, निश्चित रूप से अन्य समस्याओं का भी अल्प समय में समाधान कर लेंगे। मान्यवर, मैं आपका ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहता हूँ कि जहाँ तक हमारे उत्तरांचल राज्य का एक तरफ पर्वतीय क्षेत्र है उसी तरह दूसरी तरफ हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर और देहरादून का तराई क्षेत्र है, जिस तरह से हमें पर्वतीय क्षेत्र के दूर दराज के गाँव तक विकास की किरण पहुँचानी है उसी तरह से इन मैदानी क्षेत्रों में भी प्रकाश की किरण पहुँचानी होगी जिस प्रकार देहरादून में ही लगभग 70 पंजीकृत मलिन बस्तियाँ हैं इतनी ही तादाद में अपंजीकृत मलिन बस्तियाँ भी हैं, जहाँ पर नागरिक सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं, उबड़–खाबड़ रास्ते हैं नालों के किनारे बसे हुए हैं, जहाँ पर सफाई नहीं होती है, जहाँ पर पेयजल की व्यवस्था नहीं है वहाँ की तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिये।

शिक्षा और चिकित्सा प्रत्येक व्यक्ति तक पहुँचे, इन मलिन बस्तियों की तरफ भी ध्यान देना होगा। यहाँ पर न्यूनतम नागरिक सुविधायें भी पहुँचानी होंगी। जहाँ तक शिक्षा की बात है यह स्वागत योग्य है। शिक्षा बन्धु और शिक्षा मित्र के माध्यम से हम उन क्षेत्रों तक शिक्षा पहुँचायेंगे जहाँ आज तक यह उपलब्ध नहीं है। मान्यवर, दूसरी ओर भी मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि देहरादून में जो हमारा डी०ए०वी महाविद्यालय है वहाँ पर वर्तमान में जो शिक्षा की व्यवस्था है वह मात्र ढाई से तीन हजार बच्चों की है परन्तु आज वहाँ पर लगभग 17 से 18 हजार बच्चे पंजीकृत हैं जिन्होंने दाखिला लिया है। यदि किसी दिन सारे छात्र उपस्थित हो जायं तो कालेज में बच्चों के खड़े होने के लिए जगह उपलब्ध नहीं होगी। इस गम्भीर समस्या की ओर ध्यान देना होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने डोईवाला में महाविद्यालय खोलने का आश्वासन दिया था। मैं आशा

करता हूँ कि वर्तमान सरकार उस आश्वासन पर पूरा उतरेगी। मान्यवर, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ और महामहिम राज्यपाल द्वारा जो अभिभाषण रखा गया है उसका समर्थन करता हूँ। धन्यवाद।

श्री अम्बरीष कुमार–

माननीय अध्यक्ष जी कठिनाई तो हमारे लिए आज बहुत इसलिए है कि जो हमारे दल के नेता थे इतना सुन्दर और तथ्यपरक भाषण उनका हो गया फिर भी जो कुछ बच गया है उसके बारे में मैं कहने का प्रयास करूँगा। मान्यवर सभी व्यक्तियों ने कहा, यथार्थ भी है और वास्तविकता भी है कि यह एक ऐतिहासिक क्षण है जब एक नया प्रदेश अस्तित्व में आया और अगर वह अस्तित्व में आया तो किसी की कृपा से अस्तित्व में नहीं आया। उसके संघर्ष का एक लम्बा इतिहास रहा है मैं कह सकता हूँ कि शायद वह संघर्ष और उत्तरांचल का अस्तित्व में आना यह दो ऐसे तथ्य हैं जिनका स्वतंत्र भारत में कोई दूसरा उदाहरण भी नहीं मिलता और दूसरा उसका कोई सानी भी नहीं है।

आज सर्वप्रथम इस उत्तरांचल की जो धरती है जिसने असंख्य वीर पैदा किये और भारत के स्वतंत्रता संग्राम से लेकर आज तक श्रद्धेय श्री चन्द्र सिंह जी गढ़वाली और हमारे टिहरी के महाराज के लिए लड़ते हुए अनेक योद्धा, उसके बाद आदरणीय गोविन्द बल्लभ पंत जी और हेमवती नन्दन बहुगुणा जी और उसके बाद असंख्य ऐसे लोग जिन्होंने केवल प्रदेश के लिए ही नहीं देश और समाज के लिए ऐसे अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किये हैं, वह आज भी हमारे लिए प्रेरणा का काम करते हैं। लेकिन मैं खेद के साथ कहना चाहता हूँ कि जब हम इस सभा भवन में आये तो आशा करते थे कि इसकी गैलरीज में हमें चन्द्र सिंह गढ़वाली जी का चित्र मिलेगा, उन योद्धाओं के चित्र मिलेंगे जो आज टिहरी महाराज से लड़ करके जिन्होंने आजादी हासिल करने के बाद 2 वर्ष बाद आजादी दिलायी, हमें बहुगुणा जी का चित्र देखने को मिलेगा, पंत जी का चित्र देखने को मिलेगा और ऐसी धरती जिसने असंख्य योद्धाओं को, जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी इस देश की सीमा के लिए दी है। हम आशा करते थे कि ऐसे लोगों के चित्र जिनको परमवीर चक्र मिला हो, महावीर चक्र मिला हो, वीर चक्र मिला हो और जिन्होंने अन्य सम्मान प्राप्त किये हैं। शायद इन गैलरीज में लगे होंगे, शायद इस सभा भवन की दीवारों पर लगे होंगे, तो जो यहां बैठे हुए सदस्य हैं, निश्चित रूप से वह सभी दलगत भावनाओं को भुलाकर, जातीय और धर्म के बंधनों को भुलाकर और क्षेत्रवाद को भुलाकर शायद उनसे प्रेरणा ग्रहण कर सकेंगे कि यह देश हमारा है और यह प्रदेश हमारा है और इसके लिए कुछ करने का संकल्प उस प्रेरणा से उनके मन में आयेगा ....

श्री अध्यक्ष–

वह व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है।

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि विदेश यात्रा पर जब आप हमारे साथ थे और सरकार को सुझाव देना चाहता हूँ कि जिस प्रकार कनाडा की एसेम्बली और पार्लियामेन्ट में वहाँ के वीर योद्धाओं की, सबका कलेक्शन करके, उनके नामों को संग्रह करके, एक

रजिस्टर बनाया गया है, प्रतिदिन उसका एक पेज पलटते हैं और हम अपने उन सारे लोगों को याद करते हैं जिनके कारण स्वतंत्रता की खुली हवा में हमें सांस लेने का अवसर मिला। जिनके कारण यह उत्तरांचल अस्तित्व में आया और जिनके कारण भारत की सीमाओं की रक्षा हुई, तो मान्यवर, मैं अनुरोध करना चाहूँगा इस सरकार से, अगर सरकार यहां पर भी ऐसी व्यवस्था कर सके तो यह उन शहीदों के प्रति इस पूरे उत्तरांचल की विनम्र श्रद्धांजलि होगी। यह महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण पर जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, हम आशा करते थे कि हमारे देश में एक भाषण ऐसा मौजूद है, 14 अगस्त और 15 अगस्त की रात को, जिस समय देश आजाद हो रहा था और देश के प्रथम प्रधानमंत्री पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने देश की संसद के माध्यम से सम्बोधित किया था तो उन्होंने कहा था कि आज जो हमारा संकल्प है हम आज उनको रिडीम करते हैं। पुनः उन संकल्पों को लेने का काम करते हैं, और इस भारत को एक ऐसा शानदार देश बनाने का संकल्प लेते हैं जिसमें देश में भारत का हर व्यक्ति सुखी रह सके और समृद्ध हो सके। हम आशा करते थे कि जब उत्तरांचल राज्यपाल का पहला अभिभाषण होगा, जो सरकार की नीतियों का परिचायक है। यह भाषण भी ऐसा ही होगा जिसको आने वाली पीढ़ियां कोट कर सकें कि उत्तरांचल के पहले राज्यपाल का पहला भाषण एक ऐतिहासिक दस्तावेज है।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे प्रदेश में राजनैतिक समानता तो है लेकिन आर्थिक और सामाजिक समानता अभी कोसों दूर है, अगर वह कोसों दूर है, तो हमारी राजनैतिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जब यह नया प्रदेश बना है तो हम संकल्प लें और इसको अपना लक्ष्य रखें कि उत्तरांचल भारत में पहला ऐसा राज्य होगा जहां पर हम सामाजिक और आर्थिक समानता स्थापित करके दिखायेंगे। यह संकल्प लेने से लोगों को प्रेरणा भी मिलेगी और निश्चित रूप से हम संविधान में निर्धारित उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकें जिसमें एक शोषण मुक्त समाज की कल्पना की गयी हो। मान्यवर, यहाँ कहा गया कि दो महीने का समय बहुत कम है और दो महीने में हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, मैं भी इससे असहमत नहीं हूँ। लेकिन दो महीने का वक्त इसलिए तो काफी है कि हम इस प्रदेश की दिशा निर्धारित कर सकें। हमें यह पता लग सके कि उत्तरांचल का भविष्य क्या होगा। इसकी भविष्य की योजनायें क्या होंगी। माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि दो महीने का समय कुछ नहीं होता और हम कुछ कर भी नहीं सकते परन्तु मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि विकास का क्या काम हुआ और हमारा लक्ष्य क्या है, यह दो काम तो हो ही सकते थे। यह कहा गया कि यह माफियाओं का प्रदेश है, जिस दिन यह राज्य अस्तित्व में आया, माफियाओं को दूर करने के लिए संकल्प उत्तरांचल की सरकार ने लिया परन्तु यह संकल्प नहीं लिया, जिसके पेट में रोटी नहीं है, उसे हम रोटी देंगे, जिसके सिर पर मकान का साया नहीं है, उसे हम मकान देने का काम करेंगे, परन्तु यह जरूर कहा कि माफियाओं को भगाने का काम हम करेंगे। पूरे देश में यह छवि हो गयी कि यदि कोई माफियाओं वाला सबसे बड़ा प्रदेश है तो वह उत्तरांचल प्रदेश है।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से विनम्रतापूर्वक माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ और कहना भी चाहता हूँ, माननीय मुख्य मंत्री जी ने स्वयं कहा कि कुछ

माफिया ऐसे थे जिन्होंने उन्हें मुख्य मंत्री बनाने में रोड़ा अटकाया, माननीय मुख्य मंत्री 90 लाख लोगों का यह सदन प्रतिनिधित्व करता है, वह यह जानना चाहता है कि वह कौन ऐसे माफिया रहे जो आपके रास्ते में रोड़ा थे और उनके विरुद्ध शासन ने क्या कार्यवाही की, इस प्रदेश की 90 लाख जनता को यह जानने का हक है और मैं आज आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जब आप उत्तर भाषण दें, तो इस तथ्य पर भी ध्यान रखें और उसका उल्लेख जरूर करें। मान्यवर अजीब विडम्बना है, प्रदेश का मुखिया कहता है कि मेरे को मारने के लिए यज्ञ किया जा रहा है। समाचारों में यह पढ़ने को मिलता है कि माननीय मुख्य मंत्री जी की तरफ से उनको बचाने के लिए यज्ञ किया जा रहा है। यह किस दिशा में हम प्रदेश को ले जाना चाहते हैं। क्या मैसेज हम प्रदेश को देना चाहते हैं? आज मैं आपके माध्यम से इस सरकार से पूछना चाहता हूं, अगर यह बात सही है तो उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी? और कानून ने उनको अपने शिकंजे में जड़ने के लिए क्या काम किया, यह सवाल 90 लाख लोग इस सरकार से पूछना चाहते हैं और हमसे पूछना चाहते हैं।

मान्यवर, तीसरा एक और काम हुआ है, आप तो विदेश दौरे पर भी हमारे साथ थे। आपने चीन भी देखा, जापान भी देखा, कनाडा भी देखा, यह आपका और मेरा सौभाग्य है, ऐसे देश के लोग जिनकी अर्थ व्यवस्था जीवन्त है और अपनी अर्थ व्यवस्था को वाईब्रेन्ट बनाने के लिए उन्होंने बाहरी अर्थ व्यवस्थाओं को भी अपने अनुकूल बनाने की कोशिश की। एक परिवार होता है, आप भी परिवार चलाते हैं और हम भी परिवार चलाते हैं। आप और हमको तो छोटा परिवार चलाना होता है, लेकिन मुख्य मंत्री जी को 90 लाख लोगों का परिवार चलाना होता है। हम अपने परिवार में बैठ कर प्राथमिकतायें तय करते हैं कि सबसे पहले बच्चों की शिक्षा का प्रबन्ध तभी होगा जब हमारे पास धन होगा। माननीय मुख्य मंत्री जी अच्छा सूबा तभी बनेगा जब हमारे पास धन होगा, एक बिजली का बल्ब तो हम लगा सकते हैं लेकिन एक गीजर हम तभी लगा सकते हैं जब हमारे पास आय हो। मान्यवर मैं कहना चाहता हूं कि आज सरकार को अपोजिशन को विश्वास में लेकर ऐसे सख्त निर्णय करने की आवश्यकता थी जो हमारी प्राथमिक आवश्यकतायें थीं, जिससे 90 लाख लोगों का विश्वास बनता कि यह सरकार केवल भीख का कटोरा ले करके केन्द्र के सामने नहीं खड़ी है, अपनी भी मजबूत आर्थिक स्थिति बनाने के बाद केन्द्र सरकार से कह रही है कि हमारा हक हम को दो और हमारी सहायता करो। परन्तु मैं कहना चाहता हूं कि इस मोर्चे पर सरकार पूर्णतः विफल रही।

मान्यवर, एक उदाहरण देना चाहता हूँ। सरदार दरबारा सिंह जब मुख्य मंत्री बने थे तो वहाँ पर पावर की क्राइसेज थी तो श्री दरबारा सिंह ने उस समय यह कहा था कि यह वर्ष हमारा ऊर्जा वर्ष होगा, किसी भी विभाग को मेन्टिनेन्स के अलावा कोई पैसा नहीं देंगे। हम अपने पंजाब के लोगों से अनुनय और विनय करेंगे कि आप हमें एक साल का समय दीजिए, हम सारा पैसा पावर में लगा करके, अगर हम शक्तिशाली और आत्मनिर्भर हो गये तो हमारी खेती भी तरक्की करेगी। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सूचित करना चाहता हूँ कि पंजाब में उस अनुशासन के साथ जब बिजली में आत्मनिर्भर हो कर दिखाया तो पंजाब इस देश का एक ऐसा सूबा बना जिसकी अर्थ व्यवस्था समृद्ध हो गयी थी और जिसके उद्योग सबसे ज्यादा समृद्ध हो गये थे। मान्यवर इसके लिए आज

आवश्यकता किस बात की है। अगर लाल बहादुर शास्त्री जी ने अन्न की कमी को देखते हुए यह फैसला लिया कि सारा देश सोमवार को व्रत रखेगा और हम अपने लॉन में भी गेहूँ उगाने का काम करेंगे, लेकिन अमेरिका के सामने झुकेंगे नहीं, तो मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि उसके परिणाम भी सामने आये, पूरे देश ने सोमवार को गेहूँ की रोटी खाना बन्द कर दिया था, एक बात मैं आपके माध्यम से और कहना चाहता हूँ कि गंगा गंगोत्री से बहती है, गंगा सागर से गंगा गंगोत्री को नहीं निकलती है। अगर आज हमारी सरकार के मंत्रीगण यह आदर्श स्थापित करते कि हम सबसे कम खर्च करके हम अपनी सुविधाओं को त्याग देंगे और इन 90 लाख लोगों को सुविधा देने का हमारा लक्ष्य होगा तो मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर आन्दोलन नहीं होते, कोई वेतन की माँग नहीं करता और कोई सुविधा की माँग नहीं करता, सब लोग सिपाही की तरह इस सरकार के पीछे लाम-बन्द हो कर खड़े हो गये होते और आज इस प्रदेश का नक्शा ही बदल जाता। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ, हमारे मुख्य मंत्री जी ने कहा कि हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं, जब शपथ मुख्य मंत्री ने ली तो उसके बाद क्या हुआ?

माननीय सैनी जी ने बताया, भारत सिंह रावत जी जिन्होंने यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, वह तैयार थे परन्तु एक रियूमर स्प्रेडिंग सोसाइटी है, आर०एस०एस०, उसने गढ़वाल और कुमायूं की बात कह दी, आखिर किस दिशा में प्रदेश को ले जाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक इतिहास रहा है कि बाबरी मस्जिद को तोड़कर हिन्दू-मुस्लिमों को लड़ाओ, इन्दिरा गांधी की हत्या में सिख-हिन्दुओं को लड़ाओ। अब उत्तरांचल का गठन हुआ है तो मैदान और पहाड़ को लड़ाओ, आखिर ऐसी लड़ाई को ले जाकर आप कहाँ इस प्रदेश को छोड़ना चाहते हैं, कैसा भविष्य उत्तरांचल का होगा? मान्यवर, आज मुझे इस बात का खेद है कि जिन लोगों ने यह बचकानी हरकत की और इस प्रदेश के वातावरण को खराब करने का काम किया और इस बात को कहा गया कि यह तो हरियाणा के हैं परन्तु माननीय मुख्य मंत्री जी ने संयम का परिचय दिया। और जोशी जी भी तो पहाड़ के हैं और रावत जी भी तो पहाड़ के हैं। इसलिए ऐसी स्थिति में हम किससे गम्भीरता की आशा करें और किससे संयम की आशा करें। ऐसे वातावरण में हम आत्म प्रवंचना करें। अपने को धोखा दे रहे हैं, प्रदेश की जनता को धोखा दे रहे हैं लेकिन मैं कहना चाह रहा हूँ कि विकास का कोई काम नहीं कर पाये। महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण ऐसा नहीं है जिससे प्रदेश जनता को कोई आशा बंधती हो।

आर्थिक स्थिति की बात हम कर रहे हैं, वित्त मंत्री जी भी यहाँ पर बैठे हैं और 2 हजार करोड़ का घाटा बता रहे हैं, कि हम को होगा लेकिन मान्यवर, इसके लिए आपने उपाय क्या किये हैं? खर्चों में कितनी कटौती होगी? मैं अभिभाषण को पढ़ रहा था, सरकार ने कहा कि हम प्रशासन तंत्र को छोटा रखना चाहते हैं क्योंकि हमारे सामने वित्तीय कठिनाई है, हम मण्डलायुक्तों को इसलिए समाप्त करना चाहते हैं कि हमारे सामने वित्तीय कठिनाई है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि यह प्रशासनिक सुधार नहीं है, यह हमारी मजबूरी है, हमारे पास पैसा नहीं है इसलिए ऐसा हम कर रहे हैं। लेकिन मेरा कहना बिल्कुल इसके उलट है। मान्यवर, हम उन देशों और प्रदेशों से शिक्षा लें और उनके अनुभव का लाभ उठायें जिन्होंने बेपनाह उन्नति की है और समृद्धि की है और इस अफसरशाही के माध्यम से उन्होंने की है कि उनके यहां कोई नया मॉडल था, हम अपने

इस प्रशासन को जनोन्मुखी और विकासोन्मुखी कैसे बनायें, जनता और प्रशासन का सहयोग कैसा हो? मुझे क्षमा करेंगे, मैं कहना चाहता हूँ कि जिस स्थिति में हम जिन्दा हैं, लोक-तंत्र नाम का है, माननीय मुख्य मंत्री जी बात सुन लेंगे, और हम कह लेंगे परन्तु जब हम प्रशासन की तरफ देखते हैं, आज सुबह ही इन्दिरा हृदयेश जी ने अपनी व्यथा बतायी थी क्या उसके बाद भी इस बात में कोई संशय है?

जिस विकेन्द्रीकरण की बात करते हैं और जिस प्रशासन की जनोन्मुखी बात करते हैं, श्रीमती इन्दिरा हृदयेश जी को सुनने के बाद उसमें कोई दम नहीं है और यही यथार्थ भी है, मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि आज हमारी जो डिमोक्रेसी है, वह देश के छोटे-छोटे सामन्त हैं। जिनको शायद आम आदमी से हाथ मिलाने में भी शर्मिन्दगी होती है। वह अपने आप को नौकर नहीं समझते हैं परन्तु उत्तरांचल के पास आज मौका है कि हम हिन्दुस्तान में इस चलते हुए रास्ते को बदल दें और हम इस रूप में मोड़ कर इस राज्य को हिन्दुस्तान में एक मॉडल स्थापित करने का काम करें। जिसमें ब्यूरोक्रेसी जनोन्मुखी हो। ऐसा नहीं कि मैं आलोचना कर रहा हूँ, सुझाव भी देना चाहता हूँ कि हर विभाग में आप एक चार्टड पेपर बनायें और वह घोषणा पत्र जिसके द्वारा जनता के कर्तव्य और अधिकार क्या हैं और अधिकारियों को जनता से कैसे मिलना चाहिये और इसका समन्वय कैसे होना चाहिये, यदि आप इसे कर सकें तो मैं निःसंदेह कह सकता हूँ कि भारत में यह अपने आप में एक अनुपम उदाहरण होगा। दूसरी बात मैं माननीय वित्त मंत्री जी से कहना चाहता हूँ, वह इस ओर ध्यान दें। केन्द्र सरकार ने अल्प बचत को हतोत्साहित करने के लिये अल्प बचत पर ब्याज की दर एक प्रतिशत कम कर दिया, उसका परिणाम जो छोटे राज्य हैं, जिनके पास इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं है और ऐसे उद्योग नहीं हैं जिनमें पैसा लगाया जा सके।

उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और उसका परिणाम यह हुआ कि जब अल्प बचत पर ब्याज कम मिलने लगा तो जो हमारे इनवेस्टमेंट का रूझान था वह म्यूचूअल फण्ड की तरफ जाने लगा, उन प्राइवेट कम्पनी की तरफ जाने लगा जिनके शेयर मंहगे बिकते थे, उसका दुष्परिणाम छोटे राज्यों के लिये यह हुआ कि हम वैसे ही गरीब थे और छोटी-मोटी दौलत हमारे पर्वतीय क्षेत्र के जो निवासी हैं, उस दौलत से दो पैसे कमाने के चक्कर में, हमारे नागरिक इनवेस्टमेंट कर रहे हैं ऐसी संस्थाओं में जिनका लाभ आन्ध्र प्रदेश को मिलता है, कर्नाटक को मिलता है, गुजरात को मिलता है और तमिलनाडु को मिलता है और जिसका लाभ उत्तरांचल को नहीं मिला। इसलिये मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार केन्द्र से यह अनुरोध करे, उत्तरांचल की विशेष स्थिति को देखते हुए अल्प बचत पर ब्याज पूर्व के ब्याज की तरह रखे जिससे इस गरीब प्रदेश की दौलत बाहर न जा सके। कल हमारे विद्युत मंत्री जी कह रहे थे कि कोई भी चीज हो, वह उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई है, बिजली भी उनसे जुड़ी हुई है। हमारी जो परियोजनायें हैं कहीं उन्होंने एग्रीमेंट कर दिया तो हम मजबूर हैं जिनको हम शुरू करना चाहते हैं, उसको कैसे शुरू करें? नियंत्रण उत्तर प्रदेश के पास है। माननीय मंत्री जी कह रहे थे कि ऐसा नहीं होगा और उत्तर प्रदेश के एग्रीमेंट को हम नहीं मानेंगे। अगर उन्होंने समझौता कर लिया है तो हम उसे नहीं मानेंगे। हम अपने ढंग से करेंगे। अगर उससे मामला नहीं सुलझेगा तो सेन्टर में मामला जायेगा।

एक छोटी सी तकनीकी बात कहना चाहता हूँ। सिंचाई और विद्युत के लिये यह प्रावधान है कि एक सेन्ट्रल बोर्ड बनेगा, वही परिसम्पत्तियों का निस्तारण करेगा और आस्तियों और दायित्वों का निर्धारण करेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने एक चालाकी की है, वह यह चालाकी की है कि जब तक यह निस्तारण हो तब तक उनका नियंत्रण उनके पास हो। आप झगड़ लीजिये। क्योंकि नियंत्रण तो उनके पास है। माननीय मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि हम विपक्ष को साथ लेकर चलना चाहते हैं। हिन्दू धर्म में आपकी आस्था भी है। शायद आपको भी ज्ञात होगा कि हिन्दू धर्म में दो समय अति महत्वपूर्ण माने जाते हैं ब्रह्म मुहूर्त और गोधूलि की बेला। मान्यवर, यह कब होता है, जब रात और दिन एक साथ मिलते हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि प्रतिपक्ष और सत्ता पक्ष को लेकर गोधूलि और ब्रह्म मुहूर्त को बना दीजिये, सब काम आपके सफल हो जायेंगे और यह इस प्रदेश के लिये सबसे शुभ होगा। माननीय मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि यह होगा और हम करेंगे।

माननीय मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि आप अपनी बात कह दीजिये माननीय मंत्री जी उसे सुन लेंगे। अगर अच्छा सुझाव होगा तो मान लेंगे और यदि नहीं होगा तो कोई बात नहीं। यह कोई प्रजातांत्रिक व्यवस्था नहीं है। मैंने निवेदन किया और मेरा आशय यह है कि आप दोनों को मिलाकर चलिये तो इस प्रदेश का विकास होगा, इसका गुरुत्तर दायित्व भी मुख्य मंत्री जी पर है। दिल्ली आप गये, अगर 30 विधायक एक साथ चले गये होते तो मैं समझता हू कि केन्द्र सरकार भी अधिक सोचने पर मजबूर होती कि इस राज्य को जल्दी से जल्दी विशेष राज्य का दर्जा दे दिया जाय। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि विकास के कामों के लिये 75 लाख रूपए विधायक निधि के लिये प्रस्तावित था। जब आप और हम संयुक्त उत्तर प्रदेश में थे तो वह प्रस्ताव उत्तर प्रदेश में पास हो गया था परन्तु आज वह हम पर लागू भी है कि नहीं, इसका पता हमको नहीं है। उत्तर प्रदेश के विधायकों को तो वह पैसा स्वीकृत हो गया और हमसे कह दिया गया कि आपका पैसा हम उत्तरांचल को दे रहे हैं और 25-25 लाख रुपए आपको उत्तरांचल से मिलेंगे। इसलिये आज यह बात साफ हो जानी चाहिये।

जिला योजनाओं के लिये 30 परसेन्ट धन आता था, वह अवमुक्त हुआ नहीं तो इस तरह से किस तरह से जिला योजनायें पूरी होंगी। इसलिये मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जिला योजनाओं के लिये धन को आप जल्दी से जल्दी अवमुक्त करें। अभी हमारे मंत्री जी कह रहे थे कि वर्ल्ड बैंक से हमें बहुत सहायता मिलने वाली है। माननीय श्री सैनी जी ने कहा और काजी जी ने भी कहा कि गॉड हेल्प दोज टू हेल्प देमसेल्व्स। भगवान उन्हीं की मदद करता है जो खुद की मदद करते हैं। हम खुद करने के लिये तैयार नहीं हैं और वर्ल्ड बैंक से मांगते रहे, परिणाम क्या होगा। गंगा ऐक्शन प्लान की योजना चली और फर्स्ट फेज का काम पूरा हो गया परन्तु जब सेकेण्ड फेज शुरू करने का वक्त आया तो ब्रिटेन ने कह दिया कि हम तो पैसा नहीं देंगे, परिणाम यह हुआ कि प्रधानमंत्री जी का जो चुनाव क्षेत्र है, लखनऊ में भी गोमती ऐक्शन प्लान हेतु भी पैसा नहीं मिला। यह बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हम स्वयं मजबूत हों तो दूसरे लोग भी हमारी मदद करेंगे। आत्मविश्वास पैदा करें। आत्म दीपो भव। बुद्ध का यह उपदेश स्वयं दीपक बनो दुनिया प्रकाशमान होगी। प्रकाश दूसरे से करते रहें और खुद प्रकाशित

न हों तो दूसरों के प्रकाश से हम प्रकाशित नहीं हो सकते। यह निवेदन मैं करना चाहता हूँ।

इसी के साथ ही एजुकेशन की बात आयी। माननीय मुख्य मंत्री जी की घोषणा हुई कि प्राइमरी एजुकेशन के लिये हम हर गाँव में प्राइमरी स्कूल खोलेंगे, माननीय मुख्य मंत्री जी का अनुराग प्राथमिक शिक्षा की तरफ है और माननीय मुख्य मंत्री जी इसको छिपाते भी नहीं हैं। चाहे कान्फ्रेन्स वी० सीज० की हो या चाहे थॉमसन इन्जीनियरिंग कालेज का हो, वह अपनी चिन्ता और अनुराग से सभी को प्रभावित भी करते हैं और इसे एक आन्दोलन के रूप में चलाना चाहते हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी दोहरी शिक्षा प्रणाली के आलोचक भी हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि शायद उत्तरांचल प्रदेश पूरे भारत के लिये सूर्य का काम करे और मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का आभारी हूँगा और स्वागत करूँगा। इस उत्तरांचल की धरती से जो शायद पब्लिक स्कूलों की जन्मदाता धरती है, उससे इस कलंक को मिटाने का काम करें।

मैं इस सदन में माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि आपका अभिनन्दन केवल उत्तरांचल ही नहीं करेगा, पूरा देश और मेहनतकश लोग बाध्य होंगे जो आज भी उन पब्लिक स्कूलों में जाते हैं तो उनके बच्चे भी उन्हें हसरत भरी निगाहों से देखते हैं कि काश उनके पास भी यह सुविधा होती। उच्च शिक्षा की बात कही गई, मैं इस बात को बिल्कुल भी डिसप्यूट नहीं करता कि रुड़की यूनिवर्सिटी एक अच्छी यूनिवर्सिटी है और भारत में तकनीकी शिक्षा की आधारशिला है। भारत में थॉम्पसन इन्जीनियरिंग कालेज के माध्यम से इन्जीनियरिंग का प्रादुर्भाव अगर हुआ तो रुड़की में हुआ। मुझे प्रसन्नता होती अगर गुरुकुल विश्वविद्यालय की चर्चा आप इसमें करते जिसको उस अंग्रेज साम्राज्य के उस शिक्षा की आंधी में स्वामी श्रद्धानन्द जी ने गंगा के किनारे पर जिस दीप को प्रज्वलित किया था जो अगले वर्ष अपने 100 वर्ष मनाने जा रहा है। ऐसा नहीं कि चाहे वह आपकी पार्टी हो, चाहे दूसरे की रही हो, कोई भी देश का मूर्धन्य नेता ऐसा नहीं रहा जिसने अपनी चरण धूलि से राष्ट्रपिता से लेकर आज तक अपने चरणों की धूलि से उस संस्था को पवित्र न किया हो परन्तु उसके लिये दो शब्द भी इस अभिभाषण में नहीं है। जिसने भारतीय संस्कृति और भारतीय प्राच्य विद्यालयों और भारतीय साहित्य के 100 वर्ष को देखा और उसे जलाये रखा। यदि आप उसकी चर्चा इसमें करते तो मैं आपके प्रति कृतज्ञता प्रकट करता।

आयुर्वेद की बात आपने कही, हमारे बुफाल जी ने भी कई जड़ी–बूटियों के बारे में बताया लेकिन मान्यवर, हरिद्वार में 3–3 आयुर्वेदिक महाविद्यालय हैं, उसके बाद भी माननीय मुख्य मंत्री जी की तरफ से यह घोषणा नहीं हुई कि हम यहाँ पर एक आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय स्थापित करने जा रहे हैं। इसलिये आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति का इसमें संकल्प नहीं है। आप तो हिन्दी, हिन्दुस्तान और हिन्दू की बात करने वाले लोग हो फिर आपसे यह कैसे चूक हुई कि हमारा संस्कृत विश्वविद्यालय जो बनारस में है। सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, उसके स्थान पर हम इस उत्तरांचल में जिसे हम देव भूमि कहते हैं, एक संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना करेंगे। उसके लिये हरिद्वार से ज्यादा उपयुक्त कोई स्थान नहीं है। इससे लगता है कि यह सरकार हरिद्वार के प्रति कितनी गम्भीर है। मान्यवर, जिस समय कालेज ऑफ इन्जीनियरिंग, रुड़की में माननीय मुख्य मंत्री जी का

भाषण हो रहा था तो उस समय उन्होंने कहा था कि हम प्रदेश के गरीबों के लिये भीख माँगना चाहते हैं कि कालेज में कुछ सीटें आप रिजर्व छोड़ दीजिये ताकि मेरिट के आधार पर गरीब का बच्चा भी उसमें पढ़ सके।

माननीय मुख्य मंत्री जी, आपकी सरलता प्रशंसनीय है, आप शासक हैं और आप कानून बनाइये कि इस प्रदेश में जितने भी निजी क्षेत्र में उच्च शिक्षण संस्थान हैं या खोले जायेंगे उनमें हम कुछ सीट आरक्षित करेंगे ताकि मेरिट के आधार पर गरीब के बच्चे भी पढ़ सकें और उनकी फीस वही होगी जो अन्य विद्यालयों की है। इसके लिये आपको सभी वर्ग के लोग साधुवाद देते। आपको भीख नहीं माँगनी है, आप परिवार के मुखिया हैं। आप हिम्मत के साथ खड़े होकर, हम आपसे वादा करते हैं कि बिना किसी विरोध के हम उस कानून को पास कर देंगे। आप उच्च शिक्षा की बात करते हैं। शिक्षा विहार की बात करते हैं। आप कितने मेडिकल कालेज खोलने जा रहे हैं। आज इस उत्तरांचल में एक भी मेडिकल कालेज नहीं है। आप उन लड़कों की मनःस्थिति को समझ सकते हैं जो डाक्टर बनना चाहते हैं। आज उत्तर प्रदेश के मेडिकल कालेजों के दरवाजे भी उनके लिये बन्द हो गये हैं क्योंकि वह कहते हैं कि आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी नहीं हैं। मान्यवर, ऐसे में अगर उसे कुण्ठा हो गई तो मुझे डर है कि कलम वाले वह हाथ बन्दूक उठा लेंगे। उत्तरांचल का क्या होगा। इसलिये मैं कहना चाहता हूँ कि मेडिकल कालेज के स्थापना की बात आप करें। आपको श्री सैनी जी के उस सुझाव का भी समर्थन करना चाहिये कि इस प्रदेश में हर तहसील स्तर पर एक डिग्री कालेज खोला जायेगा और सरकार को उसमें प्राथमिकता दें। आपने पर्यटन और तीर्थाटन की बात कही और कहा कि हम अपनी अर्थ व्यवस्था को मजबूत करना चाहते हैं लेकिन मान्यवर, अगर डिसइनवेस्टमेंट नहीं होगा तो फिर खाली दुकान से कोई आमदनी नहीं होगी।

हरिद्वार में प्रति वर्ष 2 करोड़ तीर्थ यात्री आते हैं। ऐसा कोई भी स्थान नहीं है, जहां इतने आदमी आते हों, अगर हमारी उत्तरांचल सरकार यह घोषणा करती कि उत्तर प्रदेश के शासन में रहते हुए उन्होंने यह प्रयास भी किया था कि हरिद्वार के मेलों को अधिसूचित कर दिया जाय। वहां पर यात्रियों के लिये जो मिनिमम बेसिक सुविधायें हैं, वह हम देंगे। मैं यह बात भी सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि दो मजारें हैं, पीरान कलियर और दो दरगाह, जहाँ पर न केवल हिन्दुस्तान से बल्कि दुनिया से लोग जियारत करने आते हैं। परन्तु मुझे कष्ट हुआ, इनका जिक्र अभिभाषण में नहीं है। यह तो हम मानते हैं कि आप अल्पसंख्यक विरोधी हैं और जिस दल की यह सरकार है वह बहुसंख्यक में विश्वास रखती है और महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण ने साबित भी कर दिया इसलिये अल्पसंख्यक के बीच जो सन्देश जाना चाहिये था, वह नहीं गया।

मान्यवर, यह उल्लेख कि हम पिछड़े वर्गों के लिये, अनुसूचित जाति के लिये और जनजाति के लिये आरक्षण की व्यवस्था करेंगे, क्या आपको यह डर लगता था कि ओ०बी०सी० के लिये 27 प्रतिशत और अनुसूचित जाति के लिये 21 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था करेंगे। यदि ऐसा कह देंगे तो क्या आपके वोट कम हो जाते। हम जानते हैं कि इस प्रदेश में सवर्ण की संख्या बहुत अधिक है। मैं कहना चाहता हूं कि यह सरकार उत्तरांचल का भला नहीं कर सकती। इतना ही नहीं हमारा जो पिछड़ा वर्ग वित्त निगम

है, अल्पसंख्यक वित्त निगम है और अनुसूचित जाति वित्त निगम है, इनसे धन प्राप्त करके जो अपना छोटा–छोटा काम कर रहे थे, उनके सामने आज प्रश्नचिन्ह लग गया है, यह सरकार के रहते हुए उनका भविष्य क्या होगा।

बेरोजगारी के बारे में कहना चाहता हूँ। फोनिया जी कह रहे थे और स्वरोजगार की बात कर रहे थे। आज इस देश में जो आर्थिक व्यवस्था चल रही है, थम्स–अप जैसी बड़ी–बड़ी कम्पनियां फेल हो गई और सारे पब्लिक सेक्टर घाटे में जा रहे हैं, एक लाख या दो लाख लेकर जो आदमी काम कर रहा था, क्या उसका प्रोडक्ट मल्टीनेशनल कम्पनी के प्रोडक्ट के सामने ठहर पायेगा। आज उत्तरांचल से 50 लाख लोग बाहर पलायन कर चुके हैं। यदि उस पलायन को आप रोकना चाहते हैं तो मेरा सुझाव है कि आप क्षेत्र सुनिश्चित कर लीजिये कि इस क्षेत्र में फलाँ आदमी काम करेगा और फलाँ क्षेत्र में फलाँ आदमी काम करेगा, किसी दूसरे को किसी क्षेत्र में एलाऊ नहीं किया जायेगा। इस बात का निर्णय आपको करना होगा।

इस उत्तरांचल राज्य में 10 शुगर मिल्स हैं, एक अभी प्रारम्भ हुई है, 9 पहले से हैं, केवल एक लक्सर मिल को छोड़कर कोई मिल ऐसी नहीं है जो घाटे में न चल रही हो। डोईवाला मिल पर किसानों का 6 करोड़ रुपए बाकी है। जो गन्ने का रेट नहीं दे पा रही हैं, वह ब्याज कहाँ से दे पायेंगी इसलिये जो वस्तुस्थिति है, उसे सरकार को मुकाबला करना होगा। शीरे का रेट आपने 120 रुपए से घटाकर 70–80 रुपए कर दिया। मिल घाटे में चलती चली जा रही है और ऐसी स्थिति में सरकार के पास पैसा नहीं है और मिल घाटे में है तो किसानों का क्या हाल होगा। देश की आजादी में किसानों की मुक्ति का भी संग्राम था। चाहे पंजाब की लड़ाई रही हो, चाहे गांधी जी का नील की खेती के लिए आन्दोलन रहा हो। आज किसान की क्या हालत है। आज जो दक्षिण में हो रहा है उसी प्रकार आप यहाँ भी चीनी मिलों को बिजली बनाने की अनुमति दें और सप्लाई करने की भी इजाजत दें। मेरी लक्सर मिल के मालिक से चर्चा हुई थी तो उसका एक दोस्त कर्नाटक में है उसके पास भी ऐसी मिल है। आज की तारीख तक 25 करोड़ रुपए 8 महीने में 24 घण्टा बिजली सप्लाई की है। शुगर हैज बिकम बाई प्रोडेक्ट।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यूरोप के देश सीएटल में अमेरिका के खिलाफ हो गये थे, इसलिये हो गये थे कि किसानों को लाभ नहीं मिल पा रहा था। इसलिये उत्तरांचल सरकार इस ओर पहल करे, जिससे उसकी आर्थिक व्यवस्था भी ठीक होगी। कैप्टिव पावर प्लान लगाने की इजाजत हम उनको दें। इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाके हम दें। बी0एच0ई0एल0 में एक हवाई पट्‌टी है, अगर उसको भी हम विकसित कर सकें तो बहुत अच्छा होगा। हरिद्वार को गाजियाबाद बनाइये और हम वह सुविधायें दें जिससे हरिद्वार में उद्योग लग सकें। आपने सस्ते और सुलभ न्याय की बातें कहीं और हाईकोर्ट खोल दिया, नैनीताल में जहाँ पर गर्मी में गरीब आदमी रह नहीं सकता और सर्दियों में कोर्ट बन्द हो जाती हैं। इसलिये हाईकोर्ट की एक ब्रान्च, आप चाहे देहरादून में खोल दें या हरिद्वार में। फॉरेस्ट के बारे में कहना चाहता हूँ। गाँव के लोग अगर लकड़ी काटते हैं तो फॉरेस्ट के लोग उन्हें पकड़ लेते हैं इसलिये मेरा सुझाव है कि जंगल के चारों तरफ जो लोग रहते हैं तो उनके रोजगार की व्यवस्था आप करें तो वह स्वयं ही जंगल की रक्षा करेंगे। पूर्व सैनिकों के बारे में इसमें कुछ नहीं कहा गया।

उत्तरांचल की अर्थ व्यवस्था का जो मूल आधार है वह है मनीआर्डर व्यवस्था, जिससे अर्थ व्यवस्था को मजबूती मिलती है परन्तु उन पूर्व सैनिकों के बारे में इस

अभिभाषण में कुछ नहीं कहा गया। मान्यवर, अब मैं हरिद्वार की बात करना चाहता हूँ। अभी हमारे भारत सिंह रावत जी कह रहे थे कि उनकी राजनैतिक मजबूरी हो सकती है। राजनैतिक मजबूरी तो उनकी है जो चाहते हैं कि हरिद्वार उनसे अलग रहे लेकिन बोलने का साहस उनमें नहीं है। क्योंकि नित्यानन्द स्वामी जी के बाद पहाड़ का कोई भी व्यक्ति अब मुख्य मंत्री नहीं बन सकता है। श्री कोश्यारी जी का वह लेख भी मैंने पढ़ा, जिसमें उन्होंने कहा कि हमें हरिद्वार नहीं चाहिये। यदि वह कहें तो मैं उनका लेख यहां पर लाकर उनको दिखा सकता हूँ। माननीय गृह मंत्री जी जब लोक सभा में इसके आब्जेक्ट और रिजन्स के बारे में कह रहे थे तो उन्होंने कहा था' कि दि प्रपोज्ड रिआर्गेनाइजेशन ऑफ दि एक्जिस्टिंग स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश विल मीट दि एसपिरेशन ऑफ दि पीपुल्स ऑफ उत्तरांचल। परन्तु मान्यवर, लोकतंत्र में दो मापदण्ड नहीं हो सकते। कौशिक कमेटी बनायी गई, उसमें हरिद्वार शामिल नहीं था और इसमें हरिद्वार के लोगों की जन आकांक्षा को भी जानने का प्रयास नहीं किया गया। समाजवादी पार्टी ने प्रस्ताव बनाकर भेजा था, उत्तराखण्ड का। यदि वह मान लिया जाता तो उत्तरांचल कभी नहीं बनता। अभी कहा जा रहा था कि क्षेत्रफल के आधार पर निर्धारण होना चाहिए, आबादी के आधार पर नहीं। जबकि आबादी के आधार पर ही इसका निर्धारण होता है। यदि हर एक बिन्दु पर टकराव होता रहेगा तो कैसे उत्तरांचल का विकास होगा।

हरिद्वार की जनता का केवल इतना कसूर है कि उसने भारतीय जनता पार्टी के किसी भी विधायक को वहाँ से जिताकर नहीं भेजा। यदि वहाँ से जिताकर भेजा होता तो आज वहाँ पर इनकी सरकार नहीं होती। हरिद्वार को जिस तरह से शामिल किया गया वह निन्दनीय है। मैंने कोश्यारी जी की उस पुस्तक को पढ़ा है और उस आर्टिकिल को पढ़ा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि हरिद्वार को उत्तरांचल में नहीं रहना चाहिये। यह बात मैं पुनः दुहरा रहा हूँ। हम जनतंत्र में विश्वास रखने वाले लोग हैं। मुझसे लोगों ने कहा कि आप इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं तो मैंने कहा कि यदि भारतीय जनता पार्टी के 18–19 विधायक इस्तीफा दे दें तो मैं भी दे दूँगा। लेकिन मैं अन्त में कहना चाहता हूँ कि जो संघर्ष किया गया है, उससे हमको प्रेरणा मिली है और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये हम मुस्तकिल हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

अभिभाषण पर चर्चा कल भी जारी रहेगी। आज नियम 51 के अन्तर्गत दो सूचनायें प्राप्त हुई हैं। पहली सूचना श्री हरबंस कपूर जी की है जिसे मैं वक्तव्य के लिये स्वीकार करता हूँ और दूसरी सूचना श्रीमती इन्दिरा हृदयेश जी की है, जिसे मैं शासन के पास आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर रहा हूँ।

अब हम उठते हैं कल 11.00 बजे पूर्वाह्न में फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 20 मिनट पर अगले दिन के लिए स्थगित हो गया)

देहरादून
17 जनवरी, 2001

(महेश चन्द)
सचिव, विधान सभा
उत्तरांचल।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 3 विधान सभा/238–3–7–2002–200 (कम्प्यूटर/ऑफसेट)।